लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, सोमवार, 11 अगस्त, 1969/20 श्रावण, 1891 (शक)

No. 16, Monday, August, 11, 1969/Sravana 20, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Page
451	मेसर्स प्रिंटर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के अहाते पर छापा / Raid on the Premises of M/s Printers House (P) Ltd. Delhi	1-4
453	विवाह के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना / Raising of Marriagebale age limit	4-6
454	मंत्रियों द्वारा आयकर के विवरणों का न दिया जाना / Income tax returns not filed by Ministers	6-9
455	नकली रबड़ की खपत / Consumption of Synthetic Rubber	9-12
456	गृह-निर्माण ऋण, सम्पर्क सड़कों के निर्माण तथा पेय जल योजनाओं के लिये चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मांगा गया धन / Funds demanded by Chandigarh Administration for House Building Loans, construction of approach Roads and drinking water schemes	12-13

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written Answers Questions

तारांकित प्रश्न संख्या S Q. Nos.		
452	एक सरकारी उपक्रम के एककों के लिये स्थान / Location of Units of a public sector undertaking	13-14
457	राहत तथा विकास कार्यों के लिये ब्रिटेन से सहायता / Aid from Great Britain for relief and development works	14
458	विदेश यात्राओं के लिये संसद् सदस्यों को दी गई विदेशी मुद्रा / Foreign exchange allowed to M. Ps. for visits abroad	14-15
459	राजस्थान में चट्टानी फास्फोट के भण्डार / Rock phosphate deposits in Rajasthan	15
460	दिल्ली / नई दिल्ली में गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी आवासों का आवंटन / Allotment of Government Accommodation to private persons in Delhi/ New Delhi	16

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तां० प्र० सं० S Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
461	मैंगनीज अयस्क उद्योग में संकट	Crisis in Manganese Ore Industry	16-17
462	चौथी योजना में स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्यों में कमी	Reduction in Fourth plan targets of installed power capacity	17
463	कपाडिया परिवार द्वारा किलिक निक्सन समवाय समूह को अधिकार में लेना	Taking over of Killick Nixon group of Companies by Kapadias	17
464	उर्वरकों का उत्पादन	Production of fertilizers	17-18
465	करों का अपवंचन	Evasion of Taxes	18-19
466	पन बिजली पैदा करने सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme of Generating Hydro-Electricity	19
467	कोयाली तेल शोधन शाला में गैस जलाना	Burning of gas at Koyali Refinery	19
468	दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिये मकान बनाने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकार के पास अपर्याप्त धन	Inadequate funds to Delhi development authority to build quarters for Jhuggi Jhompri dwellers of Delhi	19-20
469	मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices	20-21
470	भारतीय उर्वरक निगम के उत्पादन लक्ष्य	Production target of FCI	21
471	भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ सलाहकार मिशन द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन	Evaluation of family planning programme by UN advisory mission in India	21-22
472	हल्दिया में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant at Haldia	22
473	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के विस्तार के लिये अमरीकी सहायता	US aid for expansion of Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India	22-23
474	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बिना पारी क्वार्टरों का आवंटन	Out of turn allotment of quarters to Central Government Employees	23
475	छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं में विकास करने के लिये बिहार राज्य की बृहत योजना	Master plan of Bihar for development of irrigation facilities in Chotanagpur and Santhal Parganas	23
476	नोटों तथा सिक्कों का परिचालन	Circulation of currency notes and coins	23-24
477	हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास तथा चिकित्सा सुविधायें	Housing and Medical facilites for Himachal Pradesh Government employees	24-25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
478 मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में घटिया (बेस) वस्तुओं की खोज	Search for base metals in areas of Madhya Pradesh	25
479 कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for development of Calcutta Metropolitan area	25-26
480 भाखड़ा परियोजना तथा गंगा नहर के पानी का हिस्सा न दिये जाने के बारे में राजस्थान द्वारा शिकायत	Complaint regarding denial of share of Bhakra project and Ganga canal water by Rajasthan	26
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
2921 जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के अभ्यावेदन	Representations from Development Officers of LIC alleging corruption charges against LIC Officers	27
2922 भारतीय फिल्मों का दक्षिण अफ्रीका में चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Indian Films into South Africa	27-28
2923 नई दिल्ली में अपने मकान वाले प्रेस संवाददाताओं को सरकारी क्वार्टर	Government accommodation to press correspondents who own houses in New Delhi	28
2925 औद्योगिक प्रबन्ध पूल	Industrial Management pool	28-29
2926 राज्यों में वेसकटोमी तथा ट्यूबेक्टोमी आपरेशनों से मृत्यु	Deaths due to vasectomy and tubectomy in States	29-30
2927 दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देखभाल की जाने वाली लिफ्टें	Maintenance of lifts by C. P. W. D. in Delhi	30
2928 डीजल के धुएं का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव	Effect of diesel smoke on human Health	30-31
2929 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में लगाई गई पूंजी	LIC investments in Gujarat in Third Plan	31-32
2930 गुजरात में सरकारी उपक्रम	Public undertaking in Gujarat	32-33
2931 बिहार में पन-पन नदी पर बांध का निर्माण	Construction of dam on the Pun Pun River in Bihar	33-34

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2932	गुजरात में प्रतिव्यक्ति अधिष्ठापित विद्युत क्षमता तथा उसकी उपलब्धता	Per capita power installed capacity and power availability in Gujarat	34-35
2933	महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of fund for irrigation schemes in Maharashtra	35
2934	गैर सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति	Receipt of foreign money by non-official Institutions and individuals	35
2935	सैक्टर 2 रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली की कल्याण संस्था के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against workers of welfare association sector II R. K. Puram, New Delhi	35-36
2936	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public sector undertakings	36-37
2937	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	37
2938	सरकारी उपक्रम का कार्यसंचालन	Functioning of public undertakings	37 38
2939	यूरिया की खपत को लोक प्रिय बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही	Steps taken to popularise consumption of Urea	38
2940	रद्दी धातु की खपत	Consumption of scrap Metal	38-39
2941	औद्योगिक उपक्रमों में श्रेणी एक के अधिकारी	Class I Officers in Industrial Undertakings	39
2942	लघु खनिज (माइनर मिनरल्स) संबन्धी पुनर्विचार का मामला	Revision case concerning Minor Minerals	39
2943	विश्व बैंक में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाना	Expansion of Staff by World Bank	39-40
2944	नई दिल्ली में कोटला मुबारकपुर का विकास	Development of Kotla Mubarakpur, New Delhi	40
2945	नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कांटेदार तारों का प्रयोग	Use of Barbed wires at Various places in New Delhi	40-41
2946	भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को आयोजित गेज के इस्पात की चादरों की सप्लाई	Supply of imported Gauge steel sheet by IOC to Hind Galvanising and Engineering Co.	41-42
2947	स्टेट बैंक द्वारा प्रत्याभूतियां (सिक्योरिटीज) को जमा कराये बिना उद्यमकर्ताओं को ऋण	State Bank loans to entrepeneurs without furnishing securities	42

अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2948	दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण बन्द किया जाना	Suspension of construction of Government Accommodation in Delhi	42-43
2949	वर्ष 1969-70 में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Government quarters in Delhi During 1969-70	43-44
2950	सरोजनी नगर, नई दिल्ली के टाइप दो क्वार्टरों में अलमारियों की व्यवस्था	Provision of Almirahs in Type II Quarters of Sarojini Nagar, New Delhi	44
2951	स्नातकोत्तर अस्पताल प्रशासन पाठ्यक्रम	Post Graduate Hospital Administration Course	44-45
2952	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा	Teaching of Hindi to LIC Employees	45
2953	सरकारी उपक्रमों में विधायक	Legislators in public undertakings	45-46
2954	पोटाश उर्वरक का निर्माण करने के लिये परियोजनाएं	Projects for manufacture of Potash Fertilizers	46
2955	विदेशी तेल कम्पनियों से करार समाप्त करना	Termination of Agreement with oil companies	47
2956	विषाक्त भोजन के कारण मौतें	Deaths due to food poisoning	47
2957	मलेरिया उन्मूलन	Eradication of Malaria	47-48
2958	महानगरों में नागरिक सुविधायें	Civic amenities in Metropolitan cities	48-49
2959	श्रीमती और श्री डी० एन० वाचा से बरामद की गईं वस्तुएं	Goods seized from Shrimati and Shri DN Wacha	49-50
2960	नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का अनधिकृत रूप से कब्जा	Unauthorised occupation of Government accommodation in New Delhi	50
2961	अशोधित तेल की आवश्यकता	Requirement of Crude Oil	50-51
2962	राज्यों को अधिक धन देने के बारे में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें	Recommendations of fifth finance Commission re. allottment of more funds to States	51
2963	फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का कार्यकरण	Performance of fertilizers and Chemicals Travancore, Ltd.	51-52
2964	नामरूप परियोजना के विस्तार के लिये स्वदेशी संयंत्र	Indigenious plant for expansion of Namrup project	52-53

अता० प्र सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2965	हसनपुर तहसील (उत्तर प्रदेश) में बांध का निर्माण	Construction of dam in Hasanpur Tehsil (U. P.)	53-54
2966	नंगल वर्कशाप में बेकार पड़ी मशीनें	Machines lying idle in Nangal workshop	54
2967	श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में सिक्कों का बनाया जाना, उनका चलाया जाना	Minting and of circulation of coins in Memory of Shri Lal Bahadur Shastri	54
2968	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये टाइप दो क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Type II Quarters for Government employees	54-55
2969	सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं में विकास	Development of Irrigation facilities	55
2970	बिहार में कृषि योग्य भूमि	Cultivable land in Bihar	55-56
2971	गन्दी बस्तियां हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम को सहायता	Aid to DMC for Slum clearance	56
2972	वित्त मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled castes and Scheduled Tribes Employees in Finance Ministry	56-57
2973	दिल्ली के समीप धौजकोट में जलाशय का निर्माण	Construction of reservior at Dhojkot, Delhi	57
2974	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to exservicemen by Delhi Development Authority	57
2975	पेट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत	Production and consumption of petroleum and Kerosene Oil	57-58
2976	बड़ी कम्पनियां द्वारा विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure on advertisements by big companies	5859
2977	हिमाचल प्रदेश के लिये बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएँ	Big and Medium irrigation schemes for Himachal Pradesh	59
2978	मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये नियम	Rules for admission to Medical Colleges	59-60
2979	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिक्ल्स लिमिटेड के कारखानों के प्राक्कलन	Estimates of plants of Indian drugs and Pharmaceuticals, Limited	60-61
2980	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड के परियोजना संबन्धी पूंजी परिव्यय में वृद्धि	Increase in Capital outlay on projects of Indian Drugs and pharmaceuticals Ltd.	61-62

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2981	सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं से वित्तीय विवरण / Financial returns from irrigation and power projects	62
2982	रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 9 में मार्केट का निर्माण / Construction of market in Sector 9 of R. K. Puram. New Delhi	62
2983	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों की सेवा की शर्तें / Service conditions of Junior doctors in Government Hospitals	63
2984	त्यागराज नगर दिल्ली में जाफरी और वर्षा से बचने के लिये शैडो की व्यवस्था / Provision of jafry and rain shed in Thyagaraja Nagar, Delhi	63
2985	चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना / Seizure of smuggled goods	63
2986	सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में नर्सों की पदोन्नति / Promotion of Nurses ia Safdarjung Hospital New Delni	64
2987	फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरक की उत्पादन लागत / Production cost of fertilizers in FACT	64
2988	आयातित एमोनिया के उपयोग के बारे में तकनीकी समिति की सिफारिश / Recommendation of Technical Committee Regarding Utilisation of Imported Ammonia	64-66
2989	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजना / Expert sent abroad for training by Hindustan Antibiotics	66
2990	दिल्ली में शान्ति वन तथा विजय घाट परियोजनाओं का पूरा किया जाना / Completion of Shanti Vana and Vijai Ghat Projects in Delhi	66-67
2991	चण्डीगढ़ में सहकारी समितियों के माध्यम से मकानों का निर्माण / Construction of Houses through co-operative societies in Chandigarh	67
2992	पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, चण्डीगढ़ / Post graduate institute of Medical Sciences, Chandigarh	67
2993	आयकर आयुक्तों का सम्मेलन / Conference of income tax commissioners	68
2994	आसाम में चीन के माल की बिक्री / Sale of Chinese Goods in Assam	68-69
2995	कोढ़ के उपचार के लिये औषधि / Medicine for Leprosy Treatment	69
2996	राज्यों द्वारा लिये गये ऋण / Loans taken by States	69-70
2998	बड़ौदा में पेट्रो रसायन उद्योग समूह / Petro chemical complex in Baroda	70
2999	आयकर निर्धारण के अनिर्णीत मामले / Pending assessment cases	70-71

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3000	पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of petroleum products	71
3001	वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा आयकर को चोरी	Concealment of income tax by commercial, industrial and Trade concerns	71-73
3002	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Government quarters to Scheduled castes employees	73
3003	सिचाई के पानो का प्रयोग	Utilisation of Irrigation water	73-74
3004	चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के गावों में बिजली लगाना	Rural Electrification during Fourth Plan in Madhya Pradesh	74
3005	मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना	Setting up of Thermal power plant in Madhya Pradesh	74
3006	पश्चिम बंगाल से केन्द्र सरकार के कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of Central Government Offices from West Bengal	75
3007	हाल्दिया तेल शोधक परियोजना	Haldia Refinery project	75
3008	सिन्थौटक एण्ड कैमिकल्स कम्पनी में जोवन बीमा निगम क अश	LIC Shares in Synthetics and Chemicals Company	75-76
3009	नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा छापे गये प्रपत्र (फार्म)	Forms printed by offices of controller and Auditor General of India	76
3010	विदेशों में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Foreign countries	76-77
3011	सोनाली पोखरा सड़क परियोजना	Sonauli Pokhara Road Project	77
3012	चोरी छिपे लायी गयी वस्तुओं का जब्त किया जाना	Seizure of smuggled goods	77-78
3013	काग्रेस के प्रधान की विदेश यात्रा	Congress President's visit abroad	78
3014	पेय जल के साधन	Drinking water resources	78
3015	राखा (बिहार) में तांबे के निक्षेप	Copper deposits at Rakha (Bihar)	78-79
3016	खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यक्तियों के नामों का सूचनार्थ प्रकाशन	Publicity to the names of Food Adulterators	79
3017	नूनमती तेलशोधक कारखाना मे स्थानीय लोगों को रोजगार देना	Employment to local people in Noonmati refinery	79-80
3018	मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	CBI Investigation against M/s. Aminchand Pyarelal	80
3019	गोआ में उर्वरक का कारखाना	Fertilizer Factory in Goa	80-81
3020	तपेदिक तथा कुष्ठ रोग के मामले	Incidence of T. B. and Leprosy	81

अता० प्रश्न संख्या U S..Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
3021	नेपाल में चत्तरा नदी की परियोजना तथा कोसी परियोजना के भारतीय कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं / Facilities available to Indian employees of Chatra Canal and Kosi Projects in Nepal	82
3022	बाढ़ समस्या को हल करना / Solution of flood problem	82-83
3023	खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन / Amendment to Mines and Minerals Regulation and Development Act 1957	83
3024	रक्त दान / Blood Donations	83-84
3025	विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा / Foreign Exchange received from foreign countries	84
3026	जीवन बीमा निगम के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया / Procedure for selection of members of Life Insurance Corpration	84-85
3027	नार्थ तथा साउथ एवैन्यू में संसद् सदस्यों के फलैटों के नौकरों के क्वार्टरों में सफेदी का किया जाना / White washing of servant quarters of M.Ps. flats in North and South Avenues	85
3028	साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में संसद् सदस्यों को टेबल फैनों की सप्लाई / Supply of Table Fans to M.Ps. in South Avenue, New Delhi	85
3029	बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियों तथा चांदी का पकड़ा जाना / Recovery of Smuggled Watch and Silver in Bombay	85-86
3030	राजस्थान में कास्टिक सोडे का कारखाना / Caustic Soda Plant in Rajasthan	86
3031	शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिये सस्ते मकानों का निर्माण / Construction of cheap houses for Urban and rural areas for Poor people	86-87
3032	दामोदर घाटी निगम / Damodar Valley Corporation	87
3033	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने की योजना / Plan for increasing production of coal by NCDC	87
3034	स्टेट बैंक की कृषि स्नातकों को ऋण देने की योजना / State Bank's scheme for advancing loans to agricultural Graduates	87-89
3035	कृषि फार्मों के लिये ऋण / Loans for Agricultural Farms	89-90
3036	ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना / Village housing project	90-91
3037	भारतीय तेल निगम के पेट्रोलियम उत्पादों की दरें / IOC rates of petroleum products	91

अता० प्र० सं० U S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3038	चिकित्सा शिक्षा की नीति में परिवतन	Shift in Policy towards Medical Education	91-92
3039	विदेशों में शिक्षकों के पद पर कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों को वापस बुलाना	Return of Doctors now working on teaching posts abroad	92-93
3040	1975 तक तेल शोधन क्षमता का विस्तार	Expansion of oil refining capacity by 1975	93
3041	सन्धाल परगना में देवघर नामक स्थान पर पाया गया जाली नोट छापने का कारखाना	Press printing forged currency Notes Found in Deoghar in Santhal Parganas	93
3042	उड़ीसा सरकार द्वारा मांगा गया ऋण	Loan sought by Orissa Government	94
3043	दिल्ली की एक घी फर्म द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by A Ghee Firm of Delhi	94
3044	चिकित्सा के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा	Foreign exchange to persons going abroad for medical treatment	94-9
3045	मैसूर में ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं	Rural Housing scheme in Mysore	95
3046	राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in States	965
3047	कुछ राज्यों में प्रमुख आय कर दाता	Top income tax in certain States	96
3048	हिन्दुस्तान जिंक प्रदावक के उत्पोत्पादों का मूल्य	Prices of By products of Hindustan Zinc Smelter	96-97
3049	मलकागंज दिल्ली के चारों और गन्दी बस्ती	Slums around malkaganj, Delhi	97
3050	राजस्थान में पाये गये निकल के निक्षेप	Nickel deposits found in Rajasthan	97
3051	पालना कोयला खान में लिग्नाइट निक्षेप	Lignite deposits in Palana Coal Mines	97
3052	नर्मदा नदी के जल का उपयोग	Use of Narmada River	98
3053	विकासशील देशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों में भारत की भागिता पर विश्व बैंक की आपत्ति	World Bank's objection to India's participation in joint industrial ventures in developing countries	98
3054	बर्मा शैल तथा एस्सो तेल शोधन कारखाना के उत्पादन में कमी	Cut in production of Burma Shell and Esso Refineries	99
3056	बम्बई में पीने के पानी की कमी	Shortage of drinking water in Bombay	99

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
3057	देश में बैंक सुविधाओं का विस्तार Expansion of Banking facilities in the country	100
3058	पालम कालौनी, दिल्ली का नियमित करना Regularisation of Palam Colony, Delhi	100 101
3059	पेट्रोलियम उत्पाद सम्बन्धी समिति Committee on Petroleum Products	101
3060	अनिवाय बन्धयीकरण के लिये विधेयक Bill for compulsory sterlization	101- 02
3061	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपना Giving of responsibility to workers in Management of Public undertakings	102
3063	पत्तनों तथा हवाई अड्डों पर मूल्यवान प्राचीन वस्तुओं की जांच पड़ताल Checking of valuable antiques at ports and airports	102
3064	देश में लू से मृत्यु Heat wave deaths in the country	103
3065	महाराष्ट्र आवास बोर्ड Maharashtra housing board	103-104
3066	आय कर अपवंचन Income tax evasion	104
3067	हिन्दुस्तान इंसेक्टसाइड्स लिमिटेड, (दिल्ली) में कुप्रबन्ध Mismanagement in Hindustan insecticides Ltd., Delhi	104-105
3068	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई Supply of Machinery and equipment to world Bank aided projects	105
3069	भारत में तेल शोधन शालाओं की तेल उत्पादन की क्षमता Oil production capacity of refineries in India	105-106
3070	उड़ीसा में बिजली उत्पादन कार्यक्रम Power Generation programme in Orissa	106
3071	उड़ीसा के सुनारों को सहायता Assistance to Gold smiths of Orissa	106-107
3072	राजस्थान में ग्रामीण आवास परियोजना Rural Housing Project in Rajasthan	107
3073	राजस्थान के बीकानेर जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम Family Planning Programme in Bikaner District of Rajasthan	107-108
3074	भारतीय लोक प्रशासन संस्था Indian Institute of Public Administration	108-109
3075	जड़ी बूटियों से तैयार की गई खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयां Herbs for Oral Contraceptive	109
3076	अन्तर्राज्य नदी जल विवाद Inter state river water disputes	109
3077	चिकित्सा सम्बन्धी औजारों पर आयात शुल्क में वृद्धि Increase in import duty on medical instruments	109-110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3078 आसाम में दूसरी तेल शोधन शाला के लिये विशेषज्ञ समिति	Expert committee on second oil refinery for Assam	110
3079 भारत में पीस कोर स्वयसेवक	Peace corps volunteers in India	111
3080 लघु बचत के रूप में प्राप्त हुई राशि	Small Savings Collections	111-112
3081 उड़ीसा में वैतरणी नदी बांध योजना	Barrage scheme of Baitrani River in Orissa	112-113
3082 सरकरी उपक्रमों के पूंजीगत ढांचे को युक्तियुक्त बनाना	Rationalisation of Capital Structure of Public Undertakings	113
3083 उर्वरक कैटेलस्टों का निर्यात	Export of fertilizer catalysts	113-114
3084 कानपुर उर्वरक कारखाने के बायलर हाउस से रेडियम धर्मी की चोरी	Theft of Radio active source from Boiler House of fertilizer Factory Kanpur	114
3085 जरूरतमन्द लोगों को दांतों और ऐनकों की मुफ्त सप्लाई	Free supply of Teeth and Eye Glasses to needy people	114-115
3086 श्री लका म भारतीय बैंकों का कारोबार	Functioning of Indian Banks in Ceylon	115
3087 काचीन उर्वरक कारखान म जापान का सहयोग	Japan's Cooperation in Cochin Fertilizer Project	115
3088 होटल उद्योग के विकास क लिय ऋण	Loans for Development of Hotel Industry	116
3089 वाटर एण्ड पावर डेवलपमेंट कन्सलटेंसी सर्विसिज (इडिया) प्राइवेट लिमिटेड	Water and Power Development consultancy services (India) Private Ltd.	116-117
3090 कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in the price of coal	117
3091 मनीपुर और नागालैंड के छात्रों के लिये चिकित्सा कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Medical seats for Manipur and Nagaland	117
3092 परिवार नियोजन के विरुद्ध अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का अभियान	Campagin by All India Hindu Mahasahha against Family Planning	117 118
3093 पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या	Unemployment problem in West Bengal	118
3094 केन्द्रीय सरकार के लिये चिकित्सा पाठ्यक्रमों के स्थानों का आरक्षण	Reservation of Medical seats for Central Government	118-119
3095 मंत्रियों की सम्पत्ति का मुल्यांकन	Assessment of Wealth of Central Ministers	119

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subjeet	पृष्ठ/Pages
3096	चतुर्थ योजना के अन्त तक बिजली का उत्पादन	Production of electricity by the end of Fourth Plan	119-120
3097	कर्मचारी सहकारी ऋण संस्थाओं को गैर बैंकिंग संस्थाएं घोषित करना	Declaration of employees cooperative credit societies as non-banking institutions	120-121
3098	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दिल्ली में दो कमरों वाले क्वार्टर बनाना	Construction of Two Roomed Quarters for Class IV Employees in Delhi	121
3099	तारपीन के खनिज तेल का उत्पादन	Production of Mineral Turpentine Oil	121-122
3100	मनीपुर और असम के मुख्य मन्त्रियों के बीच बारक परियोजना के बारे में बातचीत	Discussion about Barak Project between Chief Ministers of Manipur and Assam	122
3101	सब्जी मन्डी, दिल्ली के दूकानदारों की ओर किराये की बकाया राशि	Arrears of rent against the shopkeepers of Subzimandi, Delhi	122-123
3102	अमरीका, रूस और जापान की तुलना में भारत में उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लागत	Per unit cost of electricity generated in India as compared to USA USSR and Japan	123
3103	उपग्रह द्वारा तूफान के खतरे की चेतावनी	Cyclone warning by Satellite	123-124
3104	आसाम से प्राप्त राजस्व में भागिता	Sharing of Revenue received from Assam	124-125
3105	घग्घर नदी के बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिये विश्व बैंक से सहायता	Aid from the world bank to divert the Flood Waters, of the Ghaggar	125
3106	मेसर्स डाडसाल (प्रा०) लिमिटेड	M/s Dodsal (P) Ltd.	125
3107	श्री मुन्दड़ा का ब्रिटेन में अपने एजेन्ट को पत्र	Shri Mundhra's letter to his Agent in U. K.	126
3108	सरकारी भवनों के अधिभोक्ताओं के लिये वैकल्पिक स्थान	Alternative Accommodations for Occupants of Government premises	126
3109	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में श्रीमती काकनी की मृत्यु	Death of Mrs. Kakni in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	126-127
3110	गुजरात को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil to Gujarat	127-128

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S.Q Nos.		
3111 राज्यों में पी० वी० सी० शू बनाने के कारखाने	PVC Shoe Manufacturing units in States	128
3112 राज्यों में मन्जूरी किये गये खनन पट्टे	Mining leases granted in States	128
3113 राज्यों में पट्टेधारियों की जमा राशि	Deposits of lease holds in States	129
3114 भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्यों का सर्वेक्षण	States surveyed by Geological survey of India	129-130
3115 साउथ--नार्थ एवेन्यू अथवा संसद् भवन में नई दिल्ली नगर पालिका का काउन्टर खोलना	Opening of NDMC counter in South North Avenues or Parliament House	130
3116 भारतीय उर्वरक निगम का कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाना	Establishment of a coal based fertilizer plant at Korba by Fertilizer Corporation of India	130-131
3117 सांताक्रुज हवाई अड्डे में सोना जब्त किया जाना	Seizure of gold at Santa Cruz Airport	131
3118 मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में बहुमूल्य पत्थर पाया जाना	Precious stone found in Panna district, Madhya Pradesh	131
3119 एम लूप का प्रचालन	Introduction of 'M' Loops	132
3120 खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत खनन पट्टे के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटारा	Disposal of applications for Mining leases under Minerals Concession Rules	132
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	132
खान अब्दुल गफ्फार खान की भारत यात्रा में बाधा डालने का पाकिस्तान का कथित प्रयास	Reported move by Pakistan to stall the visit of Khan Abdul Ghaffar Khan to India	132 136
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	136-137
जूट उद्योग में हड़ताल समाप्त किये जाने के बारे में वक्तव्य श्री ब० रा० भगत	Statement re. calling off strike in Jute Industry Shri B. R. Bhagat	137-138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	138-139
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1969-70 प्रस्तुत	Demands for Supplementary Grants (General), 1969-70 presented	139

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	139-140
कुछ अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Delay in laying of certain Notifications on Table of the House	140
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
हैदराबाद के निकट रेल दुर्घटना के बारे में	Re. Railway Accident near Hyderabad	140
स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) (अध्यादेश) के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Disapproval of Gold Control (Amendment) Ordinance	
तथा	and	
स्वर्ण (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक	Gold (Control) Amendment Bill	141-163
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani	
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Bishwanathan	
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
खंड 2 से 15 तथा 1	Clause 2 to 15 and 1	
पारित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री नाम्बीयार	Shri Nambiar	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion	164-167
डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Diciplinary action against P and T Employees	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	
श्री शेर सिंह	Shri Sher Singh	
श्री सत्यनारायण सिंहा	Shri Satya Narayan Sinha	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 11 अगस्त, 1969/20 श्रावण, 1891 (शक)
Monday, August, 11, 1969/Sravana, 20, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मैसर्स प्रिंटर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के अहाते पर छापा

*451. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्रिंटर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के अहाते पर तथा फर्म के निदेशकों के निवास स्थानों पर कोई छापा मारा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फर्म के अहाते में अथवा निदेशकों के निवास स्थानों से कोई विदेशी मुद्रा बरामद की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका मूल्य कितना है;

(घ) क्या कम्पनी के विरुद्ध देश के किन्हीं अन्य कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त हुई विश्वसनीय सूचना के आधार पर, उस निदेशालय द्वारा अप्रेल, 1969 में नई दिल्ली में दि प्रिन्टर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड, नामक कम्पनी के व्यापारिक स्थान तथा उसके तीन डाइरेक्टरों, जिनमें मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा चेयरमैन भी शामिल हैं, के निवास स्थानों की तलाशी ली गई । फर्म के विभिन्न स्थानों में स्थित शाखा कार्यालयों तथा उसके कुछेक कार्यकारी अधिकारियों

के निवास स्थानों की भी तलाशी ली गई थी। इस तलाशी के कारण बहुत सारे दस्तावेज पकड़े गये हैं ओर उनकी छानबीन की जा रही है। कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर के निवास स्थान से कुछ विदेशी मुद्रा भी पकड़ी गई, जिसका मूल्य भारतीय मुद्रा में 90 रुपये है।

(घ) तथा (ङ) : जिस मूल सूचना के आधार पर यह तलाशी ली गई थी, उसका सम्बन्ध विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन-देन और विदेशों में जमा उन भारी पूंजियों से था जिसके रखने से विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम का उल्लंघन होता था। इस सूचना में किसी अन्य कानून का उल्लंघन किये जाने के आरोप नहीं थे। लेकिन, बाद में प्राप्त हुए कुछ पत्रों में सीमा-शुल्क, आयकर, बिक्री कर तथा आयात व्यापार नियन्त्रण कानूनों के उल्लंघन किये जाने के आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है।

Shri George Fernandes : The persons, who are running this company are all bigmen. Its Chairman, Shri K. D. Kohli and Managing Director Shri Sahni have approach in the political circle. The information supplied by hon. Minister is incomplete. I would like to know whether this company has been transacting business with certain Communist countries of Eastern Europe for the last several years in such a way as results in loss of forcign exchange to our country ? May I also know whether the documents seized in a raid on office and residences of the officers of the said firm go to prove that printing machinery is being brought through Hungary and Bulgaria and that the said firm paid the price which was 25 per cent more than the actual price of the same ?

Shri P C. Sethi: Mr. Speaker, Sir, I would like to make it very clear that however influencial they are, it does not matter. The office of the firm and the residences of all the three Directors (including Managing Director and Chairman of the firm) were searched and some documents seized therefrom. This very fact goes to prove that their influencial position does not influence the Government in their working. Not only one but about 17 places were raided in that connection. As far as the seized documents are concerned, they are being examined minutely and investigation is being made in that connection.

Shri George Fernandes : Sir, I asked one specific question and that has not been replied. It is a serious matter. I asked whether Government has got any proof in support of the fact that this company has purchased the machinery from Sweden at a price, which is 25 per cent more than its actual price and which was to be brought through Communist countries of East Europe.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने और जानकारी देने में अन्तर होता है। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वह स्वयं जानकारी देने की बजाय प्रश्न पूछें।

Shri George Fernandes : Sir, I asked a specific question that when the machinery was purchased from Swedish firm, Solna Offset Printing Equipment this company could not get the hard currency and so the machinery was brought through the trade institutions of Hungary, Czechoslovakia and Bulgaria after making payment of 25 per cent more than its actual price.

श्री प्र० चं० सेठी : पूरे मामले की जांच की जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह बताना उचित नहीं होगा कि किन आधारों को लेकर जांच की जा रही है।

Shri George Fernandes : Sir, it is a very serious matter and the hon. Minister is taking it very lightly.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का यह कथन है कि इस मामले में छानबीन की जा रही है। आप परिणाम की प्रतीक्षा करें।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir, I would like to point out that

no Minister under the established convention can deny to answer a question. He may say like this that he cannot disclose the information in public interest, which he has not said.

Mr. Speaker : The Minister has given a reply to the question originally put by the hon. Member. In reply to his supplementary the hon. Minister said that the matter was under investigation. Now I do not think that any point has been left unanswered.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या कम्पनी पर किसी अन्य कानून को भंग करने का आरोप भी लगाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जो दस्तावेज पकड़े गये थे, प्रवर्तन निदेशक द्वारा उनकी विस्तार से छानबीन की जा रही है। जहां तक अन्य किसी कानून के उल्लंघन किये जाने का सम्बन्ध है आय कर तथा अन्य कानूनों के बारे में जो छानबीन की गई, उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि कुछ मामलों में वे कानून भंग करने के लिए दोषी पाये गये हैं और उन्हें उसके लिए दंडित भी किया गया है। एक अन्य मामले के सम्बन्ध में भी उन्हें नोटिस दिया गया है और उन पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है।

Shri George Fernandes : May I know whether the Minister is aware of the fact that this company get the bills prepared for this imported printing machinary at price which is more by 10 per cent than the orginal price thereof in foreign countries and thereafter they charge 20 per cent commission on this enhanced price ? Such type of deals they are making with the American firms. Once Shri K. D. Kohli wrote to Ladlo Typographic Co. that they should not disclose the existing prices of the machinery to anybodyelse as it will expose them and the newspapers will make their life miserable and they will approach Government to prevent them from charging so much commission.

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न काल है, वाद-विवाद का समय नहीं। इस दौरान आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु आप तो बिल्कुल नई बात कह रहे हैं। यह बात प्रसंगान्तर्गत नहीं है। आप तो जानकारी प्राप्त करने के बजाय मंत्री महोदय को जानकारी दे रहे हैं।

Shri George Fernandes : Let me complete my question, Sir.

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

Shri George Fernandes : May I know whether Government are aware of the fact that they dealt secretly in transactions involving foreign exchange and that they sold machinery to 'Times of India' and 'Indian Express' worth two lakhs of rupees to each of them without having licence for making such deals ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि स्वयं जानकारी दे रहे हैं। जहां तक प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय बता चुके हैं कि उक्त मामले में जांच की जा रही है।

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : We had some information. Thereafter the hon. Member gave us information in his letter. Eleven places were raided and some documents were seized and they are being examined. Four of these places were in Delhi. Action is being taken thereon in consultation with other departments like Income-Tax Department, Sales Tax Department, Enforcement Directorate and Customs Department. It is difficult to answer some of the questions till the matter is under investigation.

Shri S. M. Joshi : May I know whether the licence for import of printing machinery was issued to any party on certain conditions, if so the name of that party ? There have been a number of scandles in matter of import of printing press. I would like to know whether investigation is being made in respect of all such cases ?

श्री प्र० चं० सेठी : जिन मामलों का हमें पता था या जिन मामलों की सूचना हमें दी गई थी, उन सभी के बारे में छानबीन कराई जा रही है। पकड़े गये सभी दस्तावेजों के बारे में जांच कराई जा रही है।

श्री रंगा : जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है क्या सरकार के लिए उससे लाभ उठाना सम्भव न होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य यह सब जानकारी हमें पहले हो लिखकर दे चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि यदि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी या दस्तावेज ऐसा हो जो सरकार के लिए लाभदायक हो, उसे वह हमारे पास भेज दें।

Shri Achal Singh : May I know the time by which this enquiry will be completed ?

Mr. Speaker : It has not yet started.

विवाह के लिये आयु-सीमा का बढ़ाया जाना

+

*453. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्रीमती इला पाल चौधरी** :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विवाह के लिये आयु-सीमा बढ़ाने के लिये अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ सम्प्रदायों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक विधान के प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी, अभी नहीं।

(ख) राज्य सरकारों से सलाह लेकर प्रस्तावित उपाय अभी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सभी राज्य सरकारों के विचार पता लगने के बाद कानून बनाने के विषय में विचार किया जायेगा और सम्बन्धित मंत्रालयों से सलाह लेकर इस विषय में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

श्री नि रं० लास्कर : मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस समय ऐसा कानून बनाना क्यों आवश्यक समझा है ? क्या उनका विश्वास है कि इस प्रकार वह जनसंख्या पर नियन्त्रण कर सकेंगे ? इस कानून का उद्देश्य क्या है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : अभी तक यह विधान पेश नहीं किया गया है। राज्य सरकारों के साथ अभी इस विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि विवाह के लिये आयु बढ़ाने को हम प्राकृतिक रूप से उर्वरता कम करना मानते हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : यदि ऐसा कानून पास भी कर दिया जाये, तो क्या उसे समूचे देश में लागू किया जा सकेगा ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : विश्व के अनेक भागों में ऐसा किया जा रहा है। हमारी कुछ विशेष कठिनाईयां हो सकती हैं। उनको ध्यान में रखा जायेगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या पश्चिम बंगाल और केरल, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, की सरकारों की इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : जी हां। दोनों राज्यों ने कहा है कि वे प्रस्तावित विधान से सहमत हैं परन्तु उन्होंने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जनम और मृत्यु का पूरा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता तब तक इसे लागू करना कठिन है। कुछ दिन पूर्व हमने जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन विधेयक पारित किया है।

श्रीमती सावित्री श्याम : कितने राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : सात राज्यों ने उत्तर भेज दिये हैं। शेष के बारे में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : गत दो या तीन वर्षों से सरकार देश में विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह एक अच्छी बात होगी। सरकार इस बारे में निर्णय करने और आवश्यक विधान पेश करने में कितना समय लगायेगी ? देश में पहले से लागू शारदा एक्ट पर अमल नहीं हो रहा है। इस नये विधान को पेश करने से पहले क्या मन्त्री महोदय ने विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषतः देश के उत्तरी राज्यों की सरकारों को कहा है कि शारदा अधिनियम को जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु चौदह वर्ष निर्धारित की गई है, कड़ाई से लागू किया जाये।

डा० श्री० चन्द्रशेखर : बाल विवाह रोक अधिनियम, 1929, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, एक दण्डात्मक कानून था। वह छोटी आयु के विवाह रोकने के लिये था। उसमें किसी वधु की आयु कम सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायत करने वाले की थी। उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित नये विधेयक में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे। जैसे ही राज्य सरकारें इसे स्वीकार कर लेंगी, आवश्यक विधान पेश कर दिया जायेगा।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या प्रस्तावित कानून सभी धर्मों और समुदायों पर लागू होगा ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : शारदा एक्ट सभी धर्मों पर लागू था और प्रस्तावित कानून भी सभी धर्मों पर लागू होगा।

Shri Om Prakash Tyagi : Government has not made any effort to enforce the Sharda Act, which is for restraining child marriage. I want to know whether Government will bring an amendment to that Act, so that it could be implemented effectively ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। शारदा एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिये ही प्रस्तावित विधान लाया जा रहा है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने का प्रश्न उनके लिये शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने से सम्बंधित है, ताकि वे उस आयु तक पहुँचने तक अध्ययन में व्यस्त रहें। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई है।

डा० श्री० चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य की बात ठीक है। लकड़ियों के लिये विशेषत: देहातों में एक ही कार्य होता है, और वह विवाह है। यदि उन्हें लम्बे समय तक शिक्षा दी जाये तो विवाह में विलम्ब हो सकता है। परन्तु वह विषय मेरे मंत्रालय का नहीं है। स्कूल हमारे पास नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Instead of asking the states, why they have not asked M. Ps. about this ? I want to know whether they have asked the social organisation of the country about this ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य का मत ठीक है। हम उसके लिये उनके आभारी हैं।

श्री बि० प्र० मंडल : प्रस्तावित कानून के अनुसार लड़कों और लड़कियों की विवाह के लिये कितनी-कितनी आयु होगी ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : लड़कों के लिये 21 वर्ष और लड़कियों के लिये 18 वर्ष।

श्री ए० श्रीधरन : मेरे राज्य में जन्म दर बहुत अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विवाह के लिये अधिकतम सीमा भी नियत की जायेगी ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री हेम बरुआ : शायद यह विधान परिवार नियोजन को और प्रभावी बनाने के लिये लाया जा रहा है। इस बारे में माननीय मंत्री ने हाल में कहा है कि परिवार नियोजन की कार्यान्विति में तीन प्रकार की कठिनाइयां है। वे क्या हैं ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : मैंने चन्डीगढ़ में कहा था कि हमारे समक्ष तीन कठिनाईयां हैं। एक यह, कि देहाती क्षेत्रों में प्रयोग के लिये कोई अच्छा गर्भ-निरोधक नहीं है, दूसरे सामूहिक संचार की व्यवस्था नहीं है और लोगों में इस बारे में भावना उत्पन्न करने के तरीके हमारे पास नहीं हैं।

मंत्रियों द्वारा आयकर के विवरणों का न दिया जाना

+

* 454. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री एम० नारायण रेड्डी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों से आयकर के विवरण नहीं दिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रियों ने इस वर्ष करों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा दिये गये करों तथा अर्थ-दण्ड का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) करों का अब तक भुगतान न करने वाले मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इन मंत्रियों से करों की राशि वसूल करने के लिये मंत्रालय ने किस स्तर पर और क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : जिन मंत्रियों ने 1966-67 से 1968-69 तक के पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष की आयकर विवरणियां दाखिल

नहीं की थीं, उनके सम्बन्ध में सूचना तारीख 24-3-69 के प्रश्न सं० 4065 के उत्तर के सिलसिले में 16-5-69 को दी जा चुकी है। सबसे बाद की स्थिति के बारे में ब्यौरेवार सूचना इकट्ठी की जा रही है।

Shri Yajna Dutt Sharma : People have great expectations from the new Finance Minister. There are many irregularities prevalent in Income Tax Department. There is great need of bringing about cleanliness in our political life. Your office puts many hurdles and withholds questions concerning ministers. We want your protection in this regard.

I had sought information in my question for the last 10 years in regard to Ministers, but this period has been reduced to three years and information has been given accordingly. Why so ? It is very improper. I want to know whether any arrears are due from the Ministers whose names he has mentioned ?

Shri P. C. Sethi : It is not correct that the names of those Ministers have not been given who have not given returns during last ten years. Their names have been given in an answer to a question either in this House or in the other House. Hon. Member has put a very comprehensive question. I want to say that assessment of certain Ministers is done here while in the case of certain others it is done in other commissioner's office. It takes some time to collect information from there. It will be placed on the table when collected.

Those persons whose income exceeds Rs. 4,000 have to file return suo moto under section 139 (1), failing which they are served with notices under section 139 (2) and action is taken against defaulters as per penal clause. There is no doubt that action would be taken in these cases also.

Shri Yajna Datt Sharma : The hon Minister has simply tried to play with words and not replied to my question. If an ordinary citizen has not filed his return the matter is viewed seriously. But when the Ministers do not file their return for even 10 years, it is not taken note of. Will the Prime Minister be pleased to ensure that a Minister and an ordinary citizen are treated alike in the eyes of law ?

श्री प्र० चं० सेठी : यदि धारा 139 (1) के अधीन विवरणी नहीं दी जाती और आय कर देय होता है तो आय कर पर 9 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है और 2 प्रतिशत प्रति मास से लेकर 50 प्रतिशत प्रति वर्ष तक जुर्माना लिया जाता है।

Shri Yajna Dutt Sharma : That is all what is contained in the papers. The Hon. Minister may please tell as to what action has been taken by the Government.

Shri P. C. Sethi : The information will be collected and placed before the House.

Shri Hardayal Devgun : We have asked for the names of the Ministers who have not filed their returns for three years. Have some of them cleared the arrears ? Was any penalty imposed on them ? This question was given notice of in June. It has been alleged here that Shri Jagjiwan Ram has not paid Tax on his income for 10 years.

Mr. Speaker : The hon. Minister may not name anybody.

Shri Hardyal Devgun : Names were mentioned by the Government itself. The required information could have been collected from the Department or form the Ministers concerned. The Prime Minister may please state whether wealth tax returns was filed by her and whether that was rejected and filed again ? If so, why ? Will the Prime Minister be pleased to state as to where from she acquired the jewellery, her property and the farms in Mehrauli and Dehradun ?

अध्यक्ष महोदय : आप आक्षेप न लगायें । यह ठीक नहीं।

प्रधान मन्त्री, वित मन्त्री, अण शवित मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है । देहरादून में मेरा कोई फार्म नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य आक्षेप न लगायें ।

श्री सारबशिवम : कितने विरोधी नेताओं ने आय कर विवरणियां नहीं भेजीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध मंत्रियों से है, सदस्यों से नहीं ।

श्री रंगा : पूरक प्रश्न पूछना केवल उन्हीं सदस्यों तक सीमित न हो जिन्होंने प्रश्न की सूचना दी है । आपने श्री कंवर लाल गुप्त को समय नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको प्रश्न का अवसर दिया था परन्तु उनका प्रश्न संगत नहीं था ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have not made insenuations against anybody. But I have a right to ask a question concerning the Prime Minister. The hon. Minister know's the number of Ministers who filed their returns late, but he does not want to disclose it in the House. Penalty notices should have been issued to the Ministers who had either delayed their returns or who had furnished faulty returns. Whether action would be taken against the defaulters ?

Shri P. C. Sethi : The allegation of the hon. Member that we are trying to hide the information, is wrong. Of late the names of the Ministers who were in arrears in the payment of Income Tax were furnished. No advance notice for the question was received by us. Certain Ministers did not claim the deduction for the maintenance of a car. Shri Gupta is an Income Tax practitioner and knows that it is difficult to know whether some interest or penalty would be imposed until the assessment has been finalised. I want to assure the hon. Member that there would be no discrimination in the matter of Income Tax among ordinary citizens, members of Parliament and the Ministers.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir. My question has not been replied to I wanted to know the efforts made to avoid discrimination. If a Minister has shown his income on the low side and the department has raised it and penalty is not imposed and why it is being done in other cases ?

श्री प्र० चं० सेठी : बिना जानकारी प्राप्त किए मैं कुछ नहीं कह सकता ?

श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या मन्त्री महोदय इस बात की जांच कराएंगे कि क्या मंत्रियों द्वारा धारा 211 और 212 का उल्लंघन किया गया । क्या उन्होंने अग्रिम कर जमा कराया था ? यदि नहीं, तो धारा 273 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्रियों ने धारा 140 ए के अधीन विवरण समय पर भरे थे और कर जमा कराऐ थे ?

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव न देकर प्रश्न पूछे ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं चाहूँगा कि वे इन प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र करें और सभा पटल पर रखें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सत्य है कि कुछ मंत्रियों ने दस वर्ष से आयकर के लिए विवरण नहीं दिये ?

Shri P. C. Sethi : Their names have already been furnished in the house.

श्री रंगा : क्या हमें यह आश्वासन दिलाया जायेगा कि साधारण जनता तथा मंत्रियों और संसद सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा जा रहा है अथवा भविष्य में नहीं रखा जायेगा ? क्या यह भी आश्वासन दिलाया जायेगा कि विवरणी प्रस्तुत करने में देरी होने, प्राधिकारियों द्वारा विवरणियों को स्वीकार न करके उनके स्थान पर दूसरी विवरणी प्रस्तुत करने तथा कोई जुर्माना देने आदि के मामले दण्डनीय अपराध नहीं है और न ही ऐसे मामले नैतिक पतन के मामले हैं ? ये केवल राजस्व सम्बन्धी प्रश्न हैं तथा इनका समाधान आयकर अधिकारियों तथा आयकर दाताओं द्वारा ही हो जाना चाहिए ।

श्री प्र०चं० सेठी : जहां तक आयकर वसूल करने का सम्बन्ध है । मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस बारे में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा गया है । यदि किसी विशिष्ट मामले में कोई कानूनी कार्यवाही करनी होगी तो अवश्य की जायेगी ।

नकली रबड़ की खपत

*455. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नकली रबड़ की कुल खपत कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में नकली रबड़ बनाने वाला एकमात्र कारखाना इसकी मांग पूरी नहीं कर सकता और इसके आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है;

(ग) क्या नये लाइसेंसों के लिये कुछ आवेदनपत्र मंत्रालय के पास काफी समय से पड़े हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो नये लाइसेंसों की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1968 में संशलिष्ट रबड़ की खपत 24,517 मिट्रिक टन थी ।

(ख) संशलिस्ट रबड़ की केवल कुछ विशेष किसमें जो देश में तैयार नहीं होती, आयात की जाती हैं ।

(ग) और (घ) : 1968 के मध्य में दो तथा 1969 के शुरू में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे किन्तु इस स्थिति में वे अपरिपक्व थे तथा वे सभी जुलाई, 1969 में अस्वीकार कर दिये गये, क्योंकि अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता अभी भी निश्चित नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : एक ओर तो सरकार एकाधिकार के विरोध में बड़ी-बड़ी बातें करती है तथा दूसरी ओर स्वयं सरकार एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है तथा उसे रोकने के लिये कोई उपाय नहीं करती है । आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व मैंने सभा में एक प्रश्न उठाया था जिसमें लाइसेंस विभाग की अकार्यकुशलता की चर्चा की गई थी तथा बताया गया था कि यह विभाग पोलिस्टर रेशे के क्षेत्र में किस प्रकार एकाधिकार को बढ़ावा दे रहा है । वही समस्या कृत्रिम रबड़ के क्षेत्र में भी विद्यमान है । इस क्षेत्र में भी केवल एक ही कारखाने को उत्पादन करने की अनुमति दी गई है तथा अन्य कारखानों को मैदान में नहीं आने दिया जा रहा है । गत वर्ष प्राकृतिक रबड़ की भारी कमी थी जिससे टायरों आदि की भी भारी कमी रही थी जिससे सरकार

ने आयात करने की अनुमति दी थी। क्या यह सच है कि जब देश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ की कमी थी तथा सरकार ने इन वस्तुओं का आयात करने के लिये भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की थी उस समय देश के एकमात्र निर्माता ने भी इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये थे जिससे कच्चे माल का उपयोग करने वाले स्थानीय कारखानों की उत्पादन क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था ?

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रस्तुत उत्तर में मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करदी है। कृत्रिम रबड़ का उत्पादन केवल एक कारखाना कर रहा है। नये लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्रों का सम्बन्ध गुजरात के भूटाडाइन एक्स्ट्रैक्शन कारखाने के उत्पादन से है। भारत सरकार ने कृत्रिम रबड़ बनाने के बारे में अध्ययन करने के लिये कनाडा के पोलीमर निगम से सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अगले 15 वर्षों में रबड़ की कितनी मांग होगी इसका अध्ययन किया जायेगा। यह अध्ययन सम्पन्न होने के पश्चात तथा भूटाडाइन एक्सट्रैक्शन कारखाने के सम्पन्न होने के पश्चात इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। इस समय उन आवेदन पत्रों पर इसलिये विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी कच्चा माल उपलब्ध नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैंने यह प्रश्न किया था कि जब देश में इन वस्तुओं की भारी कमी थी उस समय इस निर्माता ने जिसका देश में एकाधिकार है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की थी या नहीं···(व्यवधान)

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हाँ। वृद्धि हुई है और मूल्यों में उतार चढ़ाव देशी अल्कोहल की तथा आयातित अल्कोहल की खपत पर आधारित रहता है। मैंने बताया है कि केवल एक कारखाना ही इसका उत्पादन कर रहा है और विदेशों से भी कुछ आयात किया जाता है तथा यह रबड़ विशेष प्रकार की होती है।

श्री० सु० कु० तापड़िया : माननीय मन्त्री ने कहा है कि कच्चे माल की कमी के कारण नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। उन्होंने नेफ्ता क्रेकर का उल्लेख भी किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस वर्ष देश में चीनी तथा शीरा का भारी उत्पादन हुआ है। जिससे मधसार, जो कि इन वस्तुओं के लिये महत्वपूर्ण कच्चा माल है, हमारे यहां भारी मात्रा में उपलब्ध है और इससे मूल्यों में भी कमी आयेगी क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि प्रति वर्ष 20,000 टन कृत्रिम रबड़ का आयात करने की अपेक्षा एक कारखाने के लिये नेफ्ता क्रेकर का आयात सस्ता रहेगा या नहीं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि औद्योगिक मधसार भारी मात्रा में उपलब्ध है। वास्तव में 1967 में लगभग 41,000 टन औद्योगिक मधसार का आयात किया गया था जिसका मूल्य 380 लाख रुपये था। 1968 में 33,000 टन औद्योगिक मधसार का आयात किया गया था। चीनी का उत्पादन केवल इसी वर्ष बढ़ा है जो 34 लाख टन तक है और इसी से शीरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः औद्योगिक मधसार में वृद्धि होने की सम्भावना है तथा इस वर्ष एक मधसार पर आधारित कारखाने का उत्पादन लगभग 18,000 टन मधसार होने की सम्भावना है। इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता 30,000 टन की है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि देश में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करने वाला केवल एक कारखाना है। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा इसका वर्तमान उत्पादन कितना है ? यह कारखाना अधिष्ठापित क्षमता का

शत प्रतिशत उत्पादन कर रहा है अथवा 2, प्रतिशत 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत या 90 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है ? यदि इसका उत्पादन कम है तो उसका क्या कारण है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता 30,000 टन है तथा उसमें 1963 में उत्पादन आरम्भ हुआ था । इसका आरम्भिक उत्पादन 6,900 टन था तथा 1968 में इसका उत्पादन बढ़ कर 25,000 टन हो गया । यदि आप इन आंकड़ों की गणना करें तो आपको इसके वर्तमान उत्पादन और इसकी अधिष्ठापित क्षमता की प्रतिशतता का पता लग जायेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The hon. Minister has just now stated that there is a shortage of raw materials. May I know whether it is a fact that the prices of molasses are less than that of anything. The prices of the molasses are as cheap as 66 paise per quintal and for that reason certain factories are not interested in producing molasses or in maintaning the stores. And if it is a fact may I know whether the Government will try to increase the prices of molasses to the extent which will be an incentive to the producers and which will encourage the people to have a proper storage of molasses ?

श्री दा० रा० चव्हाण : शीरे का उत्पादन चीनी के उत्पादन पर आश्रित है । जैसा कि मैंने निवेदन किया था वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में चीनी का उत्पादन बहुत कम रहा। 1966-67 में चीनी उत्पादन केवल 22 लाख टन हुआ था तथा 1967-68 में 24 लाख टन ।

Shri Maharaj Singh Bharti : When so much wastage is there how can the production increase ?

श्री दा० रा० चव्हाण : रखरखाव के सभी यत्न किये गये हैं । मुझे भाण्डागार आदि से सम्बन्धित सभी स्थितियों का पता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या शीरे का कृत्रिम रबड़ से कोई सम्बन्ध है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी हां औद्योगिक मधसार के उत्पादन के लिये शीरा मूल रूप से कच्चे माल के रूप में काम आता है तथा कृत्रिम रबड़ के लिये औद्योगिक मधसार ही मूल कच्चा माल है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. speaker, Sir, in my district there are 9 sugar factories and nearly about 4-5 crores of maunds sugarcane is produced there. Alcohol is also produced in the Narkalia Sugar Factory.

Mr. Speaker : Let him put a clear question.

Shri Bibhuti Mishra : And it is sent to Bengal. But alcohal is not being exported due to the heavy burden of taxes on it. As a result of which the molasses is being thrown away. In the circumstances, may I know whether the Government propose to provide certain factories in connection with the export of alcohol to the producers of this commodity so that molasses could be utilised for producing spirit ?

श्री दा० रा० चव्हाण : राज्य सरकारें इस मामले में पूरी सावधानी बरत रही हैं । शीरा राज्य सरकारों के नियन्त्रण में है तथा वे हर सम्भव सावधानी बरत रही हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : बरेली की कृत्रिम रबड़ कारखाने की क्षमता 30,000 टन रबड़ उत्पादन करने की है । काम की कमी के कारण कारखाने के सामने ताला बन्दी की समस्या खड़ी है अतः क्या सरकार उस कारखाने को अपने अधिकार में लेने की सोच रही है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह सच नहीं है । इस वर्ष

कारखाने ने उत्पादन करना आरम्भ किया है तथा जनवरी से मार्च तक की अवधि में उसमें 15,000 टन कृत्रिम रबड़ का उत्पादन किया है ।

गृह-निर्माण ऋण सम्पर्क सड़कों के निर्माण तथा पेय जल योजनाओं के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मांगा गया धन

*456. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में मकानों के निर्माण तथा गृह-निर्माण ऋण देने के लिये कितनी राशि मांगी गई है ;

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र के गांवों को चण्डीगढ़ से मिलाने वाली सड़कों के निर्माण के लिये कितनी राशि मांगी गई है ;

(ग) चण्डीगढ़ पेय जल योजनाओं के लिये कितनी राशि मांगी गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन मांगों को पूरा करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री म० ला० सोंधी : इन माननीय मन्त्री से हमें हमेशा इसी प्रकार के उत्तर मिलते हैं ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : इस प्रकार की टिप्पणी करना अनुचित है ।

श्री म० ला० सोंधी : हमें हमेशा ऐसे ही उत्तर मिलते हैं । हमारे धैर्य की भी सीमा है । मैं एक नहीं बीसियों ऐसे प्रश्न गिना सकता हूँ जिनके उत्तर में माननीय मन्त्री ने इसी प्रकार के शब्द कहे हैं । क्या हमसे यही आशा की जाती है कि हम शांत बैठे रहें ।

श्री के० के० शाह : प्रश्न यह है कि चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिये चंडीगढ़ प्रशासन ने भवन निर्माण तथा भवन निर्माण के लिये दिये जाने वाले ऋण के लिये कितनी धन राशि की मांग की है । हमारा विचार था कि यह सूचना गृह-कार्य मंत्रालय को मिल गई होगी । बाद में यह ज्ञात हुआ कि गृह-कार्य मंत्रालय के पास भी इस बारे में कोई सूचना नहीं है । अब हम अन्य विभागों से यह सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा ज्यों ही हमें सूचना प्राप्त होगी हम उसे प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री म० ला० सोंधी : इसका उल्लेख उत्तर में भी कर देना चाहिये था ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या मैं अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न किस पर पूछेंगे ? मन्त्री महोदय कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने चण्डीगढ़ के बारे में सूचना मांगी थी और यदि मन्त्री महोदय ने आज प्रातःकाल भी सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया होता तो उन्हें चण्डीगढ़ से भी अब तक

सूचना मिल गई होती। चण्डीगढ़ में मकानों की भारी समस्या है। 10 हज़ार सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी मकान नहीं मिले हैं। उन्होंने आवास के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं किन्तु उन्हें आवास नहीं मिले। होटलों का भी पर्याप्त संख्या में निर्माण नहीं किया गया है और इसका परिणाम यह है कि विद्यार्थियों को एक कमरे के लिये 60-70 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। मकानों की भारी समस्या को देखते हुये चण्डीगढ़ प्रशासन ने यह निश्चय किया था कि वे 10,000 मकान बनायेंगे। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार चण्डीगढ़ प्रशासन को इन मकानों के निर्माण के लिये पर्याप्त धन राशि देने को तैयार है ?

श्री के० के० शाह : हमारा विचार था कि हमें सामान्य रूप से सूचना उपलब्ध हो जायेगी। अतः हमने पहले चण्डीगढ़ प्रशासन से ही विचार विमर्श किया। किन्तु जब चण्डीगढ़ प्रशासन ने कहा कि हमें सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा तो हमने फिर गृह-कार्य मंत्रालय से बात चीत की। गृह-कार्य मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न मन्त्रालय इस बारे में कार्य कर रहे हैं और इसी कारण अब हम विभिन्न मन्त्रालयों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एक सरकारी उपक्रम के एककों के लिए स्थान

*452. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में किसी सरकारी उपक्रम के विभिन्न एककों की स्थापना के स्थानों को निश्चित करने की नीति पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार अलग-अलग स्थानों पर एककों की स्थापना से पैदा होने वाली आयोजन कार्य क्रमों और अन्य प्रकार के सम्बन्धित प्रबन्धों सम्बन्धी विशेष समस्याओं की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक ही उपक्रम विशेष के अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किये गये सभी एककों में सामान्य प्रयोग की तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय नियंत्रण तथा समन्वय करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के सभी एककों के खरीद सम्बन्धी सभी कार्यों का केन्द्रीयकरण करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय सारे सम्बद्ध तकनीकी-आर्थिक विचारों जिनमें बुनियादी कच्चे माल की उपलब्धि और कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं के परिवहन की लागत तथा अन्य सम्बद्ध बातों जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों के सन्तुलित विकास का ध्यान रखने के बाद किया जाता है।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य उन बहुल-एकक उपक्रमों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी अलग-अलग प्रायोजनाएँ विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। जैसा कि उत्तर के भाग (क) मे बताया गया

है ऐसे मामलों में अलग अलग प्रायोजनाएँ बहुत सी बातों को ध्यान में रख कर स्थापित की गयी हैं। इन बातों में एक बात यह है कि बुनियादी कच्चा माल प्रायोजना-स्थल के निकट मिलता हो। इसलिए इन मामलों में भी बुनियादी कच्चे माल के सम्बन्ध में विशेष समस्याओं का सवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन, कुछ और भी महत्वपूर्ण सामग्री है जो बुनियादी कच्चे माल की श्रेणी में नहीं आती है। इन मामलों में प्रायोजनाओं को आयोजन, कार्यक्रमों के निर्धारण और उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु इन समस्याओं का सम्बन्ध इस बात से नहीं है कि सम्बद्ध प्रायोजनाएँ किन-किन स्थानों पर स्थित हैं क्योंकि चाहे प्रायोजनाएँ कहीं भी स्थित हों, ये समस्याएँ पैदा होंगी ही।

(ग) और (घ) : सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध संसदीय समिति ने अपनी "सरकारी उपक्रमों में सामग्री और प्रबन्ध" नामक 40 सवीं रिपोर्ट (तीसरी लोक-सभा) में ये विचार प्रकट किये थे कि किसी एक उपक्रम के, जिसके कारखाने विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये हों, कारखानों के बीच (i) आम इस्तेमाल की वस्तुओं और (ii) आयात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय नियंत्रण/अथवा समन्वय होना चाहिए। उक्त समिति के अनुसार यद्यपि इन सब मामलों में की जाने वाली खरीद के सम्बन्ध में पूर्ण केन्द्रीकरण सम्भव नहीं है, फिर भी सम्भरकों, मूल्यों और खरीदारी के तरीके निर्धारित करने आदि के मामले में पर्याप्त केन्द्रीय नियंत्रण रखा जाना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संसदीय समिति का "केन्द्रीय नियंत्रण" से अभिप्राय निस्सन्देह बहुल-एकक उपक्रम के शीर्ष संगठन के नियंत्रण से था न कि भारत सरकार के नियंत्रण से ; भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण न तो सम्भव है और न ही वांछनीय। जहाँ कहीं सम्भव हो अपने कारखानों में केन्द्रीय नियंत्रण/समन्वय लाने के सम्बन्ध में जाँच करने के उद्देश्य से सरकारी उपक्रमों के मार्ग-दर्शन के लिये समिति के विचारों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस समय भी बहुत से बहुल-एकक उपक्रमों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ प्रकार के माल की खरीद के बारे में केन्द्रीय आयोजन पद्धति अपना ली है।

Aid from Great Britain for Relief and Development Works

*457. **Shri Himatsingka** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the estimated amount likely to be received by India from Great Britain in Indian currency and in foreign exchange as aid for relief work and development works during the financial year 1969-70 ;

(b) whether Government would have to pay interest thereon ; and

(c) if so, the rate of interest to be paid and the number of instalments in which the amount would be repaid ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : The U. K. Government has pledged an amoun of 38 million pounds (equivalent to Rs. 68.4 crores) to India for 1969-70 which will cover debt relief, imports of a wide variety of maintenance goods and capital goods including for projects. The loan (s) will be interest-free and in pounds sterling. Repayment will also be in pounds sterling, in 36 half-yearly instalments, payable in 25 years inclusive of an initial grace period of 7 years.

विदेश यात्राओं के लिए संसद सदस्यों को दी गयी विदेशी मुद्रा

*458. **श्री जय सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिनको 1968 के उत्तरार्द्ध में अपने कार्य के लिये अथवा सरकारी कार्य के लिये अथवा विदेशों से निमंत्रण पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गयी थी तथा उनकी यात्राओं का क्या प्रयोजन था ; और

(ख) उन पर पृथक्-पृथक् कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

प्रधान मन्त्री, वित्तमन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1613/69] यह उल्लेखनीय है कि यह विवरण पहली जुलाई, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में दी गयी मजूरियों के आधार पर तैयार किया गया है। चूंकि यात्रा के बाद कोई जांच नहीं की जाती है इसलिये वास्तविक यात्रा और दी गयी विदेशी मुद्रा में से वस्तुतः इस्तेमाल की गयी रकम विवरण में दिये गये ब्यौरे से भिन्न हो सकती है।

राजस्थान में चट्टानी फास्फेट के भण्डार

*459. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बड़ी मात्रा में चट्टानी फास्फेट के निक्षेप पाये गये हैं, जो अनुमानतः 40 से 50 करोड़ मीट्रिक ट्रन है ;

(ख) क्या इतनी बड़ी मात्रा में फास्फेट पाये जाने से राज्य में उर्वरक बनाने के और कारखाने स्थापित हो सकेंगे जो कि अन्य बातों के साथ-साथ आयात का खर्च भी कम करेंगे और प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या चतुर्थ योजना की अवधि में फास्फेट संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने तथा राजस्थान में अधिक उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिये योजनाएं बनाई गई हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा खान और भूविज्ञान निदेशालय, राजस्थान, द्वारा किये गये भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण के दौरान राजस्थान में 590 लाख मैट्रिक टन की अनुमानित राशि के रॉक-फास्फेट के विस्तृत निक्षेपों का पता लगाया गया है।

(ख) और (ग) : निक्षेपों की अभी भी जांच की जा रही है। सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने, अब तक उपलब्ध आधार सामग्री के आधार पर, राजस्थान में पता लगाये गये रॉक-फास्फेट तथा पाइराइट के निक्षेपों का उपयोग करते हुए सलादीपुरा या उदयपुर स्थान पर एक उर्वरक उद्योग समूह के स्थापित करने की सम्भावना सूचित की है। निक्षेपों के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने के उपरान्त ही इस प्रकार के उद्योग समूह की स्थापना पर विचार किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने, इसी बीच में, अगले 12 महीनों में प्रति दिन 2000 मैट्रिक टन रॉक-फास्फेट का उत्पादन करने तथा अब से लगभग 3 वर्षों में 4000 मैट्रिक टन प्रति दिन तक इसे बढ़ाने की एक योजना प्रस्तावित की है। देश में इस रॉक-फास्फेट का जिस मात्रा तक उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग किया जायेगा उसी सीमा तक विदेशी मुद्रा की बचत होगी। स्वदेशीय रॉक-फास्फेट के उपयोग किये गये प्रत्येक मैट्रिक टन पर लगभग 150/- रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

Allotment of Government Accommodation to private persons in Delhi/New Delhi

*160. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri J. Sundar Lal : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Government residential buildings/quarters in New Delhi and Delhi have been allotted to private persons at present ;

(b) if so, the names of the persons to whom the building/quarters have been allotted and on what grounds ; and

(c) the rate of rent charged from these persons ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : A statement showing the names of private persons who have been allotted Government accommodation under the control of Directorate of Estates in Delhi/New Delhi, reasons for allotment and the rent being charged from them is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1614/69).

मैंगनीज अयस्क उद्योग में संकट

*461. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री जुल्फिकार अली खां :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री अजमल खां : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क उद्योग को निर्यात के क्रयादेश न मिलने के कारण बहुत गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या बहुत सी खानें पहले ही बन्द हो चुकी हैं तथा बहुत सी अन्य खानें बन्द होने वाली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मैंगनीज अयस्क के लिये नये निर्यात बाजारों का पता लगाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मूल्यों में गिरावट तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेबोन, ब्राजील आदि देशों से बढ़ी हुई प्रतियोगिता के कारण से मैंगनीज अयस्क के निर्यात का बाजार कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो में प्राप्त विवरणों के अनुसार 1968 वर्ष में मैंगनीज की 50 खानें अस्थायी रूप से निलम्बित हुई तथा 2 खाने स्थायी रूप से बन्द कर दी गई तथा जनवरी से मई 1969 तक की अवधि के दौरान 9 खानों को अस्थायी रूप से निलम्बित किया गया।

(ग) मैंगनीज अयस्क के निर्यात तथा साथ ही आन्तरिक बिक्रियां बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। भारत का खनिज तथा धातु व्यापार निगम मैंगनीज अयस्क के लिये नये बाजारों की खोज कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप मैंगनीज अयस्क पिछले वर्ष उत्तरी कोरिया को

तथा इस वर्ष रूमानिया को निर्यात किया गया। यह दोनों देश भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिये नये बाजार हैं।

चौथी योजना में स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्यों में कमी

*462 **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री प्र० के० देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री दे० अमात :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा चौथी योजना में, देश में स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्यों को 260 लाख किलोवाट से घटा कर 220 लाख किलोवाट कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन लक्ष्यों में कमी करने पर अपना असन्तोष व्यक्त किया है ; और

(ग) क्या इन लक्ष्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इससे देश में औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)।

(क) और (ख) : बिजली सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा संशोधित पांचवें वार्षिक बिजली सर्वेक्षण के अनुसार चौथी योजना के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 260 लाख किलोवाट होनी चाहिए, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में 220 लाख किलोवाट के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। इस मामले पर योजना आयोग से लिखा पढ़ी की गई थी जिन्होंने यह बताया है अतिरिक्त उत्पादन सुविधाएं जुटाने के रास्ते में मुख्य कठिनाई धन की कमी ही है।

(ग) बिजली की कमी से देश में औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी विकास में रूकावट पड़ जाएगी। 220 लाख किलोवाट के लक्ष्य से ऊपर उर्ध्वमुखी संशोधन तभी सम्भव हो सकता है जब इसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो जाए।

कपाड़िया परिवार द्वारा किलिक-निक्सन समवाय समूह को अधिकार में लेना

*463. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री 5 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपाड़िया परिवार द्वारा किलिक-निक्सन समवाय समूह को हथिया लेने के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) कपाड़िया के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

Production of Fertilizers

*464. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Nihal Singh :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of nitrogenous fertilizer was less than half the production capacity and the production of phosphatic fertilizer was less than one fourth of the total capacity of the country during the period from April, 1968 to February, 1969.

(b) if so, the action taken so far in this regard ;

(c) whether the pace of production has compartiverly changed during the last four months ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No Sir. The production of nitrogenous fertilizers in 1968-69 works out to about 78 per cent of the attainable capacity. In the case of phosphatic fertilizers the corresponding percentage is about 60 per cent.

(b) Efforts are being made continuously to improve the production further.

(c) and (d) : Although it is not possible to make a categorical statement on the basis of just one quarter's production, there are signs of the newer plants achieving higher rates of production.

Evasion of Taxes

*465. **Shri Onkar Singh :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Sharda Nand : **Shri Shri Gopal Saboo :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases detected by the Intelligence Wing of the Directorate of Inspection, Income-tax Department during the last two years in which the amount of tax evaded exceeded Rupees five lakh in each case ;

(b) the names and addresses of those Incom-tax evaders and the amount of Income-tax evaded in each case ; and

(c) the number of cases out of them in respect of which assessments have been completed and the names of the parties against whom criminal suits have been filed along with the amount of Income-tax involved in each case ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) During the financial years 1967-68 and 1968-69, Intelligence Wing has reported 68 cases in which tax evasion was estimated to be in excess of Rs. 5 lakhs. On the basis of the reports of the Intelligence Wings alone, it cannot be concluded that tax has been evaded. The evidence collected by the Intelligence Wing has to be put to the assessees by the assessing officers. It is only on completion of the assessment that a firm estimate of tax evaded can be made. Assessments in many of these cases are still pending.

(b) In view of the position explained in reply to part (a) above, it is not possible to furnish the information in respect of all such cases until the assessments are completed.

(c) Assessments have been completed in the cases of the Ruia group of Bombay and in the case of Madras Bangalore Transport Company and its partners. Tax evaded by the former group was Rs. 8,94,576/- and by the latter Rs. 12,76,925/-. Prosecutions were launched in both these cases. In the former group of cases prosecutions are pending before

the courts, while the prosecutions in the latter group were compounded on payment of a fee of Rs. 5,00,000/-.

Programme of Generating Hydro-Electricity

*466. **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri G. G. Dixit :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ten times more hydro-electricity can be generated as compared to the electricity being generated at present ; and

(b) if so, the reasons for adopting a small programme of generating hydro-electricity ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, Sir. At present only one tenth of the available hydro power potential in the country has been developed.

(b) Hydro power potential is not uniformly distributed in the country. Also it is best used as a peaking power. It is necessary, therefore, to develop simultaneously thermal and nuclear power to meet effectively the growing demands for power in the various regions. The installed generating capacity of hydel power stations has increased from 0.56 million kw by end of 1 50 to about 5.9 million kw by end of 1968-69, indicating significant progress in the development of hydro power in the country. Hydro power is at present 46 per cent of the total power produced.

कोयाली तेल शोधन-शाला में गैस जलाना

*467. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में कोयाली के सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन-शाला में गैस जलाने दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गैस को घरेलू कार्यों के लिये उपयोग में लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, सारी शोधनशालाओं की भांति इस शोधनशाला में सुरक्षा हेतु, गैस की कुछ मात्रा उडाई जाती है ।

(ख) तथा (ग) : घरेलू प्रयोग के लिए गुजरात शोधनशाला से तरल पेट्रोलियम गैस (इण्डेन) पहले से ही उत्पादित की जाती है और बेची जाती है ।

Indequate funds to Delhi Development Authority to build Quarters for Jhuggi-Jhonpri Dwellers of Delhi

468. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate money was not made available to the Delhi Government Authority to enable it to build quarters for the jhuggi.jhonpri dwellers ;

(b) the amount of money yet to be paid by Government to the Delhi Development Authority in this regard ;

(c) whether it is also a fact that the work relating to the rehabilitation of jhuggi-jhonpri dwellers of Delhi has been hampered due to this money having not been paid by Government to the Delhi Development Authority and the target fixed for this year could not be achieved ; and

(d) the action taken by Government in this regard and the names of the areas of Delhi whose jhuggi-jhonpri dwellers are likely to be rehabilitated this year ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Funds to the extent of the original estimate of the Jhuggi and Jhonpri Scheme have virtually been made available. But proposals for enlarging the scope of the scheme and almost doubling the outlay have been made and are under Government's consideration.

(b) Against a budget provision of Rs. 90 lakhs for the current financial year, a sum of Rs.62.50 has already been relased to them. The remaining sum of Rs. 27.50 lakhs will also be released during the current financial year, as soon as the audited statement of accounts for the money given to them last year is received and the funds already released to them are utilised.

(c) No Sir.

(d) A list of the areas to be cleared is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1615/69)

The decision in regard to the actual areas to be cleared, from time to time, is taken by the Lieut. Governor of Delhi ; such a decision for 1969-70 has not so far been taken.

Rise in Prices

*469. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri S. Kundu** :
Shri Valmiki Chaudhary : **Shri Yashpal Singh** :
Shri P. M. Mehta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the increase in prices of essential commodities, consumer goods and oils in the current year has been more than that in the previous year ;

(b) if so, the reasons therefor and the percentage of increase in prices during the last year and during the current year so far ; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to stabilise the prices ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) (a) **and** (b) : Yes, Sir. Some price rise during this period is a normal seasonal occurrence but has been accentuated by decline in the production levels of oilseeds, raw cotton and pulses (particularly gram). A statement giving percentage changes in prices of major groups/commodities during the current year (29th March to 19th July, 1969) and the corresponding period of the last year is separately laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1616/69)

(c) Government has been trying to augment supplies by arranging imports of commodities like raw jute, raw cotton and soyabean oil. To accelerate agricultural production, remunerative prices are being guaranteed to the producers. Government has also in hand a sizeable buffer stock of foodgrains. Excess demand is sought to be curbed through fiscal restraints, as well as through tighter control on bank advances and through such devices as

regulation of the level of the stocks of raw cotton to be held by the cotton mills. Besides, a separate machinery exists which keeps prices of 20 essential commodities under constant watch. Under the Essential Commodities Act 1955, State Governments and Union Terriories have powers to regulate the distribution and prices of essential commodities.

भारतीय उर्वरक निगम के उत्पादन लक्ष्य

*470. **श्री सीता राम केसरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने 17 वर्ष के बाद भी उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) : भारतीय उर्वरक निगम के 5 कारखाने उत्पादन कर रहे हैं ; जिन में से सिन्दरी उर्वरक कारखाना केवल एक ऐसा कारखाना है जो 17 साल से उत्पादन कर रहा है। इस कारखाने ने 1955-56 से 1957-58 तक और 1962-63 से 1966-67 तक के वर्षों में लगभग लक्षित क्षमता को प्राप्त किया। सही प्रकार के जिप्सम और कोयले की अप्राप्ति तथा कुछ सन्यन्त्रों के परिचालन में कठिनाई के कारण उत्पादन में (तब से) गिरावट हुई है।

(ग) कई सालों से सिन्दरी में उत्पादन को अधिकतम स्तर पर लाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। अक्टूबर, 1966 में दो अतिरिक्त लीन गैस जनरेटरज चालू किये गये; जिनके परिणाम स्वरूप नाईट्रोज के रूप में कारखाने की उत्पादन क्षमता में 10,000 मीटरी टन की वृद्धि हुई। नेफथा गैसीकरण की एक योजना, जिससे क्षमता नाइट्रोजन के रूप में 10,000 मीटरी टन की और वृद्धि होगी, लगभग पूरी तथा शीघ्र ही चालू होने वाली है। इसके अलावा, पाइराइटस से उत्पादित सल्फयूरिक एसिड से अमोनिया के प्रत्यक्ष निराकरण से अमोनिया सल्फेट का भी उत्पादन किया जाना है। इसके अतिरिक्त कारखाने की उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए, सिन्दरी रैशनेलाईजेशन स्कीम के नाम की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ सलाहकार मिशन द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम मूल्यांकन

*471. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री प० मु० सईद :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत में परिवार नियोजन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सलाहकार मिशन ने पेरिस में 'भारत सहायता' कंसोर्शियम को प्रस्तुत किये गये अपने अन्तरिम मूल्यांकन प्रतिवेदन में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्य की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान प्रतिवेदन में उल्लिखित इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि जन्म प्रवृत्ति सम्बन्धी मूल आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं तथा उनके स्थान पर प्रयोग में

लाये गये अनुमान भिन्न भिन्न हैं तथा आज तक जन्म रोक सम्बन्धी जो संख्यायें बतायी गयी है उन्हें अधिक से अधिक अनिश्चित अनुमान मात्र ही कहा जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) संयुक्त राष्ट्र सलाहकार मिशन ने भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन सम्बन्धी अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उसमें कुछ त्रुटियां बताई हैं तथा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) यद्यपि यह ठीक है कि देश में जन्म के सांविधिक रजिस्ट्रीकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है तथापि परिवार नियोजन के कारण जन्म रोकने सम्बन्धी आंकड़े कुछ वास्तविक बातों पर आधारित हैं। सरकार पंजीयन में सुधार की समस्या पर विचार कर रही है तथा महत्वपूर्ण आंकड़ों के पंजीयन में सुधार की कुछ दीर्घकालीन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

हल्दिया में उर्वरक कारखाना

*472. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह योजना वापस ले ली गई है जिसके अन्तर्गत मैसर्स फिलिप पेट्रोलियम द्वारा हल्दिया में उर्वरक कारखाना लगाया जाना था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उक्त फर्म को आशय-पत्र भी जारी कर दिया गया है ; और

(ग) इस योजना को वापस लिये जाने के कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) कम्पनी के स्कीम को वापिस लेने के निम्न कारण हैं :

1. अमरीका की मार्किट में धन की कमी।

2. सारे विश्व में उनके डालरों के निवेश में प्रतियोगिता ; और

3. पौण्ड के अवमूल्यन से उत्पन्न अनिश्चियताए।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के विस्तार के लिए अमरीकी सहायता

*473. **श्री एस० आर० दामानी :** **श्री भगवान दास :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने ट्राम्बे के भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की विस्तार परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या शर्तें हैं जिनके अधीन भारत सरकार ने यह सहायता स्वीकार की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। ऋण के द्वारा।

(ख) 10 वर्ष की रियायती अवधि के सहित ऋण की अदायगी 40 वर्षों में होगी। आरंभ के 10 वर्षों में ऋण पर व्याज की दर 2 प्रतिशत वार्षिक होगी और इसके बाद ढाई प्रतिशत वार्षिक।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बिना पारी क्वार्टरों का आवंटन

*474. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बिना पारी मंजूर किये गये क्वार्टरों के आवंटन की लम्बी सूची रखी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बीमारी के आधार पर आवंटन की मंजूरी के बारे में पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो बीमारी के आधार पर मंजूर किये गये आवंटन के मामलों पर पुनर्विचार करने के क्या कारण हैं और नए डाक्टरी प्रमाणपत्र मांगने की क्या आवश्यकता है ; और

(घ) आवंटन, विशेषकर टाइप 2 के क्वार्टरों का आवंटन, कब तक किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जहां तक दिल्ली। नई दिल्ली में सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है, फिलहाल 532 मामले ऐसे हैं जिनमें बिना बारी के आवंटन स्वीकृत किए जा चुके हैं, परन्तु वास्तविक आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) बिना बारी के आवंटन के लिए स्वीकृतियां लगभग डेढ़ वर्ष पहले तक दी गई थीं और प्रत्येक मामले में अब वर्तमान परिस्थितियों के प्रकाश में इन मामलों पर पुनर्विचार करना उचित समझा जाता है।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि इन मामलों में आवंटन कब तक किया जा सकता है। उन पर पुन: विचार करने के बाद, अनुमोदित मामलों में आवंटन, होने वाली सभी रिक्तियों के साढ़े बारह प्रतिशत कोटे में से, इस प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट हैं, किया जायगा।

छोटा नागपुर तथा संथल परगना में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं में विकास करने के लिये बिहार राज्य की बृहत् योजना

*475. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटा नागपुर और संथाल परगना में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं में विकास करने के लिये बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई किसी बृहत् योजना के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बिहार सरकार ने 1959 में राज्य में सिंचाई के लिए एक बृहत् योजना तैयार की थी । छोटा नागपुर और संथाल परगना भी इस योजना में शामिल किए गए थे, जिसमें नई स्कीमों की लागत के संबंध में संथाल परगना के लिए 11.8 करोड़ रुपये और छोटा नागपुर के लिए 20.44 करोड़ रुपये का अनुमान था ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह योजना अब पुरानी पड़ गई है और 1967 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित सिंचाई आयोग से कहा गया है कि वह राज्य के जल संसाधनों के समुपयोजन के लिए व्यापक नीति पर सलाह दे ।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि इस समय इस क्षेत्र में कुछ स्कीमें कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Circulation of Currency Notes and Coins

*476. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Qustion No. 7031 on the 21st April, 1969 and state :

(a) whether the required information regarding the number of curreney notes and coins that were in circulation upto March, 1969 has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ; and

(d) the factors other than the inflation mentioned in reply to part (e) responsible for change in the price index ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(c) A statement is separately laid on the Table of the House,

(c) Does not arise.

(d) As stated in reply to the Unstarred Question No 7031 on 21st April, 1969, variations in money supply and changes in the level of agricultural and industrial production are the major factors influencing trends in prices.

Provisional figures of currency in circulation denomination--wise as at the end of March 1969

(In lakhs of Rupees)

Small coins	118,54
One rupee notes and coins	237,05
Rs. 2 notes	57,06
Rs. 5 notes	271,79
Rs. 10 notes	1,348,76
Rs. 100 notes	1,786,47

	in lakhs of rupees
Rs. 1000 notes	51,59
Rs. 5000 notes	19,01
Rs. 10000 notes	7,73
Total :	3,898,00

हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास तथा चिकित्सा सुविधायें

*477. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों की आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं से सम्बन्धित कठिनाइयों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके निवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या इन आवश्यक सुविधाओं के लिये किन्हीं प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया गया है और यदि हां, तो निर्णय के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से ऐसा कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है ।

Search for Base metals in areas of Madhya Pradesh

*478. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Petrolem and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5460 on the 7th April, 1969 and state :

(a) whether the proposed intensive search for basemetals by means of airborne geophysical mineral survey using modern sophisticated scientific equipments has been completed in Harda, Sleemanabad and other areas of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c) : The proposal to carry out an intensive search for base-metals by means of Airborne Geophysical mineral survey in parts of Harda, Sleemanabad-Sidhi areas of Madhya Pradesh, with French assistance, is still under negotiation.

कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

*479. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता महानगर विकास योजनाओं के लिए समय समय पर भारत सरकार से विशेष सहायता के लिए अनुरोध करती रही है।

(ख) राज्य सरकार ने, चौथी योजना की अवधि में, कलकत्ता विकास योजनाओं पर होने वाले कुल 79.52 करोड़ रुपये के परिव्यय के वित्त प्रबन्ध के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी थी।

(ग) योजना आयोग ने, महा कलकत्ता विकास योजनाओं के लिए चौथी योजना की अवधि में 42.33 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी है। यह रकम, पश्चिम बंगाल के उस योजना-परिव्यय का अंग है जिसके लिए समग्र आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जायगी। राज्यों की योजनाओं के लिए कुल मिलाकर जितनी केन्द्रीय सहायता दी जायगी उस में से पश्चिम बंगाल के हिस्से का निर्धारण करते समय, राज्य की विशेष समस्याओं पर जिनमें महानगर क्षेत्रों की समस्याएँ भी शामिल हैं, पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चौथी योजना की अवधि में, हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण के खर्च को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपये तक की विशेष ऋण-सहायता देने का निर्णय किया गया है।

भाखड़ा परियोजना तथा गंगा नहर के पानी का हिस्सा न दिये जाने के बारे में राजस्थान द्वारा शिकायत

*480. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह शिकायत की है कि बार-बार अनुरोध करने पर भी उसे भाखड़ा परियोजना और गंगा नहर से उसके हिस्से का कई लाख क्यूजेक फुट पानी नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस शिकायत के बारे में कोई जांच की है ; यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने यह मांग की है कि केन्द्रीय सरकार को रावी, ब्यास और सतलज नदियों के हैड वर्क्स को अपने नियंत्रण में लेना चाहिये और यह काम किसी स्वतंत्र प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) राजस्थान से इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि भाखड़ा प्रणाली पर हरियाणा संपर्क बिंदुओं के जरिये उसे सप्लाई होने वाले जल की मात्रा में कमी हुई है। भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड ने इस स्थिति की जांच की है जिससे यह मालूम हुआ है कि यह कमी अल्प मात्रा में थी। बहरहाल, गंग नहर में मांग के अनुसार सप्लाई होती रही।

(ग) और (घ) जी ; हां, उसके अलावा राजस्थान सरकार ने रावी नदी पर हेडवर्क्स के नियंत्रण के लिये कोई ऐसी मांग प्रस्तुत नहीं की है। भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड द्वारा पंजाब से अन्य हेडवर्क्स का नियंत्रण ले लिए जाने का मामला विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के अभ्यावेदन

2921. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दिल्ली में जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भाई-भतीजा वाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें लगाये गये आरोपों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या इन आरोपों की कोई जांच कराई गई है ;

(घ) यदि हां, तो जांच का स्वरूप क्या था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : **(क) और (ख)** : जी, हां । अभ्यावेदनों में जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप थे ।

(ग), (घ) और (ङ) : मामले की जांच-पड़ताल की गई है और सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय फिल्मों का दक्षिण अफ्रीका में चोरी-छिपे से ले जाया जाना

2922. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 में दक्षिण अफ्रीका को फिल्मों के निर्यात पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद कौन-कौन सी फिल्में चोरी-छिपे दक्षिण अफ्रीका भेजी गई हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध का खुला उल्लंघन किये जाने देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकी नाट्यशालाओं को भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन न करने देने के लिये श्री हितेन चौधरी द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही के बावजूद भी वहां पर अभी तक दिखाया जा रहा है ;

(घ) इस कारण गत 5 वर्षों में भारत सरकार को रुपयों में कितने राजस्व की हानि हुई है ; और

(ङ) क्या सरकार इस तस्करी को रोकने के लिये कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्मों के तस्कर निर्यात के किसी मामले का पता नहीं चला है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को सही स्थिति की जानकारी नहीं है ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुये यह सवाल नहीं उठता । भारत से निर्यात की जाने वाली फिल्मों पर कोई सीमा शुल्क लगाने की भी व्यवस्था नहीं है ।

(ङ) इस प्रकार के तस्कर निर्यात की रोकथाम करने के लिये सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पहले ही सतर्क कर दिया गया है।

नई दिल्ली में अपने मकान वाले प्रेस संवाददाताओं को सरकारी क्वार्टर

2923. **श्री जुगल मंडल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं परन्तु जो वैसे क्वार्टर पाने के पात्र नहीं हैं कम किराये पर सरकारी क्वार्टर देने को प्रोत्साहन देती है ;

(ख) प्रेस एसोसिएशन के अनेक उन सदस्यों को जिनके नई दिल्ली में अपने मकान हैं कम किराये पर सरकारी क्वार्टर दिये जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या 'हिन्दू' के एक भूतपूर्व संवाददाता को उसकी जम्मू और काश्मीर सरकार में जन संपर्क परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के बाद भी कम किराये पर प्रेस पूल का क्वार्टर रखने की अनुमति दी गई थी ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रेस सूचना विभाग तथा प्रेस एसोसियेशन से प्रत्यापन तथा आवंटन सम्बन्धी नियमों के पुनरीक्षण का अनुरोध किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) प्राय: अपात्र व्यक्ति सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र नहीं होते और जिन अपात्र व्यक्तियों के अपने मकान दिल्ली में हैं उन्हें कम किराये पर सरकारी वास के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने मान्यताप्राप्त समाचार पत्र संवाददाताओं को आवंटन करने के लिए एक पृथक पूल बना दिया है और मू० नि० के अन्तर्गत सामान्य किराये की अदायगी पर, प्रेस ऐसोसियेशन की सिफारिश पर उनकी बारी पर उन्हें आवंटन किया जाता है।

(ख) मान्यता प्राप्त समाचारपत्र संवाददाताओं को प्रेस एसोसियेशन जो कि अपने सदस्यों की प्रतीक्षा सूची रखते हैं, की सिफारिश पर सामान्य पूल वास का आवंटन किया जाता है। क्योंकि अपना मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास के आवंटन के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतएव समाचार पत्र संवाददाताओं के मामले में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ग) 'हिन्दू' के मान्यता प्राप्त किसी संवाददाता की जम्मू तथा काश्मीर सरकार के पब्लिक रिलेशन एडवाईज़र के रूप में नियुक्त होने की कोई सूचना संपदा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं।

औद्योगिक प्रबन्ध पूल

2925. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रमों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति करने के लिये औद्योगिक

प्रबन्ध पूल के लिये इसके बनाये जाने से अब तक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रति वर्ष कितने अधिकारी चुने गये तथा पूल बनाये रखने पर वार्षिक व्यय कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूल में सरकारी क्षेत्र के चार प्रमुख वर्गों क, ख, ग, तथा घ के उपक्रमों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिये एक नियमित तथा समर्थ संवर्ग बनाने के उद्देश्य से आरम्भ में 200 अधिकारियों का पूल बनाया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों की संख्या अब घटकर 80 रह गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार पूल को समाप्त करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो संक्षेप में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय सरकार के नवम्बर, 1957 के संकल्प के अनुसार गठित औद्योगिक प्रबन्ध पूल से है। 1959-60 में पूल में कुल मिलाकर 130 अधिकारी भर्ती किये गये थे और उसके बाद से इसमें कोई और भर्ती नहीं की गई। कुछ अधिकारियों को छोड़कर, जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, औद्योगिक प्रबन्ध पूल के अन्य सभी अधिकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे हैं और इनके वेतन आदि की अदायगी ये उपक्रम अपने-अपने बजटों में से करते हैं। पूल को बनाये रखने पर कोई अतिरिक्त रकम खर्च नहीं होती।

(ख) औद्योगिक प्रबन्ध पूल सरकार द्वारा सीधे चलाये जाने वाले उपक्रमों या सरकार के नियंत्रण में चलाये जाने वाले अन्य निगमों और कम्पनियों के प्रबन्ध सम्बन्धी वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां करने के लिये बनाया गया था। सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के उच्च स्तरीय पदों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' वर्गों में सूचीवद्ध करने का फैसला सरकार ने बाद में 1965 में किया था और इनके अन्तर्गत प्रायः वे पद आते हैं जिनका वेतन 2000 रुपये या उससे अधिक हो। पूल के कुछ अधिकारियों को अनुसूचित उच्च पदों के लिये भी चुना गया है।

(ग) सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और मृत्यु के कारण औद्योगिक प्रबन्ध पूल के अधिकारियों की संख्या कम होकर 98 रह गई है।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं। पर पूल में और भर्ती करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान अधिकारी पूल में बने रहेंगे और सेवा निवृत्त होने तक सरकारी उपक्रमों में काम करते रहेंगे।

राज्यों में वेसक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी आपरेशनों से मृत्यु

2926. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जून, 1969 को अनन्तपुर में ट्यूबक्टोमी का जो 30 दिवसीय शिविर लगाया गया था उसमें ट्यूबक्टोमी आपरेशन से एक महिला की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसको बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी 'वेसकटोमी तथा ट्यूबक्टोमी' आपरेशनों के कारण लोगों की मृत्यु हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या इन घटनाओं को देखते हुए सरकार इन आपेरेशनों में धीरे-धीरे तथा अधिक सावधानी से कार्य करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) रक्त के दबाव से आकस्मिक कमी के कारण एक रोगी की मृत्यु हो गई थी ।

(ग) तथा (घ) आवश्यक सूचना राज्यों से एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) सरकार इन आपरेशनों के बारे में पूरी सावधानी बरत रही है ।

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देख भाल की जाने वाली लिफ्टें

2927. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में कितनी लिफ्टों की देखभाल की जाती है ;

(ख) इन लिफ्टों की देखभाल के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने मैकेनिक तथा वरिष्ठ मैकेनिक नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) एक मैकेनिक अथवा वरिष्ठ मेकेनिक को औसतन कितनी लिफ्टों की देखभाल का काम सौंपा जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) 212.

(ख) 22.

(ग) जहां तक मुख्य इंजीनियर (एन० डी० ज़ेड०) का संबंध है 8.6 / सी० ई० (डी० ए०) ज़ोन में कोई लिफ्ट मेकेनिक / वरिष्ठ मेकेनिक नहीं लगाया गया क्योंकि छोटी खराबियों को वायरमेन / इलेक्ट्रीशिअन द्वारा देख लिया जाता है तथा बड़ी खराबियों को संभरणकर्त्ता द्वारा ठीक किया जाता है ।

डीजल के धुएं का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

2928. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में चार दोगले कुत्तों पर किये गये परीक्षण से यह सिद्ध हो गया है कि डीज़ल के धुएं से खून में विष भर जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और महानगरों, विशेषकर दिल्ली में, जहां दिल्ली

परिवहन की पुरानी बसों से छोड़े जाने वाले धुएं से मानव रक्त को वास्तविक खतरा है, मानव के सुरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली में प्रयोग किये गये जिनके अन्तर्गत चार स्वस्थ मोगेल कुत्तों को एक कमरे में डीजल के धुएँ में रखा गया और उनकी रक्त कोषाओं तथा रक्त हेमोग्लोबिन पर उसके विपरीत प्रभाव नोट किये गये। साधारण दशाओं में डीजल इंजन द्वारा फेंकी गई धुएँ वाली गैस बाहर वायु मण्डल में हवा द्वारा काफी हद तक घुल-मिल जाती है और मनुष्यों पर उसके हानिकारक प्रभाव अभी सिद्ध हुए हैं। इस विषय पर लन्डन की एक बड़ी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के एक मेडिकल अफसर ने अध्ययन किया और यह पाया कि गराजों में नियुक्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर काफी अधिक समय तक उस धुयें में रहने पर भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि डीजल इंजनों द्वारा फेंके गये धुएँ में जो कार्बन का अत्यधिक अंश होता है उसके ऊपरी श्वास-नली वाले भाग में जलन और कष्ट होता है तथा आंखों में पानी निकल आता है। वर्तमान मतानुसार जहां तक स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभावों का सबंध है डीजल का धुवां पेट्रोल और कोयले के धुएँ से कम हानिकर समझा जाता है किन्तु डीजल के धुएँ से जो अत्यधिक काला धुवां निकलता है और उससे जो दुर्गंध आती है वे उसे अधिक कष्टकर बना देते हैं। दिल्ली परिवहन उपक्रम ने अपने प्रत्येक डीपुओं में और केन्द्रीय कर्मशाला में विशेष स्कवाड रखे हुए हैं। अधिक धुवें फेंकने वाले वाहनों की संख्या सड़क पर कम से कम हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक इंजीनीयर नियुक्त किया गया है। जिसका काम इस सिलसिले में डीपुओं का और केन्द्रीय कर्मशाला के फ्यूल इन्जेकशन रूम के कार्य का निरीक्षण करना है। दिल्ली परिवहन उपक्रम ने नियमित अन्तरालों के बाद निर्धारित मील-दूरी तय करने के उपरान्त वाहनों की देखरख करने के लिए डीपों कर्मशालाओं की अनुदेश भी जारी किये हैं। वाहनों का शेड स बाहर निकालते समय उनकी जांच की जाती है और जो वाहन अधिक धुवां फेंकते हैं उन्हें रोक दिया जाता है और शीघ्र उनको ठीक कर दिया जाता है। फ्यूल-इन्जेक्शन के फालतू पुर्जों की कमी तथा आयातित फ्यूल इन्जेक्शन फालतू पुर्जो के मिलने में विलम्ब के कारण अधिक धुवां फेंकने वाले वाहनों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत हो गई थी। अब चूँकि फालतू पुर्जे मिल गये हैं इसलिए धुएँ वाले वाहनों की संख्या घटकर 5 से 7 प्रतिशत हो गई है। दिल्ली परिवहन उपक्रम अधिक धुवां फेंकने वाले वाहनों को समाप्त करने के लिए यथा संभव प्रयत्न कर रहा है।

सामान्यतया भारत में मोटर गाड़ियों से वायु दूषण की समस्या इतनी गम्भीर नहीं है जितनी अधिक औद्योगिक देशों में है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में लगाई गई पूँजी

2929. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक परियोजनाओं में कितनी पूंजी लगाई गई थी ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूंजी लगाये जाने के बारे में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं —

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख), (ग), तथा (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में सरकारी उपक्रम

2930. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात में कितने सरकारी उपक्रम चलाये जा रहे हैं ;

(ख) वे कब आरम्भ किये गये थे और प्रत्येक के चालू करने पर कितनी लागत आई थी;

(ग) उनमें प्रत्येक में गत वर्ष उत्पादन लागत तथा लाभ अथवा हानि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात में हुई प्रगति शेष देश में हुई औसत प्रगति की तुलना में कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कार्यवाही करने का है जिससे गुजरात देश के अन्य भागों के समान प्रगति कर सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के चालू किये जाने की तारीखों और उन उपक्रमों में कुल सम्पत्ति के रूप में लगायी गयी पूंजी की जो स्थिति 31 मार्च, 1968 को थी उसका ब्यौरा नीचे के विवरण में दिया गया है :

31 मार्च, 1968 को, गुजरात में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का विवरण

उपक्रम का नाम	चालू होने की तारीख	कुल सम्पत्ति का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	1962 (पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादन शुरू हो गया)	46.2
भारतीय तेल निगम	गुजरात रिफाइनरी में मई, 1966 में उत्पादन शुरू हो गया	30.3
राष्ट्रीय लघु उद्योग	1955*	0.7
हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	1968*	0.5
मार्डन बैकरीज (इंडिया)	1968 (अहमदाबाद स्थित एकक में उत्पादन शुरू हो गया)	0.1
		77.8

*(कम्पनी के निगमित होने की तारीख)

(ग) चूंकि केन्द्रीय सरकार की जो प्रायोजनाएं / एकक गुजरात में स्थित हैं वे कई एककों

वाले बड़े उपक्रमों के भाग हैं इसलिये उनके उत्पादन, लागत, लाभहानि की एकक-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। जिन पांच निगमों के एकक गुजरात में स्थित हैं उनके कुल कार्यों के बारे में संगत सूचना इस प्रकार है :

उत्पादन, उत्पादन की लागत और शुद्ध लाभ का विवरण

(लाख रुपयों में)

उपक्रम का नाम	उत्पादन 1967-68	मूल्यह्रास समेत उत्पादन की लागत	शुद्धलाभ (+) हानि (−)
(1)	(2)	(3)	(4)
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	35,22	20,73	(+) 12,79.0
भारतीय तेल निगम	4,35,62	4,20,66	(+) 10,96.0
राष्ट्रीय लघु उद्योग	5,28**	4,48	(−) 0.2
हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	19	28	(−) 9.3
मार्डन बैकरीज (इंडिया) लि०	15	20	(−) 6.8

** ये बिक्री, बट्टा और पार्टियों से प्राप्त ब्याज के द्योतक हैं।

(घ) और (ङ) : सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों में कितनी पूंजी लगायी है। जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा लगायी गयी पूंजी (कुल सम्पत्ति के रूप में) का सम्बन्ध है, 31 मार्च, 1968 को गुजरात में 77.8 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। गुजरात स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में लगायी गयी पूंजी और गुजरात की जनसंख्या का अनुपात यद्यपि कुछ राज्यों की अपेक्षा कम है, फिर भी वह बहुत से अन्य राज्यों से अधिक है।

इस सम्बन्ध में यह बात महसूस की जानी चाहिए कि प्रायोजना को किसी स्थान पर स्थापित करना, कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धि, संचार सुविधा, बिजली और पानी की उपलब्धि, निर्मित वस्तुओं आदि को आसानी से बाजार में बेचने की सुविधा जैसे विभिन्न तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर तथा उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। प्रायोजनाओं को किसी स्थान पर स्थापित करने के बारे में फैसला करते समय इन बातों पर ध्यान पहले भी रखा जाता था और भविष्य में भी रखा जायगा। जहां इस प्रकार की तकनीकी और आर्थिक सुविधायें उपलब्ध होंगी वहां अन्य राज्यों के दावों के साथ साथ गुजरात के दावे पर भी विचार किया जायगा।

बिहार में पन-पन नदी पर बांध का निर्माण

2931. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने मोटेपुर और मुगलापुर के बीच पन-पन नदी पर बांध के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बांध का निर्माण पटना और गया जिलों की लगभग एक लाख कृषि भूमि के लिए लाभदायक होगा ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बांध के लिए पर्याप्त धनराशि मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जा रही है और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) बिहार सरकार पन-पन सिंचाई स्कीम पर विचार कर रही है जिससे लभभग 40,000 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएं मिलने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में प्रतिव्यक्ति अधिष्ठापित विद्युत क्षमता तथा उसकी उपलब्धता

2932. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के समय गुजरात में प्रति व्यक्ति अधिष्ठापित विद्युत क्षमता और विद्युत उपलब्धता कितनी थी तथा इस समय कितनी है और यह अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कितनी है ;

(ख) गुजरात में प्रतिव्यक्ति कम विद्युत उपलब्ध होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विद्युत विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में गुजरात में प्रति-व्यक्ति विद्युत-उपलब्धता अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कितनी होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है ;

	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत (यूनिट)
दूसरी योजना का अन्त		
गुजरात	312	48
अखिल भारत	5650	38
तीसरी योजना का अन्त		
गुजरात	608	78
अखिल भारत	10,170	61
1968-69 **का अन्त**		
गुजरात	618	110
अखिल भारत	14250	76

(ख) गुजरात में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (अर्थात् प्रति व्यक्ति खपत) अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

(ग) चौथी योजना के दौरान गुजरात के बिजली विकास कार्यक्रम में वर्तमान उत्पादन क्षमता से 824 मैगावाट और बिजली उत्पन्न करना परिकल्पित है; जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) धुवरण ताप बिजली केन्द्र विस्तार (2 140 मैगावाट)	280 मैगावाट
(2) उकाई पन-बिजली स्कीम (4 H 75 मैगावाट)	300 "
(3) गैस टरवाईन केन्द्र (2 H 27 मैगावाट)	54 "
(4) तारापुर अणु बिजली केन्द्र से बिजली का आधा भाग	190
कुल	824 मैगावाट

चौथी योजना के अन्त तक गुजरात में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 176 लाख हो जाने की सम्भावना है, जबकि अखिल भारतीय खपत 121 यूनिट है।

महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं के लिए धन का नियतन

2933. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए और अधिक धन देने के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये अतिरिक्त सहायता हेतु महराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Receipt of Foreign Money by non-official Institutions and Individuals

2934. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of the countries from which non-official institutions and private individuals received money during the past two years and the amount thereof, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : Information is being collected and will be laid on Table of the House to the extent available.

Complaints Against worker of welfare Association Sector II, R. K. Puram, New Delhi

2935. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works. Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of complaints have been lodged with the

Directorate of Estates on behalf of the workers of Welfare Associatlon, Sector II, R, K. Puram, New Delhi with a view to harassing the residents ;

(b) if so, the total number of complaints received by the Directorate of Estates from 30th April, 1965 to 30th April, 1969 ; and

(c) the total number of complaints on which action has been taken so far and the number of complaints pending ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) to (c) : 37 complaints have been received in the Directorate of Estates for the period from 30th April, 1965 to 30th April, 1969 from or on behalf of the workers of Welfare Assoication, Sector II, R. K. Puram, New Delhi relating to the subletting of Government residences in that Sector. Out of these, 34 complaints proved pseudonymous. Action has been taken on all the complaints in accordance with the procedure laid down.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2936. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने (1) स्टाक में रखी सभी वस्तुओं का उचित वर्गीकरण करने और उनके नामकरण का मानकीकरण करने ; (2) विभिन्न सांकेतिक संस्था के अन्तर्गत रखी हुई एक सी वस्तुओं की खरीद को रोकने हेतु शीघ्र और निश्चित जांच को सुविधा जनक बनाने के लिये प्रत्येक श्रेणी की वस्तु को एक भिन्न सांकेतिक संख्या देने; और (3) आवश्यक सूची-पत्र तैयार करने और सभी फर्मों को वह उपलब्ध करने के लिये सभी सरकारी उपक्रमों को व्यापक निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को सलाह दी गयी है कि वे स्टाक में रखी सभी वस्तुओं का वर्गीकरण करें, उन्हें संहिताबद्ध करें और उनके नामों का मानकीकरण करें।

(ख) : सामग्री प्रबन्ध से सम्बद्ध किसी भी प्रणाली के अन्तर्गत यह आवश्यक होता है कि स्टाक में रखी सभी वस्तुओं का उनकी समानता और / या उपयोग के अनुसार कई वर्गों / समूहों में वर्गीकरण किया जाय। नामों को वर्गों / समूहों के अनुसार रखने की प्रणाली का मानकीकरण किया जाना चाहिये ताकि एक ही वस्तु या समान प्रकार की वस्तुओं के लिये दो या अधिक नाम न दिये जायं। इस प्रकार वर्गीकृत और मानकीकृत नामों को सूचीपत्र के रूप में रखा जाना चाहिये। संक्षिप्तता, ठीक-ठीक भेद करने और हिसाब रखने के तरीके को आसान बनाने के लिये प्रत्येक वस्तु के लिए एक संहिता-संख्या नियत की जानी चाहिये। संक्षिप्तता, ठीक-ठीक भेद करने और हिसाब रखने के तरीके को आसान बनाने के लिए प्रत्येक वस्तु के लिये एक संहिता-संख्या नियत की जानी चाहिए। प्रत्येक संगठन अपने सूची पत्र में, जिसमें प्रत्येक वस्तु का विशिष्ट विवरण नक्शों सम्बन्धी आवश्यक सन्दर्भ के साथ साथ इसका पूर्ण वर्णन और उसकी संहिता-संख्या दी होती है ; अपनी सुविधानुसार, हिसाब रखने की इकाई, दर, पूर्ति के स्त्रोत स्टाक का वितरण, औसत खपत और स्टाक रखने की सीमा सम्बन्धी सूचना भी दे सकता है। वर्गीकरण, मानकीकरण, संहिताकरण और सूची पत्र तैयार करने का वास्तविक व्यापक ब्यौरा प्रत्येक उपक्रम की वस्तुओं के स्वरूप और उनकी खपत के अनुसार अलग-अलग होता है। इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा

मशीन टूल्स या उर्वरक निगम आदि के लिये उपयोगी नहीं हो सकता। सरकार के लिये न तो यह सम्भव है और न ही वांछनीय कि वह प्रत्येक उपक्रम के लिए वर्गीकरण, मानकीकरण, संहिताकरण और सूचीपत्र तैयार करने का काम करे क्योंकि प्रत्येक उपक्रम स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार वर्गीकरण, मानकीकरण, संहिताकरण और सूचीपत्र तैयार करने की प्रणाली बनाने का काम अच्छी तरह से कर सकता है।

सरकार प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से प्रत्येक उपक्रम पर, वर्गीकरण, मानकीकरण, संहिताकरण और सूची पत्र तैयार करने के महत्व और उनकी आवश्यकता पर पहले ही जोर दे चुकी है। सरकार कुछ विशेष प्रोफार्मों में प्रत्येक उपक्रम से प्रगति रिपोर्ट मांगकर, इस सम्बन्ध में उस उपक्रम द्वारा की गयी प्रगति पर नजर रख रही है। सरकार, तालिकागत सामान के स्तरों, ए० बी० सी० विश्लेषण, आर्थिक दृष्टि से स्टाक के स्तरों आदि के प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2937. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को कोई सामान्य निर्देश जारी किये गये हैं कि वे किसी विशिष्ट ग्राहक के लिये विशेष रूप से निर्माण की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण आरम्भ करने से पहले ठेकेदारों के साथ करार करने के प्रयास करने और ग्राहक द्वारा समय पर माल न उठाये जाने पर गोदाम शुल्क वसूल किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जैसा माननीय सदस्य का विचार है, औपचारिक रूप से ऐसी कोई सामान्य हिदायतें, जारी नहीं की गयी हैं। हां, किसी प्रायोजना की क्रियान्विति का अनुमोदन करते समय इस बात पर पूरी तरह से विचार किया जाता है कि तैयार की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं की काफी मांग होगी या नहीं। इस संबध में सभी उपक्रमों का ध्यान और बातों के साथ-साथ इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि सभी प्रायोजनाओं का व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन योजना आयोग द्वारा बताये गये उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिनमें मांग के स्वरूप का ब्योरेवार अनुमान तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कारखानों के उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गयी वस्तुओं को कारखानों से उठाने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वचनों को औपचारिक रूप देने के लिये और कार्रवाई करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। जहां तक कार्यक्रम के अनुसार माल न उठाने पर गोदाम-शुल्क लगाने का सम्बन्ध है, उत्पादकों द्वारा यह शुल्क वसूल करना उपयुक्त ही होगा।

सरकारी उपक्रम का कार्यसंचालन

2938. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात का निश्चय करने के लिये कि देश के अनेक भागों में सरकारी उपक्रम औद्योगिक संकल्प नीति के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश के सभी सरकारी उपक्रमों की विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं में उच्च प्रबन्धकीय पदों में सम्बन्धित राज्यों के कितने प्रतिशत लोग हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं की स्थापना सरकार के औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिये स्थान निर्धारित करते समय, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के दावों को ध्यान में रखा गया है, यदि अत्यावश्यक तकनीकी और आर्थिक आधारभूत सिद्धान्तों को न छोड़े बिना ऐसा किया जा सका हो।

(ख) सरकारी उपक्रमों में उच्च प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि अपेक्षित प्रतिभा और अनुभव वाले लोगों को नियुक्त किया जाए, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हों।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

यूरिया की खपत को लोकप्रयि बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

2939. **श्री अदिचन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उर्वरक कारखानों में उत्पादित यूरिया को उपभोक्ता खरीद नहीं रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कारखानों में कितना यूरिया अप्रयुक्त पड़ा है तथा यूरिया के प्रयोग का प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी नहीं ; सिवाये नयेवली उर्वरक कारखाने के, जहां, पर 30-7-1969 को यूरिया का 21053 मीटरी टन स्टाक था। मैसर्स नय्वैली लिगनाइट कारपोरेशन ने स्टाक जमा हो जाने के कुछ कारण तामिलनाडू में सूखे की स्थिति और आयातित उर्वरकों के स्टाक बताये हैं। स्टाक्स को समाप्त करने के लिए कम्पनी विक्रय को बढ़ाने में विशेष कदम उठा रही है और चालू कृषि सम्बन्धी कार्यों के शुरू होने से स्थिति में सुधार होने की आशा है।

रद्दी धातु की खपत

2940. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्ची धातुओं -- अलौह तथा अन्य -- की कुल खपत कितनी हैं ;

(ख) क्या इसकी बहुत बड़ी मात्रा का अधिक उन्नत औद्योगिक देशों को निर्यात किया जाता है, जो इस रद्दी से उपयोगी वस्तुएँ तैयार करते हैं और बहुत अधिक मूल्यों पर भारत को वापस बेच देते हैं जिससे विदेशी मुद्रा का संकट अधिक गम्भीर हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस रद्दी धातु को उपयोग करने पर गम्भीरता से विचार करेगी और मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) तक -- सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक उपक्रमों में श्रेणी एक के अधिकारी

2941. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों में श्रेणी एक के कुल कितने अधिकारी हैं; और

(ख) उनमें कुल कितने हरिजन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों में अधिकारियों को सामान्यतः श्रेणियों में नहीं बाँटा जाता है। केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के समान वर्गों के अधिकारियों की संख्या 1968 से लगभग 42,000 थी।

(ख) हरिजनों को सरकार ने विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है, लेकिन वे अनुसूचित जातियो में शामिल किये गये हैं। चूंकि हरिजनों को एक अलग समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिये उनकी नियुक्तियों के संबंध में आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

सरकार ने सरकारी उपक्रमों को सलाह दी है कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उसी प्रकार पद सुरक्षित रखें जायं जैसा सरकारी नौकरियों के बारे में किया जाता है। बहुत से उपक्रमों ने इस संबंध में पहले ही आवश्यक तरीके अपना लिये हैं और अन्य उपक्रमों के साथ इस मामले पर आगे लिखा-पढ़ी की जा रही है।

लघु खनिज (माइनर मिनरल्स) सम्बन्धी पुनर्विचार का मामला

2942 : **श्री यशपाल सिंह** : **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु खनिज (रेत) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से पुनर्विचार का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विरोधी पक्षों द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं पर अपनी टिप्पणी दायर कर दी है ; और

(ग) याचिकाओं पर क्या फैसला किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) जी, हां। पुनरीक्षा आवेदन पत्र विचाराधीन है।

(ख) तीन मामलों में विपक्षी दलों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

(ग) सभी मामलों की जांच की जा रही है।

विश्व बैंक में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाना

2943. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विश्व बैंक द्वारा अधिक अर्थशास्त्री तथा इंजीनियरों आदि की

भर्ती से अपने कर्मचारियों में 20 प्रतिशत वृद्धि करने के बारे में विश्व व्यापक अभियान की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगारी का सामना करने हेतु भारतीयों को ऐसे रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विश्व बैंक अपने बढ़ते हुए काम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। लेकिन ऐसी वृद्धि का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं रखा गया है।

(ख) भारत सरकार को विश्व बैंक से विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिक और अव्यावसायिक कर्मचारियों के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं और तकनीकी सक्षमता और पदों की आवश्यकताओं के आधार पर नियुक्ति के लिए बैंक को उम्मीदवारों के नाम भेज दिये जाते हैं।

नई दिल्ली में कोटला मुबारकपुर का विकास

2944. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली का कोटला मुबारकपुर का क्षेत्र देश की राजधानी में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र को जिसको देश की राजधानी के विकास के लिए अर्जित कर लिया गया था, मूल निवासियों की दयनीय स्थिति के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए वह उस क्षेत्र में गये हैं अथवा जाने का विचार है ; और

(ग) सरकार ने कोटला मुबारकपुर के विकास तथा वहां के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मकान, पानी और सफाई के बारे में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० पू० मूर्ति) : (क) यह ठीक है कि क्षेत्र में सेवाएं तथा कम्यूनिटी सुविधाएं घटिया प्रकार की हैं।

(ख) जी, हां। मैं गया था। पुनः जाने का विचार है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने अभी हाल ही में कोटला मुबारकपुर के पुनर्विकास की व्यापक योजना का अनुमोदन किया है, जिसमें उचित 'सर्कुलेटिंग सिस्टम' तथा पार्क, खुले स्थान, विद्यालय, दुकानों की सुविधाओं, जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। निगम अनुमोदित योजना के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों तथा व्यापारिक क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत पुनर्विकास योजना तैयार करने का विचार रखती है। इस क्षेत्र के एक भाग में वाटर सप्लाई तथा सीवेज डिस्पोज़ल अण्डरटेकिंग भी पानी और सीवर की लाइनों की व्यवस्था करने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कांटेदार तारों का प्रयोग

2945. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में इण्डिया गेट, मन्त्रियों के निवास स्थानों, सार्वजनिक उद्यानों आदि स्थानों में कांटेदार तार के प्रयोग में हाल में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या कांटेदार तार का प्रयोग एक पुरानी तथा अनावश्यक बात है और इससे पर्यटक चिढ़ सकते हैं तथा नाराज हो सकते हैं ; और

(ग) नई दिल्ली में कांटेदार तार के प्रयोग को कम अथवा समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नई दिल्ली में अभी हाल में कांटेदार तार के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) कांटेदार तारों की बाड़ का प्रयोग सुरक्षा कारणों से, अथवा अनधिकृत व्यक्तियों या पशुओं के अतिक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है । इस का प्रयोग न्यूनतम संभव सीमा तक किया जा रहा है । अतएव इससे पर्यटकों के चिढ़ने या नाराज होने की संभावना नहीं है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी की आयातित गेज के इस्पात की चादरों की सप्लाई

2946. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय तेल निगम ने टेंडर संख्या ओ० पी० टेन--7/65 के क्रयादेश का बकाया माल पूरा करने के लिये मेसर्स हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को 18 गेज के इस्पात की 500 टन चादरें सप्लाई की थीं परन्तु उपर्युक्त फर्म ने भारतीय तेल निगम को 18 गेज इस्पात के स्थान पर 20 गेज इस्पात के बैरल सप्लाई किये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम को इससे बहुत नुक्सान उठाना पड़ा क्योंकि 20 गेज के इस्पात बैरलों में अधिक तेल भरा गया था जिसके लिये वे अपने ग्राहकों से अधिक मूल्य नहीं प्राप्त कर सके ;

(ग) यदि हां, तो उनको कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात की पूरी जांच करवाने का है कि उपर्युक्त फर्म ने 18 गेज आयातित इस्पात की चादरों का क्या किया और उन्होंने 20 गेज इस्पात की चादरें कहां से प्राप्त कीं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या जांच का परिणाम सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय तेल निगम ने मेसर्स हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को क्रयादेश का बकाया माल पूरा करने के लिये 18 गेज के आयातित इस्पात की लगभग 600 मीटरी टन चादरें सप्लाई की थी । मेसर्स हिन्द गेल्वेनाईजिंग ने हल्के गेज के इस्पात की चादर से बने केवल 11 बेरल सप्लाई किये थे । इन्हें 18 गेज के इस्पात की चादरों से बने

बेरलों से बदल दिया गया है। आयातित इस्पात की चादरों की इस सप्लाई से विनिर्देशों के अनुसार बाकी बैरल तैयार और सप्लाई कर दिये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) मामला विचाराधीन है।

स्टेट बैंक द्वारा प्रत्याभूतियां (सिक्योरिटीज़) जमा कराये बिना उद्यमकर्ताओं को ऋण

2947. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का स्टेट बैंक एक नई योजना चलाने के लिये सहमत हो गया है जिसके अन्तर्गत प्रत्याभूतियां जमा कराये बिना उद्यमकर्ता 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं जब कि अब तक प्रत्याभूतियां जमा कराना आवश्यक था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना सभी राज्यों में चलाई जायगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्यों में विशेषकर राजस्थान में यह योजना कब तक लागू की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई, 1967 में देश में स्थित अपनी सभी शाखाओं में एक योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य उन योग्य उद्यमकर्ताओं के लिए धन का प्रबन्ध करना है जिनकी प्रायोजनाएँ उपयोगी हों और जिनमें उन प्रायोजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने की योग्यता हो, परन्तु जिनके पास उन प्रायोजनाओं में सामान्य शेयर पूंजी लगाने के लिए साधन न हों। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों ने भी अप्रैल, 1968 में यह योजना शुरू कर दी थी। किसी एक उद्यमकर्ता को, उसकी सभी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जिनमें उसकी अपनी सामान्य शेयर पूंजी भी शामिल है, पहले एक लाख रुपये की सीमा तक ऋण देने की व्यवस्था की गयी थी। अब यह सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपया कर दी गयी है। अगर किसी प्रायोजना से एक से अधिक योग्य व्यक्तियों का सम्बन्ध हो, तो भारतीय स्टेट बैंक अपने विवेकानुसार उन्हें तीन लाख रुपये तक का ऋण दे सकता है। उद्यमकर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह उस ऋण से प्राप्त की जाने वाली सभी परिसम्पत्ति को स्टेट बैंक के पास ऋण की प्रमुख प्रतिभूति के रूप में रखे।

यह योजना सभी राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों में शुरू से ही चल रही है।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण बन्द किया जाना

2948. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण बन्द हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में 16 वर्ष से अधिक समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को भी अभी तक क्वार्टर अलाट नहीं किये गये हैं ;

(ग) क्या क्वार्टरों के निर्माण न किये जाने का एक कारण धन की कमी होना भी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को उचित प्रोत्साहन देकर इस कार्य को पूरा करने के लिये आमंत्रित करने की वांछनीयता के बारे में विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1968 के आवंटन वर्ष के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर टाईप I तथा II के अधिकारी सभी सरकारी सर्मचारियों को जिन्होंने 16 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है तथा जिन्होंने आवंटन के लिए आवेदन किया है, को सरकारी वास आवंटित कर दिये गये हैं । टाईप III तथा IV के अधिकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिन्हें सामान्य पूल वास आवंटित नहीं हुआ है यद्यपि उन्होंने 16 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है । 800 रुपये तथा इससे अधिक की प्रतिमाह परिलब्धियां लेने वाले तथा टाईप V और इससे ऊपर के टाइप के पात्र अधिकारियों के मामले में सरकारी वास के आवंटन के लिए आवेदनों में संपदा निदेशालय के द्वारा नियुक्ति की तारीख नहीं मांगी जाती । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि इन टाईपों में ऐसे कुछ सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं जिन्होंने 16 वर्ष की सेवा कर ली है तथा उन्हें सरकारी वास आवंटित नहीं किया गया है ।

(ग) क्वार्टरों के निर्माण की दर में अपेक्षाकृत कमी मुख्यतः साधनों की कमी के कारण हैं ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Construction of Government Quarters in Delhi during 1969-70

2949. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri J. Sundar Lal : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of quarters of each type proposed to be constructed for Government servants in New Delhi and old Delhi during the year 1969-70 ;

(b) the localities in which the quarters will be constructed ; and

(c) the number of quarters on which the work has been started under the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) and (b) The information is given below :

Type of Quarters.	No.	Location.
Type I	200	D. I. Z. Area, Thyagaraj Nagar.
Type II	504	Timarpur, R. K. Puram, DIZ area, Moti Bagh.
Tye III	288	DIZ area, Moti Bagh.

Tye IV.	1179	DIZ area, Moti Bagh, R. K. Puram, Irwin Road.
Type V.	141	Irwin Road.
Type VI.	184	Chanakyapuri.
Tye VII.	6	Motilal Nehru Place.
Total:	2502	

(c) In respect of 1782 quarters, work has either been awarded to the contractors or tenders have been invited.

Provision of Almirahs in Type II Quarters of Sarojini Nagar, New Delhi

2950. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi : Shri J. Sundar Lal :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that almirahs have been provided only in one room of each of the type II quarters of Sarojini Nagar Government Colony in New Delhi ;

(b) if so, whether an almirah would be provided in the other rooms of these quarters also ;

(c) if so, by what time ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Out of 350 Type II quarters in Sarojini Nagar, 1844 quarters have been provided with almirah in each room whereas the remaining quarter which were constructed earlier have got an almirah in one room only.

(b) and (d) : At the time of construction only one almirah was provided in each quarter and there is no proposal under consideration to provide another almirah.

(c) Does not arise.

Post Graduate Hospital Administration Course

2951. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi : Shri J. Sundar Lal :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4091 on the 24th March, 1969 and state:

(a) the number of persons who have so far passed the Post-Graduate Hospital Administration Course conducted by the All India Institute of Medical Sciences. New Delhi ;

(b) the number of person admitted to this course every year ; and

(c) the names of Hospitals in which the persons, who have so far qualified in course are working at present ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Eight persons have so far passed the Post-Graduate examination in Hospital Administration from the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

(b) The number of persons admitted to the course since 1966 is as follows :

1966	7
1967	3
1968	2
1969	3 (Three more candidates selected for the course have not yet joined).

(c) Out of the eight persons who have passed the Post-graduate examination in Hospital Administration, three are working at the Institute and the remaining five at the Military Hospital, Secunderabad ; 150, General Hospital C/o 56 A. P. O. ; Army Medical Corps Lucknow ; Snowdown Hospital, Simla and National Institute of Health Administration and Education, New Delhi.

Teaching of Hindi to L. I. C. Employees

2952. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6972 on the 21st April, 1969 and state :

(a) whether the Life Insurance Corporation would consider the proposal to train their employees in the Hindi classes organised by the Ministry of Home Affairs ; and

(b) if not, the reasons therefor and the other alternative, if any ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance, (Shri Jagannath Pahadia)

(a) and (b) : The LIC permits its employees to join Hindi Classes organised by the Ministry of Home Affairs outside office hours.

Legislaturs in Public Undertakings

2953. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of Government undertakings and organisations whose Directors, Chairmen of the Board of Management are former legislators (since 1957) or present legislators ;

(b) the names, designations and pay of such persons ; and

(c) their qualifications and experience for the posts prior to their appointments ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) (a) to (c) Collection of information in respect of all former Members of Parliament and State Legislatures who serve on the Boards of Directors in the various public undertakings will involve considerable time and labour which may not be commensurate with the results to be achieved. Information is available regading present Members of Parliament and State Legislatures who are serving on the Boards of Directors of Public Undertakings of the Central Govt. According to the information, the following Members of Parliament and State Legislatures are serving on the Boards of the respective undertakings indicated below :

Name	Company
S/Shri	
1. V. K. Naik, M. L. A., Andhra Pradesh.	Director, Praga Tools Ltd.
2. Narappa Reddy, M. L. A. Andhra Pradesh.	Director, National Small Industries Corpn. Ltd.
3. Major Rana Bahadur Birendra Bahadur Singh, M.L.A., Madhya Pradesh	Director, National Newsprint and Paper Mills Ltd.
4. K.C. Mookerjee, M. L. C. West Bengal.	Chairman, Hindustan Cables Ltd.
5. Homi J. H. Taleyarkhan M. L. A., Maharashtra.	Director, Shipping Corporation of India.
6. M. Y. Ghorpade, M.L.A., Mysore.	Director, Tungabhadra Steel Products Ltd.
7. S. R. Vasavada, Member Rajya Sabha.	Honorary Chairman, National Textile Corporation
8. J. N. Hazarika, Member, Rajya Sabha.	Director, Export Credit Guarantee Corporation

As all these Members are part-time Members of the Boards of Directors, they are paid only the sitting fees and other allowances like Travelling and Daily Allowances for attending Board meetings etc. As regards qualifications and experience, Government policy is to appoint men of suitable talent and experience, whatever walk of life they belong to, as Chairmen and Directors of the Boards of the Public Undertakings.

Projects for Manufacture of Potash Fertilizers

2954. **Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the reasons for which Government are not formulating projects for having potash fertilizer manufactured in their own factories in view of the fact that the consumption of Potash is going to be more than 11 lakh tonnes by the end of the Fourth Plan and the aforesaid fertilizer can be manufactured with the help of the Sea water and the salt available in the Rann of Kutch ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : No mineral resources of potassium salts have been discovered in India so far. Only small quantities could be recovered from salt bitterns. In the public sector salt works at Kharagodha (Gujarat), a pilot plant to recover potassium salts from salts bitterns has been established. The brine of Sambhar Lake (Rajasthan), where the other public sector salt works is located, does not contain potassium in the waste liquor of the salt works. Thus efforts are being made to tap indigenous potassium sources in the public sector to the extent possible.

One plant for the manufacture of potassium chloride is in operation in the private sector also.

Even if potassium is recovered from the bitterns of all the salt works, it would not exceed 25,000 tonnes in terms of K20. This is but a very small part of the total requirements.

Termination of agreement with Oil Companies

2955. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have several times considered the proposal to cancel current agreement with the Oil Companies ; and

(b) if so, the decision in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : Government have discussed with the oil companies the question of surrender of the oil companies' refinery agreements on a few occasions in the past but no conclusion could be arrived at.

विषाक्त भोजन के कारण मौतें

2956. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1969 तक की अवधि में देश में, राज्यवार, विषाक्त भोजन से कितनी मौतें हुई ; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मलेरिया उन्मूलन

2957. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री लोवो प्रभु :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप मलेरिया को समाप्त हुआ मान लिया गया था तथापि देश के कुछ भागों में मलेरिया फिर से फैलने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस रोग की राज्यवार स्थिति क्या है ; और

(ग) देश में पूरी तौर से इस रोग का उन्मूलन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश में मलेरिया का पूर्णतः उन्मूलन नहीं किया गया था । भले ही मलेरिया के जहाँ 7 करोड़ 50 लाख रोगी थे उनकी संख्या 1967 में घटकर 2,78,621 हो गई । वैसे, गत कुछ वर्षों में मलेरिया कुछेक राज्यों में सकेन्द्रितरूप से फैला है ।

(ख) 1969-70 में प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एककों का फेंजिग तथा 1968 में पता लगाये गये रोगियों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1617/69]

(ग) देश में इस रोग का उन्मूलन करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) गत कुछ वर्षों के कार्यप्रणाली के आधार पर प्राप्त अनुभव के अनुसार इस कार्यक्रम का फिर से फेंजिग किया गया है।

(2) कीटनाशक तथा समय प्राप्त होने लगे इसके लिए उनके आयात के हेतु अग्रिम इण्डेण्ट प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(3) नये वाहनों की खरीद की गई है और राज्यों में वितरण करने के लिये अनेक पुराने वाहनों की मरम्मत कर दी गई है।

(4) जहां वेक्टर मच्छर में प्रतिरोधी शक्ति के बढ़ जाने के कारण डी०डी०टी० और वी० एच० सी० अप्रभावकारी हो गये हैं उन भू-खण्डों का पता लगाया गया है और एवजी-कीटनाशकों का परीक्षण तथा उपयोग किया जा रहा है।

(5) प्रवासी लोगों तथा निरन्तर रोग संचरण की समस्या का समाधान करने के लिये विभिन्न राज्यों में कीट विज्ञान तथा महामारी विज्ञान सम्बन्धी जांच कार्य तीव्र कर दिये गये हैं।

(6) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना बना दिया गया है।

Civic Amenities in Metropolitan Cities

2958. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons in Metropolitan cities living in slum areas in which civic amenities are very inadequate ;

(b) whether Government are aware that despite the allocation of funds for providing civil amenities in these cities the slums are increasing ;

(c) whether Government propose to take any other specific steps with a view to reducing the number of slums ;

(d) whether Government also propose to provide money through the Life Insurance Corporation, Banks and some foreign institutions to provide civic amenities in these cities; and

(e) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) It is estimated that about 30 per cent of the population in metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Ahmedabad, Hyderabad, Banglore and Kanpur reside in slum areas with inadequate civic amenities. On this basis the estimated number of persons living in slum of these cities, as on 1st July, 1968 may be about 59 lakhs.

(b) Yes.

(c) Government have taken the following steps from time to time to clear these slums :

(i) giving a fillip to building activity for the low income groups through introduction of the Low Income Groups Housing Scheme and the Integrated Subsidised Housing Scheme for industrial workers and economically weaker sections of the community.

(ii) clearance/improvement of existing slums under the Slum Clearance/Improvement Scheme.

All these schemes are being implemented through the State Governments.

(d) No.

(e) Does not arise.

Goods Seized from Shrimati and Shri D. N. Wacha

2 59. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last three years, a large amount of foreign exchange, foreign goods and gold have been seized from Shri and Shrimati D. N. Wacha at Palam airport, while they had been declaring that they had no articles with them on which customs duty was to be paid ;

(b) if so, the particulars of the goods seized from them and the reasons for which a case has not been filed against Shri Wacha ;

(c) whether it is also a fact that Shri Wacha had stated that he had brought those goods for some high official ; and

(d) whether an investigation has been made to find out the particulars of this high official and if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : During the course of last three years Shrimati and Shri D. N. Wacha were involved in a case of unauthorised import of certain goods only once on 21st August, 1966, while Shri Wacha along with his wife landed at Palam Airport by Air India International flight from Frankfurt. Shri Wacha declared that the family's accompanied baggage contained dutiable articles of the value of Rs. 2,150/- besides foreign currency (Pound2-10-0 and DM-20), whereas on examination of baggage of the family, a number of articles including 2 Cameras, 3 watches, tape recorder, cosmetics, textiles, cigarettes, cutlery, clothing etc. valued in all Rs. 8,756/- were recovered. On examination of the person of Shri Wacha the following jewellery was also recovered :

	Value
1. One Pearl Necklace with 10 diamonds.	Rs. 1,500/-
2. One Pearl bracelet with 10 diamonds.	Rs. 1,000/-
3. One Rolex Lady watch with gold band.	Rs. 1,500/-
4. One Omega lady watch diamond studded.	Rs. 2,500/-
5. One Extra white band with 13 diamonds studded.	Rs. 5,000/-
Total :	Rs. 11,500/-

The above mentioned articles and foreign currency which were not declared were seized. The case was departmentally adjudicated and fines and penalties imposed on the party. In such cases prosecution is not usually launched.

(c) Although Shri Wacha has stated that some of the goods brought by h m were

meant for some high officials, he refused to name any official at the time of seizer as well during the course of investigations.

(d) Since Shri Wacha refused to name any official for whom he had brought the goods, no further information regarding names of the officials for whom the goods wer meant could be gathered.

नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों का अनधिकृत रूप से कब्जा

2960. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देने के लिये नई दिल्ली में बनाये गये 700 सरकारी क्वार्टरों पर अन्य लोगों ने कब्जा किया हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन लोगों ने उन पर कब्जा किया हुआ है ;

(ग) उनके द्वारा कब्जा किये जाने क्या के कारण हैं ; और

(घ) इन क्वार्टरों को उन लोगों को देने के लिये, जिन्हें 12 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी क्वार्टर नहीं मिले हैं, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन रिहायशी एककों में से लगभग 737 एकक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अन्य निकायों / व्यक्तियों के दखल में हैं ।

(ख) ये एकक दूतावासों / विदेशी मिशन, सामाजिक सांस्कृतिक संघठनों, नगर निकाय, अवैतनिक सलाहकार, प्रसिद्ध कलाकार, राजनीतिक दल, गैर सरकारी व्यक्तियों / संघठनों, समाचार पत्रों के संवाददाताओं और अर्द्ध सरकार संघठनों के कर्मचारियों के दखल में हैं ।

(ग) भूत में ऐसे निकायों/व्यक्तियों का वास का आवंटन एक विशेष मामले के रूप में किया गया । कुछ संघठनों के कर्मचारियों को उस समय पर लागू अनुदेशों के अनुसार वास आवंटन किया गया था ।

(घ) ऐसे सभी मामलों पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता रहा है । ऐसे व्यक्तियों/निकायों द्वारा खाली किये गये किसी भी एकक का उपयोग पात्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटन के लिये किया जायगा ।

अशोधित तेल की आवश्यकता

2961. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल शोधक कारखानों को प्रति वर्ष कितने अशोधित तेल की आवश्यकता होती है ;

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कितने अशोधित तेल का आयात किया गया;

(ग) क्या अशोधित तेल की सप्लाई के मामले में विदेशी तेल कम्पनियां मनमानी शर्तें रखती रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो देश में अशोधित तेल निकालने के कार्य का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (ख) 1969-70 के लिये, देश की विभिन्न शोधनशालाओं की कच्चे तेल की कुल आवश्यकताओं का वर्तमान अनुमान, लगभग 18.50 मिलियन मीटरी टन है ।

(क) 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान कच्चे तेल का आयात क्रमश: 9.02 मिलियन मीटरी टन तथा 10.73 मिलियन मीटरी टन था ।

(ग) शोधनशाला करारों के अन्तर्गत, विदेशी तेल कम्पनियां कच्चा तेल अपने स्त्रोतों से प्राप्त करती हैं । पश्चिम एशिया के कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उठाते हुए, सरकार तेल कम्पनियों पर भारत से ली जाने वाली कीमतों में कमी करने के लिये प्रभाव डालती रही हैं । परिणामस्वरूप, पिछले दो वर्षों के दौरान कीमतें कम हो गई हैं । सरकार कीमतों का रुख देख रही है और, पिछले सप्ताहों में, बर्मा-शैल ने हल्के ईरानी कच्चे तेल की कीमतों में 4 सैन्टस प्रति बैरेल के हिसाब से और कमी कर दी है । ऐस्सो तथा कालटैक्स अभी तक सहमत नहीं हुई है । किन्तु, सरकार स्थिति को ध्यान में रखती रहेगी ।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में (भूमि तथा तटवर्ती क्षेत्रों में) अधिक से अधिक कच्चा तेल उपलब्ध करने के अपने प्रयत्न तीव्र कर दिये हैं ।

राज्यों को अधिक धन देने के बारे में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें

2968. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री ए० श्रीरन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री रा० बरुआ :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वित्त आयोग ने राज्यों को अधिक धन दिये जाने सम्बन्धी अपनी सिफारिशें इस बीच सरकार को दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । जितना जल्दी हो सकेगा आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों के सामने रख दिया जायगा ।

फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का कार्यकरण

2963. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ख) फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर ने 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों अथवा अन्य पक्षों से अलग-अलग कितना ऋण प्राप्त किया था ; और

(ग) इस अवधि में फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है और गत तीन वर्षों में इस कम्पनी द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क)

	स्थापना के समय पर	31-3-69 को
	(करोड़ रुपये में)	
अधिकृत पूंजी	5.00	50.000
चुकता पूंजी	2.25	14.098

(ख) 31-3-1969 को बकाया ऋण :—

		(करोड़ रुपयों में)
(1)	केन्द्रीय सरकार	30.105
(2)	औद्योगिक वित्त निगम	1.539

बैंकों या अन्य पार्टियों से प्राप्त ऋणों के बारे में सूचना तुरत उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है।

(ग) (1) ब्याज के रूप में अदा की गई रकम निम्न प्रकार है :—

1966-67	रुपये 79,62,491.87
1967-68	रुपये 78,36,620.35
1968-69	रुपये 1,65,25, 785.29

(2) कार्यकलाप :—कम्पनी को 1966-67 और 1967-68 में क्रमशः 43.46 लाख रुपये और 19.60 लाख रुपये लाभ हुआ। कम्पनी को 1968-69 में भी लाभ प्राप्त करने की आशा है।

नामरूप परियोजना के विस्तार के लिये स्वदेशी संयंत्र

2964. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के योजना तथा विकास डिवीजन ने नामरुप परियोजना के विस्तार के लिये अपेक्षित संयंत्र को किस सीमा तक स्वदेश में बनाया है और उससे विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है ;

(ख) वर्ष 1967-68 में 2.87 करोड़ रुपये के फालतू पुर्जे आयात किये जाने के क्या कारण हैं और इस प्रकार किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया था ; और

(ग) सभी फालतू पुर्जे भारत में ही बनाने के हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के साथ परामर्श किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय उर्वरक निगम का आयोजन एवं विकास प्रभाग, नामरूप विस्तार परियोजना के लिये प्लांट और मशीनरी के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और प्राप्ति में देश में निर्मित सुविधाओं का विस्तार रूप से प्रयोग कर सका है। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस का कच्चे माल के रूप में शुरू से इस्तेमाल करते हुए, अमोनिया के उत्पादन के लिए परिचालन अनुक्रमों के बारे में तैयार की गई प्रौसैस स्कीमें, आयोजन तथा विकास प्रभाग के अपने कैटेलिस्ट तथा जानकारी पर आधारित हैं। नामरूप विस्तार परियोजना में आयातित कैटेलिस्टों के स्थान पर देशीय कैटेलिस्टों के इस्तेमाल से लगभग 92.00 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ; जिसमें विदेशी पार्टियों को दी जाने वाली रायल्टीज़ आदि (जो लगभग 33.00 लाख रुपये होती) शामिल नहीं है। इसके अलावा, आयोजन और विकास प्रभाग ने स्वदेशी प्लांट और मशीनरी की, जिसका लगभग 510.00 लाख रुपये मूल्य है, व्यवस्था की है।

(ख) क्योंकि नामरूप विस्तार परियोजना अभी निर्माणाधीन है, अतः उसके लिए फालतू पुर्जों के आयात का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु 1967-68 में सिन्दरी, नांगल, ट्राम्बे, नामरूप और गोरखपुर कारखानों तथा भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग के लिए 2.87 करोड़ रुपये के फालतू पुर्जे आयात किये गये थे। सूची बनाने के लिए आयातित फालतू पुर्जों के ब्यौरे अति विस्तृत है।

(ग) उर्वरक उद्योग के लिए अपेक्षित उपकरणों के देशीय निर्माण के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न सरकारी क्षेत्रीय औद्योगिक उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के साथ विभिन्न स्टोरज की उपलब्धि के बारे में सतत परामर्श किया जा रहा है। आयातित मशीनरी में कमी के साथ फालतू पुर्जों के आयात में उत्तरोत्तर कमी होगी।

Construction of Dam in Hasanpur Tehsil (U. P.)

2965. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be peased to state :

(a) the further progress made in regard to the scheme for the construction of a dam in Tehsil Hasanpur of District Moradabad which is affected by floods in the river Ganga every year ;

(b) the time by which the scheme would be finalised ; and

(c) the details of the report received by Government regarding the research work which was being done in regard to the construction of a dam in Roorkee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) to (c) : There is no proposal to construct a dam in Tehsil Hasanpur, District Moradabad. Probably Hon'ble Members are referring to the proposal for the construction of a marginal embankment along the left bank of Ganga in this reach. The

State Government have undertaken surveys after completion of which model experiments would be conducted at the Irrigation Research Institute, Roorkee. Thereafter the final report of the scheme is likely to be made available.

नंगल-वर्कशाप में बेकार पड़ी मशीनें

2966. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नंगल वर्कशाप में बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भाखड़ा-नंगल परियोजना के निर्माण-चरण की मांग को पूरा करने के लिए, नंगल वर्कशाप, जो रात-दिन चलाई जाती थी, अब साधारणतः, परियोजना की परिचालन तथा रख-रखाव सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इसके अतिरिक्त ब्यास परियोजना के निर्माण के कुछ कार्यों और दूसरी बाहरी परियोजनाओं सम्बन्धी आदेशों को पूरा करने के लिए, केवल दिन की पारी में ही चलाई जाती है । मुख्यतः गैल्वनाइजिंग प्लांट, इस्पात संरचना, हल्की निर्माण संरचना और मशीन-शाप तथा पेन-स्टाक अनुभाग में इस समय फालतू क्षमता है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में सिक्कों का बनाया जाना, उनका चलाया जाना

2967. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में सिक्के बनाने और परिचालित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये सिक्के किस-किस मूल्य के बनाये जायेंगे तथा परिचालित किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये 'टाइप दो' क्वार्टरों का निर्माण

2968. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 'टाइप दो' के कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया ;

(ख) आगामी तीन वर्षों में कुल कितने ऐसे क्वार्टरों का निर्माण किया जायगा ;

(ग) कर्मचारियों को कुल कितने क्वार्टर अलाट किये गये ;

(घ) आगामी तीन वर्षों में अनुमानतः कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट किये जायेंगे ;

(ङ) क्वार्टरों का शत प्रतिशत आवंटन करने के लिये कुल कितने क्वार्टरों की आवश्यकता होगी ; और

(च) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का विचार कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 2,380।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में 1,200 टाइप II क्वार्टरों का निर्माण आरंभ करने का प्रस्ताव है। अगले दो वर्षों में निर्मित किए जाने वाले क्वार्टरों की संख्या का अभी निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) पात्र सरकारी कर्मचारियों को 15,031 टाइप II के क्वार्टर आवंटित किए जा चुके हैं।

(घ) यह अगले तीन वर्षों में पूरे होने वाले क्वार्टरों की संख्या पर निर्भर करेगा और फिलहाल इस का हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

(ङ) और (च) यह मानते हुए कि सभी पात्र व्यक्ति सरकारी वास का आवंटन चाहते हैं, फिलहाल 28,368 टाइप II रिहायशी यूनिटों की कमी है। भविष्य में नए निर्माण का आरंभ करना साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Development of Irrigation Facilities

2969. **Shri Kartik Oraon** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is any norm for the purpose of Irrigational development of any particular area based on the population, requirement of irrigated area for self-sufficiency, revenue accruing from that area and the percentage of revenue receipt spent for the development works ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, how Government propose to bring about balanced development of irrigation facilities in various parts of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) to (c) : Water resources and technologically favourable sites for their exploitation are not uniformly distributed in the country and the possibilities of irrigation development would thus vary from region to region. Further, "irrigation" being State subject, the outlays on irrigation projects have to be accommodated within the overall ceilings and the sectoral outlays of the State Plans. Subject to these limitations, irrigation projects in States are geared to securing a balanced development of the regions within the-States, meeting the requirements of food production and in particular, catering to the special needs of backward and drought affected areas.

बिहार में कृषि योग्य भूमि

2970. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में खेती के लिये कुल कितने एकड़ भूमि उपलब्ध है ; और

(ख) छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में कुल कितने एकड़ भूमि पर खेती होती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी नीचे दी जाती है :—

	छोटा नागपुर	संथाल परगना
कृष्य क्षेत्र	61.60 लाख एकड़	19.84 लाख एकड़
1968-69 के दौरान वृहत् व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचित भूमि ।	1.19 लाख एकड़	0.23 लाख एकड़

गन्दी बस्तियाँ हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम को सहायता

2971. **श्री कार्तिक उराँव :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने / सुधार योजना के लिये मार्च, 1967 तक दिल्ली नगर निगम को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) इस अवधि में कितने मकान बनाये जाने थे और वास्तव में कितने बनाये गये ; और

(ग) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 से वित्तीय सहायता बन्द कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 560.46 लाख रुपये ।

(ख) 31 मार्च, 1967 तक निगम द्वारा निर्माण के लिए स्वीकृत किये गए 4,770 रिहायशी एककों में से 2,392 एकक पूरे हो चुके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

Schedule Castes and Scheduled Tribes Employees in Finance Ministry

2972. **Shri Molahu Prashad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1638 on the 12th May, 1969 and state :

(a) whether the requisite information about the employees of his Ministry belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against Posts reserved for them has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the information is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1618/69)

(c) Does not arise.

दिल्ली के समीप थौजकोट में जलाशय का निर्माण

2973. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली की कालोनियों को जल की सप्लाई करने के लिये दिल्ली के समीप थौजकोट में एक जलाशय बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) जलाशय कब तक तैयार हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली में पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिये थौज और कोट पर जलाशय बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस परियोजना पर 23.5 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है ।

(ग) इन को लगभग 3 से 4 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

2974. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ ने दिल्ली विकास प्राधिकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिये दिल्ली में भूमि का आवंटन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) नरेना योजना में संगठन को भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है ।

पेट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत

2975. **श्री प्रेम चन्द वर्मा : श्री लखन लाल गुप्त :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम, डीजल तेल और मिट्टी के तेल की कुल वार्षिक खपत कितनी है ;

(ख) हमारी कुल खपत का कितने प्रतिशत उत्पादन देश में होता है और गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक प्रकार के तेल का कितना-कितना आयात किया गया था ;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों आदि का किस प्रकार और किन एजेंसियों के माध्यम से आयात किया गया और आयात पर कितनी लागत आई ;

(घ) क्या देश चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा और यदि हां, तो योजना के किस वर्ष तक ; और

(ङ) तेल वाले किन नये क्षेत्रों का पता लगाया गया है और क्या हिमाचल प्रदेश में व्यापारिक आधार पर तेल निकालने के योग्य किसी स्थान का पता चला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) 1968 के दौरान पैट्रोलियम पदार्थों, हाई स्पीड डीजल आयल तथा मिट्टी के तेल की कुल खपत क्रमशः 15829,3189 और 2816 हजार मीटरी टन थी और 1968 के दौरान देश में उत्पादित इन पदार्थों की प्रतिशतता 94.01 प्रतिशत 100 प्रतिशत तथा 85.20 प्रतिशत थी। पिछले तीन वर्षों में इन पदार्थों की आयातित मात्रा निम्न प्रकार है :—

मात्रा हजार मीटरी टनों में

वर्ष	पेट्रोलियम पदार्थ	हाई स्पीड डीजल आयल	मिट्टी का तेल
1966	2202	314	788
1967	952	—	448
1968	933	—	418

(ग) 1966,1967 और 1968 के दौरान पैट्रोलियम पदार्थों के आयात की कीमत बीमा-भाड़ा सहित लागत 57.2 करोड़ रुपये, 39.0 करोड़ रुपये तथा 40.7 करोड़ रुपये थी। मिट्टी के तेल का सभी आयात भारतीय तेल निगम ने किया था। अन्य आयात तमाम तेल कम्पनियों ने किये थे।

(घ) देश मुख्य पैट्रोलियम पदार्थों में पहले ही आत्म-निर्भर है। चौथी योजना अवधि में स्नेहकों में देश के आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है। किन्तु देश में कच्चे तेल की कमी योजना अवधि के अन्त तक बनी रहेगी।

(ङ) गुजरात में अंकलेश्वर, कलौल, नवागांव, काडी, धोलका तथा सानन्द और आसाम में कद्रसागर तथा लकवा में व्यापारिक महत्व के तेल क्षेत्र पाये गये हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यापारिक महत्व की किसी तेल युक्त संरचना का पता नही लगा है।

बड़ी कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

2976. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी बड़ी-बड़ी कम्पनियां उन समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में बहुत बड़ी रकम खर्च करती हैं जिनमें इन कम्पनियों के हित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ऐसी कम्पनियों के लाभ को कम करने और इसके साथ-साथ समाचार पत्र के प्रकाशन पर होने वाली हानि को पूरा करने के लिये किया जाता है जिससे आयकर का अपवंचन किया जा सके ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रक्रिया के कारण अनेक नये समाचारपत्रों का प्रकाशन आरम्भ हुआ है जिन्होंने छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की प्रगति में बाधा डाली है और वास्तव में वे लोकतन्त्र के लिये खतरा हो गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयकर कानून में इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये कोई संशोधन करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा संशोधन कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में सरकार ने एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट देख ली है।

(ख) जी, नहीं। आयकर नियमावली के नियम 6-बी के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार किसी निर्धारिती की व्यापार सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जितना विज्ञापन व्यय न्यायोचित समझा जाता है उतने की छूट दी जाती है। इस नियम का उद्देश्य कर-अपवंचन को रोकना है।

(ग) सरकार के पास, एकाधिकार आयोग रिपोर्ट में निहित जानकारी के अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं है।

(घ) फिलहाल आयकर कानून में, इस बारे में और कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं

2977. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये स्वीकृति प्राप्त कर दी गई है; और

(ख) इन योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और इसमें से कितना खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा और कितना खर्च संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा वहन किया जायेगा ;

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने किसी बृहत् और मध्यम सिंचाई योजना का प्रस्ताव नहीं किया है। बहर-हाल उन्होंने कुछ लघु सिंचाई योजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव किया है जिन पर कुल 52000 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाने के लिये चौथी योजना के दौरान 3 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

संघीय प्रदेशों में सभी योजना स्कीमों पर होने वाले व्यय को केन्द्रीय सरकार ही पूर्णतः वहन करती है।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये नियम

2978. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैडिकल कालेजों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और प्रवेश के मामले में रिहायशी और गैर-रिहायशी प्रत्याशियों के बीच कोई भेदभाव किया जाता है ; और

(ख) यदि गैर-रिहायशी प्रत्याशियों को राज्यों के रिहायशी प्रत्याशियों के बराबर स्तर नहीं दिया जाता है, तो बहुत कम मैडिकल कालेजों वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये, उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश जहां पर केवल एक ही मेडिकल कालेज है, क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस समय देश के अधिकांश मेडिकल कालेजों में प्रवेश या तो निवास स्थान या स्थानीय विश्वविद्यालयों अथवा स्कूल बोर्डों में प्राप्त पूर्व-प्रवेश अर्हता के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने जून 1968 में श्रीनगर में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवासीय प्रतिबन्ध लागू नहीं होने चाहिए। परिषद् की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ख) ऐसे क्षेत्रों के छात्र प्रवेश पाने के लिए उन संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में बैठ सकते हैं जहां ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होते। जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है वहां पर 50 लाख की जनसंख्या के पीछे एक मेडिकल कालेज के वर्तमान मापदण्ड के अनुसार एक मैडिकल कालेज है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड के कारखानों के प्राक्कलन

2979. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड के विभिन्न कारखानों के प्राक्कलनों का अनेक बार पुनरीक्षण करके प्रत्येक बार प्राक्कलन बढ़ा दिये गये हैं ;

(ख) एण्टीबायटिक्स परियोजना और संश्लिष्ट औषध परियोजना के अन्तिम प्राक्कलन क्या हैं और यदि मूल प्राक्कलनों में वृद्धि की गई हैं, तो कितने प्रतिशत तथा परियोजनाओं के प्राक्कलनों में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मूल प्राक्कलन तैयार करते समय इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड के अधिकारियों के समक्ष सरकारी क्षेत्र में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजनाओं के तुलनात्मक आंकड़े नहीं थे ;

(घ) क्या अधिकारियों ने स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त तरीकों तथा विधियों के सिद्धान्त के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये थे ; और

(ङ) क्या सरकार ने प्राक्कलन तैयार करने की ऐसी दोषपूर्ण प्रक्रिया के लिये इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड के किसी अधिकारी को दण्ड दिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। कम्पनी ने प्राक्कलनों का दो बार पुनरीक्षण किया है।

(ख) 1961 में तैयार किये गये अस्थाई प्राक्कलन और 1966 में सरकार द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन एवं नवीनतम् प्राक्कलन और प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का नाम	1961 के प्राक्कलन	अनुमोदित प्राक्कलन (1966)	नवीनतम प्रस्तावित प्राक्कलन	अनुमोदित प्राक्कलना की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
एन्टीबायोटिक्स परियोजना	15.75	24.04	26.32	9
संश्लिष्ट औषध परियोजना	14.25	21.35	22.93	7

प्राक्कलनों में वृद्धि निम्न कारणों से हुई है :

(1) समय समय पर विदेशी सहयोगी द्वारा तकनीकी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के फलस्वरूप अतिरिक्त उपकरणों का आयात ;

(2) सीमा शुल्क जैसे आकस्मिक खर्चों में वृद्धि ;

(3) परियोजना को पूरी होने में समय लगने के कारण प्रबन्ध सम्बन्धी खर्चों में वृद्धि ;

(4) उपकरणों की कीमतों में वृद्धि, और ;

(5) परिचालन व्यय और निर्माण के दौरान सरकारी ऋणों पर ब्याज को शामिल किया जाना, जिनका मूल प्राक्कलनों में प्रबन्ध नहीं किया गया था ।

(ग) जी नहीं । इस प्रकार के संयन्त्र भारत में, सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में, स्थापित नहीं किये गये है और इसलिये तुलनात्मक अध्ययन करना सम्भव नहीं है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्राक्कलन उस समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये थे और उन पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा विचार किया गया था । इसलिये दोषपूर्ण प्राक्कलनों को तैयार करने के लिये इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के किसी कर्मचारी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड के परियोजना सम्बन्धी पूंजी परिव्यय में वृद्धि

2980. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की परियोजनाओं के पूंजी परिव्यय में वृद्धि को मंत्रिमंडल को नहीं बताया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी स्थायी अनुदेश क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : 1961 में कम्पनी द्वारा तैयार किये गये अस्थाई अनुमानों का कई बार संशोधन करना पड़ा । इसके बाद सरकार उनको 1966 में स्वीकार कर सकी । 1968 में जारी किये गये स्थायी अनुदेशों के अनुसार, उन अनुमानों की, जो मूल अनुमानों से 20 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं, कैबनिट से मंजूरी लेनी पड़ती है किन्तु जहाँ पर ये वृद्धियाँ उक्त प्रतिशतता से कम होती हैं वहां पर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए । क्योंकि मौजूदा अनुमान

में वृद्धि स्वीकृत अनुमान से 20 प्रतिशत से कम है इस लिए इस की कैबिनिट को सूचना देना आवश्यक नहीं है।

सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं से वित्तीय विवरण

2981. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई तथा विद्युत परियोजना से पर्याप्त वित्तीय विवरण प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप सरकार को इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1619/69]

Construction of Market in Sector 9 of R. K. Puram, New Delhi

2982. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no market in Sector 9 of R. K. Puram, New Delhi where in there are about 650 quarters, which were allotted by Government about two years ago ;

(b) if so, the reasons for which Government did not construct a market there and whether Government have under consideration a proposal to construct a market in that sector ; and

(c) if so, the time by which a market is likely to be constructed there ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The sanction to the construction of a shopping centre in Sector IX of Ramakrishnapuram was accorded by the Ministry in April 1964. However, funds for taking up this work could be allotted only in 1967-68. In the meanwhile, the layout plan for this Sector had to be modified to provide for a community centre complex as desired by the Delhi Development Authority. After the layout was finalised, the same was submitted to the Delhi Municipal Corporation for approval which was received in April 1969. The contract for the construction work has since been awarded.

(c) The market is likely to be completed in 1970.

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों की सेवा की शर्तें

2983. **श्री म० ला० सौंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जूनियर डाक्टर अपनी सेवा की शर्तों, काम करने तथा आवास सम्बन्धी सुविधाओं से सन्तुष्ट नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो जूनियर डाक्टरों की सबसे अधिक बलवती मांगों को पूरा करने के लिये क्या किसी धनराशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें से कितनी धन-राशि का उचित उपयोग किया गया है और उसका प्रयोग कैसे किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1620/69]

त्यागराज नगर दिल्ली में जाफरी और वर्षा से बचने के लिये शैडों की व्यवस्था

2984. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्यागराज नगर (प्रेम नगर) दिल्ली के निवासियों से सरकारी क्वार्टरों में जाफरी और वर्षा से बचने के लिये शैडों की व्यवस्था करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मामला परीक्षाधीन है।

Seizure of Smuggled Goods

2985. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of the smuggled goods seized so far during 1969-70 ;

(b) the number of persons arrested in connection with the smuggling of the goods during the aforesaid period ;

(c) whether it is a fact that smuggling cases are constantly increasing in the country ; and

(d) if so, the stringent measures being adopted to check smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) During the year 1969-70 (upto 30th June, 1969) smuggled goods valued approximately at Rs. 6.28 Crores were seized by the Customs and Central Excise authorities.

(b) 593 persons were arrested during the period.

(c) It is difficult to say whether smuggling into the country is increasing. The detections have no doubt increased.

(d) The problem of smuggling into and out of India has been engaging the attention of the Government. Intensified measures are being taken all over the country for preventing smuggling. Better vigilance is also being exercised in the coastal areas supported by better collection of intelligence, redeployment of staff etc. Recently the Customs Act, 1962 has also been amended for facilitating the detection of smuggled articles.

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों की पदोन्नति

2986. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 21 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में पदोन्नति पात्र नर्सों को सिस्टर उपचारिकाओं के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त पात्र नर्सों को सिस्टर उपचारिकाओं के वर्तमान रिक्त पदों पर कब तक पदोन्नत किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सुयोग्य पात्र नर्सों की पदोन्नति कर दी गई है । दूसरी नर्सों के बारे में विचार किया जा रहा है ।

फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरक की उत्पादन लागत

2987. **श्री पी० विश्वम्भरन:**
श्री ई० के० नायनार:
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरक की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) उर्वरक की उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : सरकारी उपक्रमों की समिति (1968-69) (चौथी लोक सभा) ने अपनी 44वीं रिपोर्ट में फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की उत्पादन लागत के प्रश्न पर विचार किया है । रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित लागत और प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित मानक लागत की अपेक्षा 1966-67 और 1967-68 में वास्तविक लागत अधिक थी । इस सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ।

आयातित एमोनिया के उपयोग के बारे में तकनीकी समिति की सिफारिश

2988. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित एमोनिया के लाभकारी उपयोग के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई उच्च स्तरीय सरकारी तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि इस समय काम

कर रहे अथवा प्रस्तावित नेप्थाआधारित उर्वरक कारखानों की यूरिया उत्पादन क्षमता आयातित तरल एमोनिया के साथ कारबनडायक्साइड का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर प्रारम्भिक विनियोजन किये बिना 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के इन निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उक्त समिति की अन्य सिफारिशें तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति के मुख्य विचार निम्न लिखित हैं :—

(1) कारबनडाय-आक्साइड के प्रयोग की पद्धति पर आधारित आयातित अमोनिया के इस्तेमाल के लिए, कोचीन, मद्रास और ट्राम्बे उर्वरक कारखानों के पास काफी कारबन डाय-आक्साइड होंगे ।

(2) कोचीन उर्वरक कारखाने के बारे में समिति कोचीन परियोजना अधिकारियों के इस विचार से सहमत थी कि जब तक सन्यन्त्र चालू न हो जाए तब तक कारबन-डाय-अक्साइड पर आधारित कोचीन विस्तार का कोई प्रस्ताव अपरिपक्व होगा ।

(3) जहां तक मद्रास कारखाने का सम्बन्ध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मद्रास उर्वरक परियोजना के अधिकारी बाजार के रुख के बारे में निश्चित नहीं है और (वे) इस समय उर्वरक के उत्पादन के लिये अतिरिक्त विनियोजन पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं; समिति ने आयातित अमोनिया के आधार पर अतिरिक्त उर्वरक उत्पादन के लिए तुरन्त विचार करने की सिफारिश नहीं की ।

(4) केवल कारबनडाय-आक्साइड की प्राप्ति की सम्भाव्य विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही नहीं, बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कोचीन या मद्रास में इस समय नाइट्रोजनी उर्वरक सुविधाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था; समिति ने फालतू कारबन-डाय-आक्साइड पर आधारित कोचीन और मद्रास विस्तार योजनाओं की सिफारिश नहीं की ।

(5) ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के बारे में, इस समय उपलब्ध दित्ता पर आधारित समिति ने आयातित अमोनिया पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना पर अनुकूल रूप से विचार किया ।

(6) समिति के विशलेषण में, यदि फासफोनट्रिक पद्धति अपनाई जाए, तो आयातित अमोनिया का उपयोग नये स्थान पर भी सम्भव है । आयातित अमोनिया के आधार पर नये स्थान पर उर्वरक बनाने की सुविधाओं की स्थापना इस बात पर निर्धारित होगी कि वहां पर उर्वरक की मांग और पूर्ति की समस्त परिस्थितियां क्या हैं ।

(घ) समिति के निष्कर्षों के आधार पर सरकार को भारतीय उर्वरक निगम से एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; जिसमें आयातित अमोनिया और वर्तमान ट्राम्बे प्लांट से उपलब्ध

अतिरिक्त कारबन-डाय-आक्साइड से नाईट्रो-फास्फेट के उत्पादन की व्यवस्था है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजना

2989. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी ने, कुछ विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा गया अथवा भेजा जायेगा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं ; और

(घ) उसका वित सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) : सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम सरकार को बताये बगैर किसी अधिकारी को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने में पूर्णतया सक्षम है।

दिल्ली में शान्ति वन तथा विजयघाट परियोजनाओं का पूरा किया जाना

2990. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शान्ति वन और विजय घाट परियोजनाओं को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई हैं ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) **शान्ति वन** : 81 एकड़ में से 39 एकड़ में मिट्टी की भराई पूरी हो चुकी है। दो टीले बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। दो अन्य टीलों पर मिट्टी का काम प्रगति पर है। कार पार्क, कार्य पार्क को जाने के मार्ग, जिसमें नए पार्किंग क्षेत्र के लिए बिजली और भूमि गत नालियां शामिल हैं, साफ़ तथा बिना साफ किये हुए पानी के काम पूरे किये जा चुके हैं।

विजय घाट : 75 एकड़ के कुल क्षेत्र में से, समाधी के पीछे और साईडों में 20 एकड़ पर विकास कार्य पूरा हो चुका है। इसमें मिट्टी भरने का काम, कार पार्क, समाधी के चारों ओर रेलिंग, समाधी पर तथा उसके चारों ओर ग्रेनाइट स्टोन पेविंग, लिली पाण्ड एवं बागवानी कार्य, साफ़ तथा बिना साफ़ किया पानी की सप्लाई आदि शामिल हैं।

(ख) शान्ति वन 12,58,380 रुपये (वर्क्स आऊटले)
विजय घाट 3,25,220 रुपये (वर्क्स आउटले)।
(ग) शान्ति वन 10.00 लाख रुपये
विजय घाट 10.00 लाख रुपये ।

चण्डीगढ़ में सहकारी समितियों के माध्यम से मकानों का निर्माण

2991. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासन ने सहकारी समितियों के माध्यम से मकान बनवाने के लिये अपने कर्मचारियों को भूमि स्थल का आवंटन करने का निर्णय किया है ;

(ख) भूमि स्थलों के क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) विकास की प्रति वर्ग गज लागत कितनी निश्चित की गई है ; और

(घ) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को बिना लाभ लिये भूमि स्थल आवंटन करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : अपने कम वेतन वाले कर्मचारियों को उचित दर पर प्लाट आवंटन करने का एक प्रस्ताव चण्डीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ग) 20 रुपये प्रति वर्ग गज़ ।

पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, चण्डीगढ़

2992. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, चण्डीगढ़ में रोगियों को दाखिल करने की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है हालांकि इसके लिये अत्यधिक मांग है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सेक्टर 16 में हस्पताल में अन्तरंग रोगियों के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) इस संस्थान के अस्पताल में 1000 पलंग हैं। किन्तु वित्तीय साधन सीमित होने के कारण इस समय 730 पलंगों का ही उपयोग किया जा रहा है।

(घ) 150 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने के लिये सेक्टर-16 अस्पताल चण्डीगढ़ में एक नये भवन का निर्माण किया जा रहा है।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

2993. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री वि० कु० दास चौधरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर की राशि इकट्ठी हो जाने के बारे में सम्मेलन ने सरकार को कुछ सिफारिशें की थीं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कर की बकाया राशि इकट्ठा होने के बारे में सम्मेलन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं :—

(i) वसूली के लिए बाकी पड़े दिखाये गये वसूल नहीं हो सकने योग्य करों को बट्टे खाते डालने के लिए एक उचित अभियान होना चाहिए ।

(ii) आयकर विभाग द्वारा बाकी राज्य सरकारों से कर की वसूली के काम को लेने की नियत-तिथि होनी चाहिए। इस मार्ग में आने वाली कानूनी कठिनाइयां शीघ्र ही हल की जानी चाहिए ।

(iii) दीवानी हवालात में बंद करने के अधिकारों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अधिकारों के प्रयोग से करके आम चूक कर्त्ताओं पर अच्छा असर पड़ेगा। कार्य-विधि संबंधी कठिनाइयाँ/अड़चनें शीघ्र ही दूर की जानी चाहिये ।

(iv) वसूली के काम के लिए पूरक कर्मचारियों तथा अतिरिक्त आयकर अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जानी चाहिए ।

(v) नियमित कर-निर्धारिणों के पूरा होने पर अग्रिम कर के समायोजनों की प्रणाली को समाप्त करने की संभाव्यता की जांच की जानी चाहिए। जिससे अग्रिम कर के समायोजनों के बारे में संबंधित राज कोषों/महालेखाकार के कार्यालय से सूचना प्राप्त होने तक करों को बकाया नहीं दिखाया जा सके ।

(vi) जिन मामलों में कर की भारी रकमें रुकी पड़ी हों उनमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलों को निपटाने के काम में तेजी लाने के प्रश्न पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए ।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

आसाम में चीन के माल की बिक्री

2994. **श्री गं० चं० दीक्षित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में अनेक बाजारों में विशेषकर जोरहाट में चीन के निषिद्ध माल जैसे पैन, सिगरेट, लाइटर और मिट्टी के बर्तनों आदि की भरमार है और ये वस्तुएं मणिपुर, नागालैंड और बर्मा की सीमा के पार से आसाम में आती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी अभिकर्ता तस्करी वाले माल की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग आसाम और नागालैंड में गुप्त जासूसी और तोड़-फोड़ के केन्द्र स्थापित करने के लिये कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) जहां तक सरकार की जानकारी है असम के बाजारों में, विशेषत: जोरहाट में मणिपुर, नागालैण्ड के मार्ग से तथा बर्मा-सीमा की ओर से लाई गई चीन में बनी वस्तुओं की भरमार नहीं है । लेकिन इन बाजारों में चीन के बने फाउण्टेन पेनों, सिग्रेट लाइटरों तथा क्राकरी आदि की थोड़ी बहुत मात्रा की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता ।

सरकार के पास ऐसी भी कोई सूचना नहीं है कि चीनी एजेंट चोरी छिपे लाये गये इस माल की बिक्री से प्राप्त रकम का इस्तेमाल असम और नागालैण्ड में गुप्त रूप से तोड़ फोड़ की कार्यवाही वाले केन्द्र स्थापित करने में कर रहे हैं । तथापि विश्वसनीय मुखबिरों और विशिष्ट स्रोतों से गुप्त सूचना इकट्ठी करने, संदिग्ध व्यक्तियों, व्यापारियों पर निगरानी रखने के साथ ही सीमाओं और सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में विशेष गश्त लगाने जैसी सभी निवारक कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

Medicine for Leprosy Treatment

2995. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have proposed any effective medicine for the treatment of leprosy so that the rural population may get rid of this disease with its use ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the directions for its use ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) D. D. S. (Diamino-Diphenyl-Sulpone) has been found to be very effective for the treatment of leprosy and is being used on a mass scale under the National Leprosy Control Programme, both in the rural and urban areas.

(c) The drug is given in 10mg. doses for six days in a week which is gradually increased to 75 mg. daily for six days in a week. The medicine has to be used under the guidance of a trained medical officer.

Loans taken by States

2996. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans taken by various State Governments during the last three years for industrial development and irrigation purposes from the Centre and the States which took loan for purchase of foodgrains and the amount thereof ;

(b) whether the States that took loan for industrial development and irrigation purpose, have utilised it properly ; and

(c) if so, when they propose to repay the Centre's loans.

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) :

(a) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1621/69)

(b) Utilisation of Central assistance by State Governments is watched through audit certificates which are awaited in some cases. However States claims for asistance are finally settled on the basis of the audited figures of expenditure.

(c) The repayment of Central loans by State Governments is governed by the terms and conditions of individual loans which vary depending upon the purpose for which they had been sanctioned.

बड़ौदा में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

2998. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बड़ौदा में एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का है ; और

(ख) इस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी तथा उसमें कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा लगेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में कोयाली तेल शोधक कारखाने के निकट एक एरोमैटिक यूनिट तथा बेन्जीन एवं बूटाडीन के निस्सारण को मिला कर एक नेफथा क्रैकर संयंत्र सहित एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना की जायेगी। लगभग 7 करोड़ रुपये के विदेशी अंश सहित एरोमैटिक यूनिट पर 18 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमान है। 12 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित बैन्जीन एवं बूटाडीन निस्सारण को मिलाकर नेफथा क्रैकर संयंत्र पर 34 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

आयकर निर्धारण के अनिर्णीत मामले

2999. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 से 1968-69 तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में आयकर के कुल कितने अनिर्णीत मामले थे तथा वर्षवार अनिर्णीत मामलों की संख्या अलग-अलग कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1965-66 से 1969-70 के वर्षों में हुए आयकर आयुक्तों के सम्मेलन के लिये कार्य सूची की प्रतियां तथा उस सम्मेलन में किये गये मुख्य निर्णयों की प्रतियां सभा पटल पर रखेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष-वार ब्यौरों सहित वर्ष 1963-64 से 1967-68 के अन्त तक कर निर्धारणों के बाकी पड़े मामलों की कुल संख्या का विवरण सभा पटल पर रखे गये अनुबंध "क" में दिया गया है। पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1622/69। वर्ष 1968-69 से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) कार्य-सूची के मुख्य मुद्दों और 1965, 1967, 1968 तथा 1969 में आयोजित आयकर-आयुक्तों के सम्मेलन में उन पर लिये गये निर्णय सभा पटल पर रखे गये अनुबंध 'ख' में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी० 1622/69]

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

3000. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ;

(ख) जिन देशों से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न देशों से आने वाले इन उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं तथा स्वदेशी उत्पादन के प्रति टन की लागत के मुकाबले यह लागत कितनी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1968-69 में स्नेहकों सहित पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लगभग 35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की गई।

(ख) पैट्रोलियम उत्पादों का आयात मुख्य रूप से रूस, ईरान, साऊदी अरब, अमरीका, रूमानिया, यूगोस्लाविया, वैनीजुला और थाइलैंड से हुआ।

(ग) वर्तमान समय में केवल मिट्टी का तेल, दो किस्म का विमानन गैसोलीन और स्नेहकों का आयात किया जाता है। क्योंकि आयातित किस्म के विमानन गैसोलीन का उत्पादन देश में नहीं होता इसलिये देशीय उत्पादन लागत से उसकी तुलना करना सम्भव नहीं है। स्नेहकों की कीमत उनकी किस्मों और उनके पाये जाने वाले श्रोतों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। इसलिये कोई तुलना करना सम्भव नहीं है ; इसके अतिरिक्त स्नेहकों का इस समय देश के अन्दर उत्पादन बहुत कम है। मिट्टी के तेल का आयात, व्यापारिक अनुबन्धों के आधार पर, भारतीय तेल निगम द्वारा केवल रूस के किया जाता है और कीमतों को बताना इसके व्यापारिक हित में नहीं है।

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा आयकर की चोरी

3001. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त मंत्री** 10 मार्च, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक सार्थों के क्या नाम हैं जिन्होंने 1965-66 की अवधि में 50,000 रु० से अधिक के आयकर की चोरी की;

(ख) इन सार्थों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन सार्थों से आयकर की वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं जिनके द्वारा 50,000 रु० से अधिक वार्षिक आयकर दिया जाना था ; और

(घ) क्या सरकार आयकर की शीघ्र वसूली के लिये और आयकरदाताओं की परेशानियों को न्यूनतम करने के लिए किसी प्रभावशाली व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री, (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) विशेष कारण इस प्रकार हैं :—

(i) कुछ मामलों में, मांगों के सम्बन्ध में अपीलें की गई हैं और इसलिए उगाहियां स्थगित कर दी गई हैं तथा/अथवा नहीं की जा रही हैं ।

(ii) कुछ मामलों में मांगों के विवादग्रत स्वरूप तथा/अथवा निर्धारिती की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर की अदायगी की मियाद बढ़ा दी गई है तथा/अथवा किस्तों में अदायगी की मंजूरी दे दी गई है ।

(iii) कुछ मामलों में निर्धारिती लापता हैं तथा/अथवा पर्याप्त परिसम्पत्तियां छोड़े बिना भारत से चले गये हैं ।

(iv) कुछ मामलों में वसूली की कार्यवाही में रिट/दीवानी मुकदमेबाजी के कारण वसूली की कार्यवाही में देरी हो गई है ।

(v) कुछ मामलों में निर्धारितियों को बाद में नुकसान हो गया है और वे अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(घ) बकाया की शीघ्र वसूली करने और कर-दाता की कठिनाइयों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले ही किये जा चुके हैं :—

(i) राज्य सरकार से कर की वसूली का कार्य विभाग द्वारा ले लिया गया है ।

(ii) कर निर्धारण के कार्य को वसूली कार्य से पृथक कर दिया गया है । अब उगाही के लिए अलग-अलग आयकर अधिकारी हैं ।

(iii) जिन मामलों में आयकर की बकाया वसूली होनी बाकी है, उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी इस प्रकार रखी गई है :

(क) 1 लाख रुपये तक की बकाया के लिए आयकर – अधिकारी

(ख) 5 लाख रुपये तक की बकाया के लिये – निरीक्षी सहायक आयुक्त

(ग) 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया के लिए – आयकर आयुक्त

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उपयुक्त मामलों में आयकर आयुक्तों द्वारा वसूली के लिए कारगर उपाय किये जाते हैं 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया मांगों के मामलों में निरीक्षण निदेशक (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) के कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाती है ।

(v) बाकी पड़ी मांगों की शीघ्रता से वसूली के कार्य पर नजर रखने के लिए आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में विशेष वसूली यूनिट स्थापित कर दिये गये हैं ।

(vi) विलम्ब से की गई अदायगियों के मामले में ब्याज की दर 1. 10. 1967 से 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दी गई है ।

(vii) महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रों में केवल वसूली कार्यों के लिए ही निरीक्षी सहायक आयुक्त नियुक्त किये गये हैं । बड़े-बड़े अधिकार क्षेत्रों में पृथक कर-वसूली आयुक्तों को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है ।

(viii) आयकर कार्यालयों में रेखित चेकों (क्रास-चेक) द्वारा की गई अदायगियां स्वीकार की जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए आयकर कार्यालयों में विशेष कांउटर खोले गये हैं।

(ix) महत्वपूर्ण स्थानों में स्थित आयकर कार्यालय भवनों में स्टेट बैंक के शाखा-कार्यालय खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

3002. **श्री द० रा० परमार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अस्पृश्यता के कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों को सवर्ण हिन्दुओं के मुहल्लों में किराये पर मकान नहीं मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी विभागों को सामान्य निदेश जारी करने का है कि जहां भी सरकारी मकान हैं वहां सरकारी मकानों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) शैड्यूल्ड कास्ट्स सोशल वेलफेयर आर्गनाईजेशन आफ इन्डिया ने यह अभ्यावेदन दिया था कि किराये पर मकान लेने में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को स्वर्ण जाति के हिन्दुओं से कठिनाई का अनुभव होता है।

(ख) और (ग) सामान्य पूल में से आवंटन, पात्र सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता की तारीख के आधार पर किया जाता है। फिलहाल अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के साथ सामान्य पूल वास के आवंटन के मामले में कोई प्राथमिकता का व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी प्राथमिकता की तारीख के अनुसार अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तथापि, सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को सामान्य पूल से वास के आवंटन के मामले में कुछ प्रमुखता दी जा सकती है।

सिंचाई के पानी का प्रयोग

3003. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध होने वाले पानी का पूरा उपयोग किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है ; और

(ग) पानी का उपयोग न किये जाने के कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वृहत् सिंचाई परियोजनाओं से समुपयोजन सृजित शक्यता का लगभग 88 प्रतिशत है।

(ग) किसानों द्वारा क्षेत्रीय नालियों के निर्माण, भूमि समतलीकरण इत्यादि के लिए,

स्वतंत्रता से पहले बृहत सिंचाई परियोजनाओं से पूर्ण समुपयोजन के लिए विकास की अवधि लगभग 10 वर्ष हुआ करती थी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे किसानों को ऋण सुविधाएं, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटाणु नाशक औषधियों, मंडियों तक यातायात और कृषि के वैज्ञानिक तरीकों (फसलों के आयोजन) और जल के प्रयोग के बारे में पथप्रदर्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को हाथ में लें। सिंचाई विभागों से भी कहा गया है कि वे 2 क्यूसेक तक जलमार्गों को खोदें तथा वहां पर क्षेत्रीय नालियां बनाएं जहां किसान उन्हें बनाने में देरी करते हैं। कुछ राज्यों में अनिवार्य सिंचाई कर लगाया जा रहा है। कुछ राज्यों ने जल के लिए प्रोत्साहनात्मक दरें नियत की हैं। ज्यों-ही जल उपलब्ध हो त्यों-ही उसे उपयोग में लाने के लिए किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

Rural Electrification during Fourth Plan in Madhya Pradesh

3004. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have sent proposals for rural electrification in the State during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether the Central Government have considered these proposals ; and

(c) if so, the results thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) to (c) : The Madhya Pradesh Government proposed an outlay of Rs. 30 crores for rural electrification during the Fourth Five Year Plan in the State. But a provision of Rs. 20 crores has been made in the draft Fourth Five Year Plan for rural electrification in Madhya Pradesh ; this provision would enable energisation of 33,000 irrigation pumps/tubewells besides meeting other loads in the rural areas.

Setting up of Thermal Power Plant in Madhya Pradesh

3005. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the direction of setting up of a thermal power plant in Madhya Pradesh ;

(b) the total amount spent thereon so far ; and

(c) whether this plant will start functioning as per programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : There is no proposal, at present, for setting up a new thermal power station in Madhya Pradesh.

The Korba thermal station extension-200 MW-costing Rs. 27.73 crores and the Amarkantak thermal station-60 MW-costing Rs.11.08 crores have been fully commissioned. The Satpura thermal station which is jointly shared by Madhya Pradesh and Rajasthan and which involves installation of five generating units of 62.5 MW each at an estimated total cost of Rs. 39.25 crores in an advanced stage of construction. Four generating units have already been commissioned and the Fifth unit is expected to be commissioned by January 1970. Expenditure amounting to Rs. 37.45 crores was incurred upto March 1969.

पश्चिम बंगाल से केन्द्र सरकार के कार्यालयों का स्थानान्तरण

3006. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का विचार अपने कुछ कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से हटा कर भारत में किन्ही अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने का है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हाल्दिया तेल शोधक परियोजना

3007. **डा० रानेन सेन :** **श्री ज्योर्तिमय बसु :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है और विदेशी साझेदारों के सहयोग से कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) यह परियोजना किस तारीख को पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने फ्रांस तथा रुमानिया के सहयोगियों के साथ हल्दिया शोधनशाला की स्थापना के लिये सितम्बर-अक्तूबर, 1967 के दौरान तीन करार किये थे । इन करारों की शर्तों के अनुसार, टोटल इंटरनेशनल, बरमूडा अपेक्षित कच्चे तेल का अंश सप्लाई करेंगे, टेक्निप/एनसा मुख्य रूप से शोधनशाला के इंधन भाग का रुपांकन कार्य तथा सेवा एवं उपकरण सप्लाई करेंगे । रुमानिया की इंडस्ट्रीयलएक्सपोर्ट लूब शोधनशाला में टेकनिप/एनसा जैसा कार्य करेंगे । इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत में बनी सामग्री/उपकरणों की व्यवस्था करेगा तथा विदेशी पार्टियों की देख रेख में शोधनशाला का निर्माण करेगा ।

(ग) शोधनशाला के मध्य-1972 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है ।

सिन्थैटिक एण्ड केमिकल्स कम्पनी में जीवन बीमा निगम के अंश

3008. **श्री योगेन्द्रशर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्थैटिक एण्ड केमिकल्स कम्पनी में जीवन बीमा निगम के अंश हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम अंशधारियों की वार्षिक बैठक में किलाचन्द उद्योग समूह के पक्ष में अपना मत देता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के जिन कम्पनियों में शेयर होते हैं उनके शेयर-धारियों की बैठकों में निगम आम तौर पर अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजता । लेकिन, सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर-धारियों की सितम्बर 1963 में हुई वार्षिक आम बैठक में निगम के प्रतिनिधि ने भाग लिया था इस बैठक में कोई भी विवादास्पद मसला मतदान के लिए उपस्थित नहीं हुआ । हाल ही में जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि ने 28 और 29 अप्रैल 1969 को हुई इस कम्पनी की दो असाधारण आम बैठकों में भाग लिया जिनमें मेसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कं० (प्राइवेट) लिमिटेड को फिर से एकमात्र विक्रेता एजेंट नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । निगम के प्रतिनिधि ने इस पुनर्नियुक्ति का विरोध किया ।

Forms Printed by Offices of Comptroller and Auditor General of India

3009. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of forms got printed by the offices under the control of the Comptroller and Auditor General of India during the year 1968 and 1969 ;

(b) the number of forms out of them which have been got printed in English only and the number of those on which headings are printed in both English and Hindi ; and

(c) the reasons for which headings in Hindi are not printed on those forms which are printed in English only and time by which they would be printed both in Hindi and English.

The Minister in the Ministry af Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Number of forms printed in 1968 258

Number of forms printed in 1969 (upto June, 1969) 103

(b) (i) Number of forms printed in English only in 1968 258

Number of forms printed in English only in 1969 (upto June, 1969) 102

(ii) Number of forms printed with Hindi and English headings in 1968. Nil

Number of forms printed with Hindi and English headings in 1969 (upto June, 1969) 1

(c) The decision to have the forms in English only upto 1970-71 was necessitated as the forms have not yet been finally translated into Hindi. The forms contain references to technical terms and expressions commonly used in the Indian Audit and Accounts Department. The glossory is being finalised in consultation with the Commission for Scientific and Technical Terminology.

Indian Doctors in Foreign Countries

3010. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri R. K. Birla** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3217 on the 17th March, 1969 and state :

(a) whether information regarding the number of Indian Doctors in each of the countries, separately, has since been collected ;

(b) the number of those among them who are working there on a permanent basis ; and

(c) the action taken by Government to bring them back to the country keeping in view the inadequacy of medical facilities in the country particularly in the villages ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) 344. This figure does not include Indian doctors in the United Kingdom who mostly retain Indian passports.

(c) (i) In 1958. a Scientists' Pool was established for the purpose of providing temporary placement for highly qualified Indian scientists and technologists returning from abroad until they are absorbed in suitable posts in the country.

(ii) It has been decided that scientific organisations may create a certain number of supernumerary posts against which highly qualified scientists may be appointed. The U. P. S. C. have agreed that such appointments may be made for a period of two years without consulting them.

(iii) The Union Public Service Commission have made special arrangements to enable overseas candidates to compete for vacancies advertised. The Comission's advertisements are published abroad through Indian Missions. Arrangements are also made to interview them abroad whenever it is found feasible and necessary to do so.

Sonauli Pokhara Road Project

3011. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress made under the Sonauli Pokhara Road project and the amount spent so far thereon ;

(b) the details of employees working under this scheme class-wise and division-wise.

(c) the details of salaries, allowances and other facilities being given to them ;

(d) whether it is a fact that Lower Division Clerks of the above mentioned project have been brought at par with Government of India scales while it has not been done in the case of Upper Division Clerks ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Seizure of Smuggled goods

3012. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2388 on the 10th March, 1969 regarding the value of smuggled gold or other articles seized in Bombay, Calcutta, Madras, Rajasthan, Bihar, Delhi, West Bengal and Uttar Pradesh during the last two years separately and year-wise and state :

(a) whether the information asked for in parts (a) and (b) of the question has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for failure to collect the information and the time by which it will be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) Yes, Sir.

(b) The details are given in the Statement placed on the Table of the House. (Placed in Library. See LT-1623-69)

(c) Does not arise.

कांग्रेस के प्रधान की विदेश यात्रा

3013. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस के प्रधान श्री निजलिंगप्पा मई और जून, 1969 में किन्हीं देशों में गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किस लिये तथा इस यात्रा के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) उन्हें अरब समाजवादी संघ, जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार, यूगोस्लाविया के श्रमिक जन समाजवादी संघ (सोशलिस्ट अलायंस आफद वर्किंग पीपल) के अध्यक्ष और ब्रिटेन की सरकार से मिले निमंत्रणों के आधार पर क्रमशः संयुक्त अरब गणराज्य, पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया और ब्रिटेन जाने के लिए 'पी' फार्म की स्वीकृति दी गई थी । पांच दिन की संक्षिप्त अध्ययन यात्रा के तौर पर विएना और जनेवा जाने की अनुमति भी दी गयी थी ।

उक्त यात्रा के लिए 80 पौंड के बराबर की विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी ।

पेय जल के साधन

3014. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, और आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के दो जल भूवैज्ञानिकों ने, जो इस समय देश में खोज कार्य करने के लिये यहां आये हुए हैं, पेय जल के साधन जुटाने के लिये भारत के प्रयास में अपने देश की सहायता अर्पित करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राखा (बिहार) में तांबे के निक्षेप

3015. **श्री भोगेन्द्र झा:** **श्री वेणी शंकर शर्मा**
श्री रवि राय :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राखा के स्थान पर तांबे के निक्षेपों का विकास करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : राखा तांबा प्रायोजना (प्रावस्था 1) की योजना जिस रूप में सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार की है उसके अनुसार एक खान का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो कि राखा खान खंड तक ही मुख्य रूप से सीमित है और जिससे प्रति दिन 1000 मैट्रिक टन अयस्क का उत्पादन किया जा सकता है। इस अयस्क से वहीं पर संकेन्द्रक बनाये जायेंगे और प्रद्रावण के लिये उन्हें अन्यत्र भेजा जायेगा। इससे प्रति वर्ष 3500 मैट्रिक टन तांबा धातु प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ग) योजना की लागत का वर्तमान अनुमान 7.41 करोड़ रुपये है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यक्तियों के नामों का सूचनार्थ प्रकाशन

3016. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मामलों में, खाद्य-पदार्थों में मिलावट करने वालों के नाम सरकार द्वारा जनता के सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं ; और

(ख) किन-किन मामलों में ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा जाता ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय को दूसरे अथवा अनुवर्ती अपराधों पर दोषी का नाम, निवास स्थान, अपराध और इस अधिनियम के अधीन दी गई सजा को दोषी के खर्च पर समाचार पत्रों में अथवा अदालत के निदेशानुसार अन्य तरीके से प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त है। अदालतें जहां कहीं आवश्यक समझती हैं मिलावट करने वालों के नाम आदि प्रकाशित कर रही हैं।

नूनमती तेल शोधक कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार देना

3017. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने के प्रबन्धकों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सरकार की नीति का उल्लंघन किया है ; और

(क) यदि नहीं, तो उस तेल शोधक कारखाने में राज्य के बाहर के लोगों की तुलना में इस समय कितने स्थानीय लोग काम कर रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) गोहाटी शोधनशाला में काम कर रहे स्थानीय व्यक्तियों की कुल संख्या 694 है जबकि अन्य राज्यों के लोगों की संख्या 595 है। उपरोक्त संख्या में रुपये 700-1250 के वेतन-मान के अफसर भी शामिल हैं, जिसके लिये चुनाव, निगम की नीति के अनुसार, अखिल भारतीय आधारों पर किया जाता है।

मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच

3018. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री नम्बियार :**
श्री गणेश घोष : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जाँच विभाग ने मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल द्वारा किये गये मुद्रा नियन्त्रण विनियमों के उल्लंघन की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल, कलकत्ता के विरुद्ध एक मामला 1966 में और दूसरा 1968 में दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई है। 1966 में दर्ज किये गये मामले की जांच पूरी हो चुकी है जिससे पता चलता है कि विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 4 (1) के उपबन्धों का प्रथम-दृष्ट्या उल्लंघन हुआ है। इस सम्बन्ध में चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता की अदालत में शिकायत दायर कर दी गई है, जहां उसकी सुनवाई होनी है। दूसरे मामले में भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अब जांच पूरी करली है और जांच की रिपोर्ट की कानूनी दृष्टि से छानबीन की जा रही है।

गोआ में उर्वरक का कारखाना

3019. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री नम्बियार : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ में एक उर्वरक कारखाना खोलने के बारे में बिड़ला की जुआरी एग्रो केमिकल्स तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के बीच हुए करार की जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने कितना धन लगाया है तथा करार की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) 189.6 मिलियन रुपये के लिये अमरीका की औद्योगिक विकास संस्था (US AID) ने कूली ऋण समझौता पर 29 मार्च, 1969 को हस्ताक्षर किये (परिव्यय फिलहाल 185.1 मिलियन रुपये तक सीमित रहेगा)। कूली ऋण के अलावा औद्योगिक विकास संस्था ने परियोजना के लिये निम्नलिखित गारंटियों का अनुमोदन किया है :

(अ) ऐजेंट के रूप में बैंक आफ अमरीका द्वारा दिये गये 3 मिलियन डालर के ऋण की (जल्दी परिपक्व होने वाला) अपने और दूसरों के लिये विशिष्ट जोखिम गारंटी।

(ब) बैंक आफ अमरीका द्वारा दिये गये 9 मिलियन डालर के ऋण की (बाद में परिपक्व होने वाला) अपने और दूसरों के लिये विस्तृत जोखिम गारंटी।

(स) बैंक आफ अमरीका द्वारा एक मिलियन डालर की इक्वटी और फर्स्ट शिकागो इन्टरनेशनल कारपोरेशन द्वारा 250000 डालर की इक्वटी के लिये दोनों प्रकार की विस्तृत जोखिम और विशिष्ट जोखिम गारंटी।

(द) यू. एस. स्टील द्वारा 6 मिलियन डालर की इक्वटी और आरमर एण्ड कम्पनी द्वारा 300,000 डालर की इक्वटी के लिये विशिष्ट जोखिम गारंटी।

Incidence of T. B. and Leprosy

3020. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Abdul Ghani Dar :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of T. B. and leprosy patients in the Country during each of the last three years, separately, State-wise ;

(b) the causes of rising incidence of the said diseases ;

(c) the extent to which Government have been successful in curing them ; and

(d) whether Government have formulated any scheme for eradicating them and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(d) The National Programme for the control of Leprosy has been in operation in the Country since 1955. Under this Programme 182 Leprosy Control Units and 1130 Survey, Education and Treatment Centres are functioning in the Country. The object of the Programme is to record the maximum number of cases, put them under treatment and thereby convert them into non-infectious and bacteriologically negative cases.

The National T. B. Control Programme has been in operation in the Country since 1951 and is being expanded from year to year. Nearly 500 T. B. Clinics have been established, of which 175 have been upgraded as District T. B. Centres to provide integrated services on district wise basis. About 35,000 T. B. beds, 36 Mobile X-ray Units and 15 T. B. Training and Demonstration Centres have been established. Since the inception of the Programme, about 250 million persons have been tuberculin tested and 120 million have been B. C. G. vaccinated. Anti-TB drugs are also supplied by the Government of India free of cost both to State Governments as well as Voluntary TB Clinics and centres.

Facilities Available to Indian Employees of Chatra Canal and Kosi Projects in Nepal

3021. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are two categories of Indian employees working in Chatra Canal Project and Kosi Project in the territory of Nepal ;

(b) if so, whether it is also a fact that there is great difference between the facilities available to them ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to extend equal facilities to all of them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (e) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बाढ़ समस्या को हल करना

3022. **श्री भगवान दास :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सत्य नारायण : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अक्तूबर में गृहकार्य मन्त्री द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार बाढ़ समस्या पर विचार करने तथा उसका स्थायी हल निकालने के लिये एक विशेषज्ञ निवास स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो समूचे देश में इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) इस समय देश की बाढ़ समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपयुक्त प्रतिकारात्मक उपाय ढूंढ़ निकालने के उद्देश्य से, पीछे भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बहुत सी विशेषज्ञ समितियों द्वारा समस्त देश, तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की बाढ़ समस्या की जांच की जा चुकी है।

1954 से, जब एक सुव्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, तीसरी योजना के अन्त तक 54.26 लाख हेक्टयर भूमि की बाढ़ों से रक्षा की गई थी। बाढ़ नियंत्रण कार्यों में 6872 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण, 8695 किलोमीटर जल-विकास नालियों का निर्माण, 164 शहर सुरक्षा कार्य और बाढ़-स्तर से 4582 ग्रामों को ऊँचा उठाने के कार्य सम्मिलित थे। यह अनुमान लगाया गया है कि 1-4-1966 से 31-3-69 तक की अवधि के दौरान, जिन कार्यों की कार्यन्विति की गई उनसे 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सुरक्षा की गई। इस प्रकार

1968-69 के अन्त तक बाढ़ सुरक्षा उपायों से लाभान्वित कुल क्षेत्र 64 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान बाढ़-नियंत्रण कार्यों पर कुल परिव्यय निम्नलिखित है :-

पहली योजना	13.21 करोड़ रुपये
दूसरी योजना	48.06 करोड़ रुपये
तीसरी योजना	82.09 करोड़ रुपये
1966-67	14.46 करोड़ रुपये
1967-68	13.27 करोड़ रुपये (प्रत्याशित)
1968-69	14.26 करोड़ रुपये (प्रत्याशित)

बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था कार्य चौथी योजना में चल रहा है। योजना आयोग ने चौथी योजना के दौरान राज्यों में और संघीय प्रदेशों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए प्रायोगिक तौर पर 99 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दे दी है। बाढ़ नियंत्रण स्कीमें राज्य के क्षेत्र में शामिल हैं।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन

3023 **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संशोधन का विरोध करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) -- सम्भवतया प्रश्न खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 30 (क) के संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में है। पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्य सरकारों ने कोयले पर स्वामित्व की बकाया राशियों को वसूल कर लेने के विचार से इस संशोधन प्रस्ताव का विरोध किया है। यह विषय अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

रक्त दान

3024. **डा० रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनैडियन रेड क्रास ब्लड डोनर प्रोग्राम के प्रशासक ने भारतीय रेड क्रास की रक्त आधान सेवा पर अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में रक्त विक्रेताओं से रक्त खरीदने की निन्दा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में

राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि रक्त संग्रहण की स्वैच्छिक और व्यावसायिक पद्धतियाँ स्वैच्छिक पद्धति को आघात पहुचे बिना साथ-साथ नहीं चल सकती ।

(ख) जनता द्वारा स्वैच्छा से रक्त दान को प्रोत्साहन देना भारत सरकार की नीति है ताकि रक्त खरीदने की आवश्यकता न रहे ।

विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा

3025. **श्री भगवान दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विदेशी मुद्रा का कोई हिसाब रखा जाता है जो निर्यात विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजे गये धन अथवा विदेशों में व्यापार कर रहे भारतीय व्यापारियों द्वारा प्रत्यावर्तित धनराशि से अर्जित की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, हाँ । रिजर्व बैंक द्वारा इनका हिसाब रखा जाता है और उन्हें भारत के शोधन शेष सम्बन्धी आँकड़ों में दर्ज किया जाता है । इन आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में जो निर्यात किया गया, उसका मूल्य इस प्रकार है :--

वर्ष	**रकम** (लाख डालरों में)
1966	15320
1967	16410
1968	18000 (अनुमानित)

जहाँ तक विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकमों का सम्बन्ध है, उनका हिसाब प्रवासी अन्तरणों, बचत की रकमों की वापसी और परिवार भरण-पोषण प्रेषणाओं जैसी प्रेषणाओं की कुछ श्रेणियों के अनुसार रखा जाता है। 1966, 1967 और 1968 के कैलेण्डर वर्षों में इन श्रेणियों के अन्तर्गत कुल मिला कर क्रमशः 140 लाख, 80 लाख और 120 लाख डालर प्राप्त हुए । चूंकि छोटी रकमों का हिसाब प्रयोजनो के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में नहीं रखा जाता, इसलिए उपर्युक्त आंकड़े उन प्रेषणाओं के द्योतक हैं, जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की हैं ।

जीवन बीमा निगम के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

3026. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के बोर्ड के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है ;

(ख) जीवन बीमा निगम के बोर्ड के इस समय ऐसे कितने सदस्य हैं जिन्हें जीवन बीमा के काम का पूर्व अनुभव, ज्ञान तथा बोधशक्ति है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उस बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष को अपेक्षित अनुभव, ज्ञान तथा बोध शक्ति नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : जीवन बीमा

निगम अधिनियम 1956 की धारा 4 में, जिसमें निगम के विधान का वर्णन है, निगम के सदस्यों के लिये कोई विशेष अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, चुने गये सदस्य ऐसे होते हैं जो निगम को उसके काम में मार्गदर्शन करा सकें।

(ग) जी नहीं।

White-Washing of Servant Quarters of M. Ps.' flats in North and South Avenues

3027. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the outer portion of servant quarters attached to the flats of Members of Parliament in North and South Avenues New Delhi and the latrines, etc. are being white-washed in this rainy season ;

(b) if so, whether it is not likely to be washed away by rains and result in waste of money ; and

(c) if so, the reasons for not white-washing the quarters after the rainy season is over ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir. The outer portion of the servant quarters and the latrines in the South Avenue only have been colour washed in May and June, 1969.

(b) No, Sir.

(c) As colour washing of the servants quarters and latrines was not done during the last financial year on account of lack of funds, these were looking unsightly. There were a number of complaints also about these from the M. Ps. The colour washing, was therefore, done.

Supply of Table fans to M. Ps. in South Avenue, New Delhi

3028. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Members of Parliament residing in South Avenue, New Delhi have not been provided with table fans this year ;

(b) whether Government have received complaints in this regard ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir. All demands from the Members of Parliament, residing in South Avenue, for issue of table fans on hire, have been met.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Recovery of Smuggled watches and Silver in Bombay

3029. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Ram Singh Ayarwal** :
Shri Sharda Nand : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the customs officials had recovered a large number of smuggled watches and silver in Bombay in the first week of June, 1969 ;

(b) if so, their value in terms of rupees ; and

(c) the action taken against the persons concerned in this connection ?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) to (c) On 4th/5th June, 1969 officers of the Central Excise Collectorate recovered 17,399 wrist watches valued Rs. 16,33,000 from the island Vashi off Uttan in Thana District of Bombay and crude silver articles, such as bangles, anklets, plates etc. weighing 1,250 Kgs. valued approximately Rs. 6,25,000 from Posha Pir Island, Bomby. The watches and the silver have been seized. The goods have remained unclaimed and no person has so far been arrested. Further investigations are in progress.

राजस्थान में कास्टिक-सोडे का कारखाना

3030. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस की एक फर्म के सहयोग से राजस्थान में दीदवाना में कास्टिक सोडे का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार से तैयार किया गया सोडा सस्ती दरों पर बेचा जायेगा और यदि हां तो किन दरों पर ; और

(घ) कारखाने की प्रति दिन की कुल क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए सस्ते मकानों का निर्माण

3031. **श्री रवि राय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिये सस्ते मकान बनाने हेतु कुछ ठोस निर्णय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के द्वारा कुछ सामाजिक आवास योजनायें बनाई गई हैं, जैसे कि, औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, गंदी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना, उद्यान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना तथा ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम, इनमें उद्योग कर्मचारियों, गंदी बस्ती में रहने वालों तथा समाज के अन्य कमजोर लोगों के लिए

निम्न लागत के मकानों का निर्माण शामिल है। ये राज्यों आदि में पहिले ही से चल रही हैं। इस संबन्ध में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।

दामोदर घाटी निगम

3032. **श्री रवि राय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी सम्भावना है कि दामोदर घाटी निगम 1974 तक अपनी बिजली परियोजनाओं के लिये वित्त की स्वयं व्यवस्था कर सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम की बिजली सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये चौथी योजना के मसौदे में 49.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। आशा है कि दामोदर घाटी निगम इस में से 31 करोड़ रुपये अर्थात् 60 प्रतिशत राशि अपने आन्तरिक संसाधनों में से दे देगा। चौथी योजनावधि के बाद की स्थिति इस समय बताना बहुत कठिन है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने की योजना

3033. **श्री रवि राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले का उत्पादन लगभग 60 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) कोयले के लिये पर्याप्त मांग और परिवहन तथा अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होने की अवस्था में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का चौथी योजना के अन्त तक अपना उत्पादन 126.2 लाख मैट्रिक टन से 235.0 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाने की आयोजनाएं है।

(ख) कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि के, जिस का अनुमान लगभग 55.7 लाख टन है, बोकारो कोयला क्षेत्र की पहिले ही विकसित की जा चुकी खानों या झरिया कोयला क्षेत्र की विकासाधीन कोयला खानों से प्राप्त होने की सम्भावना है। गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि के, जिस का अनुमान 53.1 लाख मैट्रिक टन है, मुख्यतः पहिले ही विकसित की जा चुकी या विकासाधीन खानों से प्राप्त होने की सम्भावना है।

स्टेट बैंक की कृषि स्नातकों को ऋण देने की योजना

3034. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टेट बैंक ने देहाती क्षेत्रों में कृषि स्नातकों को जमीन बन्धक रखने पर 100 प्रतिशत ऋण देने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ; और

(ख) इस योजना का कैसा स्वागत हुआ है तथा उसे कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने उन भावी स्नातक किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए मई, 1969 के अन्त में 'फार्म स्नातक योजना'

नामक एक विशेष योजना की घोषणा की थी, जिनके पास कृषि उत्पादन की उपयोगी प्रायोजनाएँ तो हैं किन्तु उनके पास वित्तीय साधन न होने के कारण वे उन प्रायोजनाओं को शुरू करने में असमर्थ हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें योजना की मुख्य मुख्य बातें दी गयी हैं।

(ख) यह योजना अभी लागू नहीं की गई है। स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक, शीघ्र ही इस योजना को कुछ चुने हुए केन्द्रों में क्रियान्वित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

विवरण

स्टेट बैंक आफ इंडिया की फार्म स्नातक योजना

उद्देश्य : आवश्यक तकनीकी योग्यता-प्राप्त ऐसे भावी स्नातक कृषकों को वित्तीय सहायता मुहैया करना जिन के पास फार्म विकास की उपयुक्त प्रायोजनाएँ हैं पर जो पर्याप्त साधनों की कमी के कारण उन्हें अपने हाथ में लेने में असमर्थ हैं।

पात्रता : ऋण लेने वालों के पास, उन के अपने नाम पर या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जमीन होनी चाहिये। इस के अलावा, फार्म स्नातक के पास कृषि-विकास की उपयुक्त प्रायोजना, और फार्म को चलाने के लिये आवश्यक तकनीकी योग्यता होनी चाहिये तथा उन में दृढ़ संकल्प के साथ नया काम-धंधा शुरू करने की क्षमता होनी चाहिये। आपवादिक मामलों में जमीन खरीदने के लिये भी ऋण दिये जा सकते हैं।

विषयक्षेत्र : फिलहाल यह योजना केवल उन चुने हुए केन्द्रों में शुरू की जायगी जहां इस के प्रति सबसे ज्यादा अभिरुचि हो और जहां यह अधिकतम लाभदायक साबित हो सके। ऐसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये और ये सूखा, बाढ़ और सेम से प्रभावित नहीं होने चाहियें। जो क्षेत्र पहले से ही गहन क्षेत्र जिला कार्यक्रम, गहन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम और अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों के कार्यक्रम में शामिल हैं, उनको इस योजना के चलाने में विशेष प्राथमिकता दी जायगी।

योजना के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिये वित्तीय सहायता दी जायगी :—

(1) अनाज और व्यापारिक फसलों का उत्पादन जिस में संकर और अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज भी शामिल हैं ;

(2) कृषि सम्बन्धी विशेष काम जैसे मुर्गी पालन, दुग्धशाला, मछली पालन, अंगूर और फलों के उद्यान, बागवानी, सुअर पालन आदि और

(3) गर्भाधान-सेवा एककों की स्थापना और संचालन।

वित्तीय सहायता से सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किए जाने का विचार है जिनमें ये शामिल हैं :—

(क) भूमि के विकास, सिंचाई सुविधाओं और फार्म-घरों आदि के निर्माण के लिये दरमियानी अवधि के ऋण;

(ख) ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद के लिये किस्तों पर ऋण, और

(ग) उर्वरकों, कीड़े मारने वाली दवाओं, बीजों आदि की खरीद और खेती संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यचालन पूंजी सम्बन्धी ऋण।

सहायता की रकम एक लाख रुपया तक सीमित होगी और यह प्रत्येक प्रायोजना की आवश्यकताओं को और यदि ऋण लेने वाले के पास पहले से ही कोई साधन उपलब्ध हों तो उन को ध्यान में रखते हुए दी जायगी । आवेदक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह जहाँ तक सम्भव हो अधिक से अधिक रकमें अपने साधनों से जुटाये ताकि परिव्यय के एक अंश को पूरा किया जा सके। यह मार्जिन होगा । किन्तु यदि आवेदक के पास अपने साधन न हों तो मार्जिन की शर्त नहीं होगी । लेकिन कार्यचालन पूंजी के लिये दिए गए प्रत्येक अग्रिम का नवीकरण होने पर मार्जिन की रकम में धीरे धीरे वृद्धि होती जायगी और यह रकम ठीक पिछले वर्ष के अधिशेष पर निर्भर करेगी । स्टेट बैंक आफ इंडिया के मामले में, ऋण की अधिकतम अवधि सामान्यत: 10 साल की होगी और उसके सहायक बैंकों के मामले में ऋण की यह अवधि 7 साल की होगी । किन्तु किस्तों वाले ऋण की अवधि अधिक से अधिक 5 साल की होगी । कार्यकारी पूंजी संबंधी ऋण मांगने पर तत्काल वापस करने होंगे । ऋणों की जमानत इस प्रकार होगी :

(क) दरमियानी अवधि के ऋण : इन ऋणों के लिये ऐसी जमीन रेहन रखनी होगी जिसकी रजिस्ट्री की गई हो और उसमें यदि कोई इमारत, पाइप-लाइन आदि हो तो वह भी साथ में रेहन रखनी होगी ।

(ख) किस्तों वाले ऋण : ट्रैक्टरों और अन्य उपकरणों की गिरवी और इसके अलावा दरमियानी अवधि के ऋणों के लिए साम्यामूलक रेहन रखी गयी जमीन की अतिरिक्त ज़मानत या जिन मामलों में दरमियानी अवधि के ऋण नहीं दिये गये हों उन मामलों में रजिस्टर-शुदा साम्यामूलक रेहन ।

(ग) कार्यकारी पूंजी ऋण : रजिस्टर-शुदा साम्यामूलक जमीनी रेहन के रूप में सांपार्श्विक जमानत के साथ, फ़सल की गिरवी ।

इस योजना के अन्तर्गत, सभी किस्म के अग्रिमों पर साढ़े नौ प्रतिशत की दर से व्याज लगेगा । ऋण-लेने वाले को, ज़मीन के मालिकाना हक की जांच करने का खर्च और कागज-पत्र तैयार करने का खर्च उठाना होगा । यदि आवश्यक होगा तो बैंक ऋण के रूप में इस खर्च की व्यवस्था करेगा जो दो या तीन वर्षों में चुकाया जा सकेगा । ऋण लेने वाले को सामान्य जोखिम के बदले में बैंक द्वारा अनुमोदित कम्पनी के पास कृषि यंत्रों और उपकरणों का बीमा कराना होगा। बीमा पालिसी बैंक के कब्जे में रहेगी । यदि फसल की बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध होगी तो फसल की भी बीमा करानी होगी ।

निरीक्षण : यद्यपि यह योजना इस उद्देश्य से बनायी गई है कि तकनीकी तौर पर योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों की सहायता की जा सके ताकि यह योजना अच्छी तथा सफल साबित हो सके, फिर भी बैंक शुरू में छानबीन करने और प्रमाणीकरण करने के काम की व्यवस्था करेगा । अग्रिमों के निरीक्षण और उनके सम्बन्ध में अनवर्ती कार्रवाई पर भी अधिक ज़ोर दिया जायगा । ऐसे निरीक्षणों पर होने वाला खर्च बैंक उठाएगा ।

Loans for Agricultural Farms

3035. **Shri Valmiki Chowdhary** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the extent to which the targets fixed by the Reserve Bank of India of additional

funds for giving loans to agricultural farms have been achieved in the year ended June, 1969 ; and

(b) the amount of loan given by each bank during the said period for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) (a) : No target as such has been fixed by the Reserve Bank for giving loans to agricultural farms. However, following the recommendation of the National Credit Council, 20 major banks indicated, after discussion with the Reserve Bank, that they expect an increase in advances to agriculture by about Rs. 43 crores during the period July 1968 to June, 1969. Data available for the period from July, 1968 to March 1969 indicate that direct and indirect advances to agriculture by these banks increased by Rs. 115 crores. Bulk of the increase has been on account of fertiliser distribution and in the form of indirect finance such as lending to State Electricity Boards and Agro-industrics Corporations. The increase in direct finance to farmers was of the order of Rs. 14.85 crores.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House when it is available.

ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना

3036. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री एम० एस० ओबराय :
श्री लोबो प्रभु :
श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना-योजना में अभी तक बहुत कम प्रगति हुई है ;

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ऐसी मदों में सही सही कितनी प्रगति हुई है जिनके लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को, उन्हें पूरा करने के लक्ष्यों के लिये 100 प्रतिशत अनुदान किया जाता है ;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितना ऋण दिया है तथा उसमें से कितने धन का उपयोग किया गया है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा अनुदान का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ; ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत प्रगति संतोषपूर्ण नहीं रही है।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय वित्तीय सहायता सम्पूर्ण रूप से ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिये दी जाती है, न कि उसके अधीन किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए। इस योजना में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार इसके अधीन परिव्यय का लगभग 1/3 भाग भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बिना मूल्य के आवास-स्थल देने के लिये और परिव्यय का लगभग 1/6 भाग, चुने हुए ग्रामों में गोलियों और नालियों के बनाने के उपयोग में ला सकती है। इन दोनों कार्यक्रमों का 100 प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय अनुदान के रूप में देय है। इसके लिये कोई लक्ष्य निर्धा-

रित नहीं है और राज्य स्वेच्छा से कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दोनों कार्यक्रम में हुई प्रगति निम्नांकित है :—

1. आवास स्थल :— स्वीकृत 1166 इसके अतिरिक्त, बिहार
आवंटित 1047 ने इस उद्देश्य के लिए 9.
किया गया व्यय = 4.55 लाख रुपये एकड़ भूमि अर्जित की है

2. गलियां और नालियां

(i) गलियां – स्वीकृत : 323 किलोमीटर
पूरी हुई : 212 मिलोमीटर

(ii) नालियां -- स्वीकृत : 274 किलोमीटर
पूरी हुई : 158 किलोमीटर

किया गया व्यय : 18.37 लाख रुपये।

भारतीय तैल निगम के पैट्रोलियम उत्पादों की दरें

3037. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम की पेट्रोलियम उत्पादन की दरें विदेशी पैट्रोलियम कम्पनियों की दरों से अधिक थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) भारतीय तेल निगम को उन दरों से अधिक दरें लेने से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई जो उसे विदेशी कम्पनियों द्वारा ली जाने वाली दरों पर पैट्रोलियम उत्पादन बेचने से प्राप्त होती ;

(घ) भारतीय तेल निगम ने उन वर्षों में कितना मुनाफा दिखाया है ;

(ङ) उस अवधि में अन्य विदेशी कम्पनियों ने कितना मुनाफा दिखाया है ; और

(च) भारतीय तेल विभाग समेत पेट्रोलियम उत्पादों की अन्य सभी कम्पनियों को इस अवधि में कितने-कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) : शोधित पैट्रोलियम उत्पादों की थोक में बेची जाने वाली उच्चतम विक्रय दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है; और वे सभी विपणन कम्पनियों के लिये समान है।

(घ) से (च) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1624/69]

चिकित्सा शिक्षा की नीति में परिवर्तन

3038. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी चिकित्सा शिक्षा की नीति में परिवर्तन कर दिया है तथा अब शिक्षा का विस्तार करने के लिये सुविधायें बढ़ाने की बजाय शिक्षा के स्तर में सुधार करने पर अधिक ध्यान दिया जायेगा ;

(ख) क्या नीति में इस प्रकार के परिवर्तन से देश में डाक्टरों की संख्या के अनुपात पर जो पहले ही बहुत कम है, कुप्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रों में कालेजों की संख्या बढ़ाने की बजाय वर्तमान चिकित्सा कालेजों के सुधार पर बल दिया जायेगा। इसे, चौथी योजना में डाक्टरों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने के लिये दस नये चिकित्सा कालेज चालू करने का विचार है।

(ख) और (ग) : वर्तमान तथा प्रस्तावित नये चिकित्सा कालेजों से जो डाक्टर निकलेंगे उनसे इस योजना अवधि के अन्त तक डाक्टरों और जन संख्या का वर्तमान अनुपात 1 : 5150 से बढ़ कर 1 : 4300 हो जाने की आशा है।

इस समय देश में लगभग 11,500 प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता वाले 93 मेडिकल कालेज हैं। और अधिक कालेज खुल जाने पर वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 13,000 तक हो जायेगी।

विदेशों में शिक्षकों के पद पर कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों को वापस बुलाना

3039. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशों में रहने वाले उन भारतीय डाक्टरों को, जो ब्रिटेन, अमरीका आदि में विभिन्न कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर कार्य कर रहे हैं और समकक्ष पदों पर भारत वापिस आने के लिये तैयार हैं, क्या अवसर और सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) भारतीय मेडिकल कालेजों तथा संस्थानों में शिक्षकों के पदों के लिये विदेशों से ऐसे प्रत्याशियों को चुनने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) इस समय कितने भारतीय डाक्टर ब्रिटेन और अमरीका में शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के प्राध्यापक वर्ग के पदों को भारत में विज्ञापित किया जाता है और उनकी सूचना ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरीका में भारतीय मिशनों को भी दी जाती है। विदेशों में सेवा कर रहे जो भारतीय नागरिक प्रार्थना पत्र भेजते हैं उन पर उनकी अनुपस्थिति में ही उन पदों पर नियुक्ति करने हेतु विचार किया जाता है।

विदेश में रहने वाले प्रत्याशियों को विज्ञापित रिक्त पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में

सम्मिलित होने के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। आयोग के विज्ञापन भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेशों में प्रकाशित किये जाते हैं। जब कभी सम्भव हो तो उनके साक्षात्कार की व्यवस्था विदेशों में ही की जाती है।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संकलित की गई सूचना अनुसार 1968 के आरम्भ में अमरीका में 103 और ब्रिटेन में 18 चिकित्सा अधिकारी प्राध्यापक वर्ग के पदों पर काम कर रहे थे।

1975 तक तेल शोधक क्षमता का विस्तार

3040. **श्री नन्दकुमार सोमानी : श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने 1975 तक 340 लाख मीटरी टन की कुल तेल शोधन क्षमता की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय के एक अध्ययन दल द्वारा इन अनुमानों की जांच करा ली गई है ; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों के विस्तार के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अध्ययन किया जा रहा है कि कैसे और कब इन क्षमताओं को सृजन किया जाए तथा इन्हें अत्याधिक किफायत शुआरी से कहां स्थापित किया जाए।

सन्थाल परगना में देवघर नामक स्थान पर पाया गया जाली नोट छापने का कारखाना

3041. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1969 के पहले सप्ताह में सन्थाल परगना के देवघर नगर में एक छोटा सा छापने का कारखाना पाया गया जिसमें जाली नोट छापे गये थे और परिचालित किये गये थे ;

(ख) क्या किसी को पकड़ा गया तथा पकड़े गये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ; और

(ग) परिचालन में ऐसे जाली नोट कितने मूल्य के हैं तथा क्या इन नोटों को परिचालन में से वापिस लेने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किये गये ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) यह सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायगी।

उड़ीसा सरकार द्वारा मांगा गया ऋण

3042. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये 1969-70 के लिए केन्द्रीय सरकार से 45 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये कहा है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार पहले ही चालू वर्ष में रिजर्व बैंक से 7 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट ले चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) और (ग) : चालू वर्ष के दौरान, अप्रैल में राज्य सरकार के नाम रिजर्व बैंक से जमा से अधिक निकाली गयी रकम में 7.94 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी थी । भारत सरकार को इस वृद्धि के कारणों का पता नहीं है, किन्तु बाद में जमा से अधिक निकाली गयी रकम कम हो गयी थी । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके 27 जून, 1969 को जमा से अधिक निकाली गयी रकम रिजर्व बैंक को वापस कर दी और इस समय राज्य सरकार ने जमा से अधिक रकम नहीं ले रखी है ।

दिल्ली की एक घी फर्म द्वारा करापवंचन

3043. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक घी फर्म द्वारा 10 लाख रुपये के करापवंचन के बारे में एक सूचना देने वाले ने आयकर प्राधिकारियों के सामने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या सूचना देने वाले द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर इस मामले में कोई जांच कार्यवाही की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले थे ; और

(घ) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) दिल्ली की एक घी की फर्म के विरुद्ध कुछ लिखित प्रमाणों के साथ कर-अपवंचन की एक शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा मिली थी । जांच-पड़ताल चल रही है । जांच-पड़ताल पूरी हो जाने से पहले यह बताना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कर-अपवंचन की ठीक ठीक कितनी रकम ग्रस्त है ।

चिकित्सा के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा

3044. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा देने के बारे में कोई कसौटी निर्धारित की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशों में इलाज कराने के लिए जो व्यक्ति विदेशी मुद्रा की मांग करता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेसिडेंसी सर्जन / सिविल-सर्जन / स्टाफ सर्जन जिला निचिकित्सा अधिकारी / इलाज करने वाले डाक्टर / सर्जन से इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करे कि सम्बद्ध डाक्टर ने इस बात की तसल्ली कर ली है कि रोगी जिस रोग से पीड़ित है वह इस तरह का रोग है, जिसके इलाज की सुविधायें भारत में उपलब्ध नहीं हैं या भारत में उसके लिए अच्छा से अच्छा जो इलाज उपलब्ध है उससे रोगी की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है और विदेश में इलाज करना रोगी के स्वास्थ्य के हित में है । इस प्रमाण पत्र पर सम्बद्ध राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सिफारिश के साथ हस्ताक्षर होने चाहिएँ :—

"इस मामले में जो तथ्य दिये गये हैं उन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मैं इस बात से सहमत हूँ कि रोगी का इलाज विदेश में कराना आवश्यक है और मैं सिफारिश करता हूँ कि इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा दे दी जाय ।"

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र पेश करने पर, रिर्जव बैंक विदेशी मुद्रा देता है । किन्तु शर्त यह है कि विदेश से लौटने के बाद, जहां तक सम्भव हो सके, खर्च का हिसाब वाउचरों के साथ रिर्जव बैंक को दे दिया जाय ।

मैसूर में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनायें

3045. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के कितने ग्रामों में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा पिछले दो वर्षों में इस प्रयोजन के लिये ऋण तथा अन्य अनुदानों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता का उपबन्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसूर राज्य में 443 ग्रामों में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने 143.45 लाख रुपये की लागत से लगभग 9800 मकानों के निर्माण की स्वीकृति अभी तक दी है । इसमें से सरकार द्वारा दिए गए 124 लाख रुपये के ऋण से लगभग 6400 मकान पूरे किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 2.46 लाख रुपये की लागत से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 500 बिना मूल्य के मकानों के स्थान विकासित करके आवंटित किए हैं, और 1.73 लाख रुपये के मूल्य से 66 ग्रामों में 66.90 किलोमीटर लम्बी नालियां बनाई हैं ।

पिछले दो वर्षों में, 1967-68 और 1968-69 में, मैसूर राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 14.10 लाख रुपये की (10.80 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 3.30 लाख रुपये अनुदान के रूप में) केन्द्रीय सहायता ली गई ।

राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी

3046. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री भौगेन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के ग्रामों में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है और वितरण की दोष पूर्ण पद्धति के कारण इसको निर्धारित मूल्य के दुगने से भी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पहलू पर विचार तथा वितरण की नीति का पुनरीक्षण करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसको सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ राज्यों में प्रमुख आय-कर दाता

3047. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के सबसे अधिक आयकर देने वाले प्रथम 20 आयकर दाताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) 30 जून, 1969 को उनसे बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ; **और**

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ख) मांगी गई सूचना आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार दी जा सकती है, राज्यों के अनुसार नहीं । आंध्र-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, बिहार, बम्बई नगर और पूना के आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

हिन्दुस्तान जिंक प्रद्रावक के उपोत्पादों का मूल्य

3048. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक प्रद्रावक, उदयपुर के उपोत्पादों के मूल्य अन्य निर्माताओं के उपोत्पादों के मूल्य की अपेक्षा ऊँचे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; **और**

(ग) मूल्यों को घटाने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मलकागंज, दिल्ली के चारों ओर गन्दी बस्ती

3049. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 जून, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस लेख "मल्का-गंज की महिलाय' को देखा है ; और

(ख) क्या कालोनी के आस-पास की गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) मल्का गंज रिहैबीलीटेशन कालोनी के आस पास की गन्दी बस्तियों को उठाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, दिल्ली नगर निगम ने इस क्षेत्र के एक बड़े भाग में खुली नालियां, ईन्टों के बने मार्ग, पानी के नल, कौम्यूनिटी टाइप शौचालय और गलियों में बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कर दी हैं ।

Nickel Deposits Found in Rajasthan

3050. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Nickel deposits have been found in Pali District of Rajasthan ; and

(b) if so, the information received by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Lignite deposits in Palana Coal Mines

3051. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prospects of lignite deposits in the Palana Coal Mine in Bikaner district have increased ; and

(b) if so, the manner in which deposits would be utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) and (b) : The exploration of and exploitation of lignite deposits in Palana in Bikaner District of Rajasthan are solely the concern of the Government of Rajasthan and the Palana Lignite Project is a State Government Project. The role of the Central Government in this matter is confined to assisting and advising the State Government whenever they seek such assistance or advice. It has been reported by the State Government that the prospects of lignite deposits in the Palana Coal Mine in Bikaner district have not increased. The lignite at Palana, if and when exploited, is proposed to be utilised in a Thermal Power Project. It is understood from the State Government that no funds have been provided in the Fourth Plan for such exploitation.

Use of Narmada River

3052. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the length of Narmada river that falls in Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, respectively ;

(b) the total length of Narmada River and the percentage that its length in each of the said States bears to the total length ; and

(c) the quantity of Narmada water each of these States is authorised to use to meet the ends of justice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) **and** (b) : The length of the main Narmada river in different States and its percentage to the total length are given below :

States	Length miles (km)	percentage of total length
Madhya Pradesh.	670 (1117)	82.2
Common bonndary between Madhya Pradesh and Maharashtra.	22 (37)	2.7
Common boundary between Maharashtra & Gujarat.	24 (40)	2.9
Gujarat	99 (165)	12.2
	815 miles	
	(1359 km)	

(c) This is to be assessed by the Tribunal proposed to be constituted for adjudication of the Narmada water dispute.

विकासशील देशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों में भारत की भागिता पर विश्व बैंक की आपत्ति

3053. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री शशि भूषण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों में भारत की भागिता पर विश्व बैंक ने आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बर्मा शैल तथा एस्सो तेल-शोधन कारखानों के उत्पादन में कमी

3054. **श्री मधु लिमये : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसे ही मद्रास तेल शोधन शाला में काम चालू हो जायेगा, एस्सो तथा बर्मा शैल तेल-शोधन शालाओं को अपना उत्पादन अपनी स्वीकृत क्षमता तक सीमित करने के लिये कहा जायेगा ;

(ख) क्या सरकार इन तेल-शोधन-शालाओं को अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता स्वतंत्र रूप से पूरी न करके सरकार के माध्यम से पूरी करने के लिये कहेगी ;

(ग) क्या सरकार इन कम्पनियों को यह बताने के लिये बाध्य करेगी कि उन्होंने वास्तव में यह कच्चा तेल किस भाव खरीदा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं। मद्रास तेल शोधन-शाला सहित, जो जून 1969 में चालू हुई, शोधन शालाओं की वर्तमान कार्यकारी क्षमता 1969 की देश की इंधनीय उत्पादों की आवश्यकता को पूरी करने के लिये करीब-करीब पर्याप्त ही है। मद्रास शौधनशाला द्वारा पूरी क्षमता प्राप्त करने और अन्य सब शोधनशालाओं द्वारा वर्तमान क्षमता के अनुरूप ही उत्पादन कायम रखने पर 1970 की बढ़ी हुई आवश्यकता करीब-करीब पूरी हो होगी।

(ख), (ग) और (घ) : विदेशी तेल शोधन शालायें उनके और सरकार के बीच हुये शोधन शाला समझौते की क्षर्तों के अनुसार कार्य करती हैं। जब तक कि इन समझौतों में संशोधन नहीं होता यह प्रबन्ध चालू रहेगा।

Shortage of Drinking water in Bombay

3056. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Bombay are faced with acute shortage of drinking water every year ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Government of Maharashtra propose to implement Vaitarna and Bhatsai projects to solve this problem ;

(c) if so, whether it is also a fact that the State Government have requested for a loan of Rs. 50 crores from the Central Government for this purpose ; and

(d) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) The State Government had requested assistance of about Rs. 25 crores.

(d) The State Government have been advised to raise the necessary resources.

देश में बैंक सुविधाओं का विस्तार

3057. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकों में कुल कितनी राशि जमा है ;

(ख) उसके राज्य-वार तथा जिला-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में दक्षिण कनारा जिले में बैंकों में जमा राशि उड़िया जैसे कुछ राज्यों में बैंकों में जमा कुल राशि से अधिक हैं ;

(घ) यदि हां, तो देश में बैंकों के असमान विकास के क्या कारण हैं ; और

(ङ) जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास नहीं हुआ, बैंक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) 25 जुलाई, 1969 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास 4778.7 करोड़ रुपया जमा था। एक विवरण सभा पटल पर रखा है जिसमें 1967 के अन्त तक उपलब्ध राज्य-वार आंकड़े दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1625/69]। जिला-वार सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में, बैंक-व्यवस्था के विकास में जो असमानता है वह अंशतः देश के विभिन्न भागों में आर्थिक गतिविधियों के स्तर में भिन्नता होने और निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बिलकुल हाल तक, कुछ क्षेत्रों में ही अपनी शाखाएँ खोलने के सम्बन्ध में जोर देने की प्रवृत्ति के कारण है।

(ङ) शाखाएँ खोलने के सम्बन्ध में लाइसेंस देने की वर्तमान नीति का उद्देश्य बैंकों के कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता को दूर करना है। बड़े-बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बैंकिंग सुविधाओं को अधिक से अधिक स्थानों पर उपलब्ध किया जाय।

पालम कालोनी दिल्ली का नियमित करना

3058. **श्री इशहाक संभाली** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पालम कालोनी, जिसमें लगभग 25,000 लोग रहते हैं, बृहत् योजना तैयार करने से पूर्व अथवा बाद में आस्तित्व में थी ;

(ख) यदि वह बृहत् योजना से पहले बन गई थी, तो उसे उपरोक्त योजना में न दिखाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस कालोनी को, जिस पर सरकार का बहुत खर्च हो चुका है, नियमित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय-विकास मंत्रालय में

राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पालम गांव मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व विद्यमान था, परन्तु इसके पास पर्याप्त अनधिकृत निर्माण हुआ, जिसे 'पालम एनक्लेव' कहते हैं।

(ख) क्षेत्र को मास्टर प्लान में कृषि योग्य हरी पट्टी में दिखाया गया है, जो दिल्ली की 1981 की नगरीय सीमा के तनिक बाहर पड़ता है।

(ग) और (घ) : पालम एनक्लेव उन 101 अनधिकृत कालोनियों में एक है, जो 1 सितम्बर, 1962 और 1 फरवरी, 1966 के बीच बनी हैं। यह निर्णय किया गया है कि ये सभी कालोनियां अर्जित की जायंगी और जहां-कहीं संभव है, निगम द्वारा नियमतिकरण योजना तैयार किये जाने के बाद और अर्जन, और विकास की लागत तथा अन्य प्रभारों के बराबर प्रीमियम लेने पर, मकान/प्लाट सम्बन्धित व्यक्तियों को, पट्टे पर दिये जायंगे। किसी भी सम्पत्ति का, जो मास्टर प्लान के भूमि उपयोग-पद्धति के अनुसार न हो, या जो सड़कों, पार्कों, स्कूल स्थान, आदि जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए आवश्यक हो, उसके बारे में पट्टा नहीं दिया जायगा।

Committee on Petroleum Products

3059. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Sitaram Kesri :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a high power Committee on Petroleum products ;

(b) if so, the terms of reference therefor ; and

(c) the names of the members who would constitute the said Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) **No.**

(b) **and** (c) Do not arise.

बन्ध्यीकरण के लिये विधेयक

3060. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसिक रोगों, कुष्ठ रोग तथा क्षय रोग से पीड़ित लोगों के अनिवार्य बन्ध्यीकरण का कानून अमरीका में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर राज्य सभा में जिस विधान पर विचार किया जा रहा है उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमरीका के विभिन्न राज्यों में मानसिक रोगों, कुष्ठ रोग तथा क्षयरोग से पीड़ित लोगों के अनिवार्य बन्ध्यीकरण के बारे में कानून बनाये गये हैं परन्तु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उनकी वास्तविक कार्यान्विति में कठिनाई ही रही है, क्योंकि उन कानूनों को अदालतों में चुनौतियां दी गई हैं।

(ख) राज्य सभा के लिये एकत्र किये जा रहे जनमत और इसके कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारी को उत्तरदायित्व सौंपना

3061. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशाजनक परिणाम प्राप्त करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ;

(ख) क्या इस मामले पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकारी उपक्रमों के प्रबंध में कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए । इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबंध-बोर्डों में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को रखना बांछनीय होगा बशर्ते कि वह वास्तव में सम्बद्ध उपक्रम में काम कर रहा हो । इस प्रकार का प्रतिनिधित्व केवल औद्योगिक उपक्रमों में ही होगा, वित्तीय और वाणिज्यिक उपक्रमों में नहीं । चूंकि यह निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है; अतः इसके परिणामों का इतनी जल्दी मूल्यांकन कर लेना संभव नहीं है ।

पत्तनों तथा हवाई अड्डों पर मूल्यवान प्राचीन वस्तुओं की जांच पड़ताल

3063. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये पत्तनों तथा हवाई अड्डों पर इस निमित्त क्या व्यवस्था की है, कि कोई मूल्यवान प्राचीन वस्तुएं या कलाकृतियां चोरी छिपे तो नहीं ले जाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पत्तनों तथा हवाई अड्डों पर ऐसी व्यवस्था की गई है और उसका मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी किस प्रकार रोकने का सरकार ने विचार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : प्राचीन वस्तुओं का निर्यात, पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन निषिद्ध हैं । केवल पुरातत्व महानिदेशक द्वारा मंजूर किये गये लाइसेंस के अधीन ही इनका निर्यात किया जा सकता है । बन्दरगाहों तथा हवाईअड्डों के सीमाशुल्क अधिकारी संदेहास्पद मामलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में स्थापित एतदर्थ समितियों के पास उनकी विशेषज्ञ राय जानने के लिए भेजते हैं । ये समितियां सीमाशुल्क अधिकारियों तथा इच्छुक निर्यातकर्ताओं को इस सम्बन्ध में सलाह देती हैं कि वह वस्तु, पदार्थ अथवा सामान जिसे निर्यात के लिए प्रस्तुत किया गया है, पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम के अधीन दी गई परिभाषा के अनुसार प्राचीन-वस्तु है अथवा नहीं ।

Heat-wave Deaths in the Country

3064. **Shri Bansh Narain Singh :** **Dr. Sushila Nayar :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri P. C. Adichan :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri D. V. Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have collected information from various State Governments in regard to the number of persons who died of heat-wave during the months of May, June and July, 1969 ;

(b) if so, the number of persons who died of heat-wave in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, respectively ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to prevent such deaths in future ?

Minister of State in the Mininstry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development :

(a) and (b) : Heat stroke is not a notifiable disease and as such the information is not readily available.

(c) There is no specific preventive therapy for heat-stroke.

महाराष्ट्र आवास बोर्ड

3065. **श्री कृ० गु० देशमुख :** **श्री देवराव पाटिल :**

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र आवास बोर्ड, बम्बई ने उनको अभ्यावेदन दिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 8 करोड़ रुपये की राशि अगले पांच वर्षों में बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का केवल 11 प्रतिशत है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में बोर्ड ने क्या प्रगति की है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बोर्ड ने गत 20 वर्षों में अन्य राज्य आवास बोर्डों की अपेक्षा अधिक मकान बनाये हैं ; और

(घ) बोर्ड के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस मंत्रालय में, अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नही हुआ है ।

(ख) राज्य आवास बोर्ड उन अभिकरणों में से एक है जिन के माध्यम से राज्य सरकारें इस मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं । बोर्ड राज्य सरकारों के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करते हैं, जो कि उन के कार्य का पुनरीक्षण करती हैं । यह मंत्रालय प्रत्येक राज्य की सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति की सामूहिक रूप से निगरानी करता है । अतएव राज्य में कार्य कर रहे किसी अभिकरण विशेष द्वारा सम्पादित प्रगति इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस प्रकार का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आय-कर अपवंचन

3066. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता/सेवा-निवृत्त आयकर अधिकारियों से कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है, कि आयकर निर्धारण के लिये तथा करापवंचन को रोकने के लिये कुछ व्यापार समूहों तथा छोटे क्षेत्रों (जैसे कलकत्ता का बड़ा बाजार और बम्बई में मलजी जेठा मार्केट) की व्यापक छान-बीन की जाय ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भविष्य में ऐसी छानबीन आरम्भ की जायेगी कि स्वेच्छा से धन बताने की योजना के अन्तर्गत बहुत से बड़े लोगों ने अपनी छिपी आय, बेनामी आय नए तथा/अथवा जाली व्यक्तियों के नाम में दिखाई गई आय बता दी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर आयुक्तों ने रिपोर्ट दी है कि इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर-अपवंचन के मामलों में विभाग द्वारा सतत रूप से जांच-पड़ताल की जा रही है। महत्वपूर्ण व्यवसाय समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये कर अपवंचन के सन्दिग्ध मामले सेन्ट्रल आयुक्तों के क्षेत्राधिकारों में मुकम्मल जांच के लिये अन्तरित किये जाते हैं। विभाग का गुप्त सूचना पक्ष ऐसे मामलों में कर-अपवंचन की सूचना इकट्ठी करने में लगा हुआ है। अन्य मामलों में बही-खातों की पूरी-पूरी जांच की जाती है, और अगर यह विश्वास करने का कारण है कि आय छिपाई गई है तो स्थानीय पूछताछ की जाती है। समय समय पर बाजार-सर्वेक्षण किये जाते हैं। बेनामी घोषणाओं के उन मामलों में, जो आयकर विभाग के नोटिस में आये, वास्तविक व्यक्तियों का कर-निर्धारण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई थी। भविष्य में जहां कहीं ऐसे मामले विभाग के नोटिस में आएंगें, उन पर कार्यवाही की जायगी।

हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड, (दिल्ली) में कुप्रबन्ध

3067. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स फैक्टरी (दिल्ली) में कुप्रबन्ध, भाई भतीजावाद तथा घूसखोरी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या प्रबन्धक निदेशक तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा पक्षपात किये जाने के कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैला हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कम्पनी द्वारा हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन की जांच की जा रही है।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई

3068. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को भारतीय मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई के लिए विश्व बैंक को उच्च प्राथमिकता वाले अन्य मूल्य देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई के लिए विश्व बैंक द्वारा इस समय प्राथमिकता वाले किस दर से दिये जा रहे हैं और सरकार ने उससे किन उच्च दरों के लिए निवेदन किया है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा किये गये निवेदन पर विश्व बैंक सहमत हो गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) किसी भी देश में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त पोषित प्रायोजनाओं के बारे में बैंक की नीति यह है कि ऐसे सामान के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक टेण्डरों के आधार पर लिया जाता है, मशीनों और उपकरणों के आन्तरिक पूर्तिकर्ताओं को लागत-बीमा-भाड़ा-मूल्यों पर 15 प्रतिशत (या उन वस्तुओं पर लगने वाले सीमा-शुल्क के बराबर की, इनमें से जो भी कम हो) की तरजीह दी जाती है। हम इस नीति में परिवर्तन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि आन्तरिक मूल्यों पर साढ़े सत्ताइस प्रतिशत की या उन वस्तुओं पर लगने वाले सीमा-शुल्क के बराबर की, इनमें से जो भी कम हो, तरजीह दी जाय। बैंक मामले पर विचार कर रहा है।

भारत में तेल शोधन-शालाओं की तेल उत्पादन की क्षमता

3069. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्यों में तथा देश में अन्य स्थानों में स्थित तेलशोधक शालाओं में प्रति वर्ष कुल कितना पेट्रोल तैयार किया जाता है ;

(ख) किन-किन देशों से और कितनी-कितनी मात्रा में पेट्रोल का आयात किया जाता है और रुपये में उसका मूल्य कितना है ;

(ग) किन-किन स्थानों में खोज कार्य किया जा रहा है ; और

(घ) पेट्रोल के मामले में देश के कब तक आत्म निर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) यह अनुमान है कि पैट्रोल से सदस्य महोदय का अभिप्राय कच्चे तेल से है। 1968 में आसाम तथा देश के अन्य स्थानों में कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 2950 तथा 2903 हजार मीटरी टन था।

(ख) 1968 में कच्चे तेल का कुल आयात निम्न प्रकार था :—

देश	मात्रा (000 मीटरी टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
ईरान	8193	73.04
दक्षिण अरेबिया	2123	19.66
कुबैत	134	1.18
कुल :	10450	93.88

(ग) गुजरात में डूमस, पालेज, कलोल, नवागांव, महैसाना, काडी, सोभासन तथा वासो, आसाम में नाजीर तथा दमदमा, नेफा में निंगरू, राजस्थान में मनहरा टिब्बा और तमिलनाडु में मदनाम । इन स्थानों में सफलता की संभावनाओं को इतना पहले बताना मुश्किल है ।

(घ) देश चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल में आत्मनिर्भर नहीं होगा ।

उड़ीसा में बिजली उत्पादन कार्यक्रम

3070. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में उड़ीसा में बिजली उत्पादन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित बिजली उत्पादन की स्कीमों के पूरा होने की संभावना है जिन से नीचे दिये गए ब्योरे के अनुसार कुल 422.5 मैगावाट बिजली का लाभ होगा :—

(1) तालचेर तापीय केन्द्र (4 यूनिट)	62.5	मैगावाट
(2) वलिमेला पन-बिजली स्कीम (6x60 मैगावाट)	360.0	मैगावाट
कुल	422.5	मैगावाट

(ख) चौथी योजना के मसौदे में उड़ीसा में बिजली के विकास के लिये 44.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिस में से 29.13 करोड़ रुपये उपर्युक्त उत्पादन स्कीमों के लिये पृथक रक्षित हैं ।

उड़ीसा के सुनारों को सहायता

3071. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सुनारों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1969 में कितनी राशि मंजूर की और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ; और

(ख) इस राज्य में अब तक कितने सुनारों को सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विस्थापित स्वर्णकारों को पुनर्वास सहायता के लिये उड़ीसा सरकार को वित्तीय वर्ष 1968-69 में 14.12 लाख रुपये की

रकम मंजूर की गयी है, जिसमें 8.12 लाख रुपये की वह रकम शामिल है जो पिछले वर्ष की मंजूर-शुदा रकम में से व्यपगत हो गयी थी। उड़ीसा सरकार ने 1968-69 में स्वर्णकारों को तथा स्वर्णकारों की एक सहकारी समिति को ऋणों के रूप में कुल 10.26 लाख रुपये की रकम मंजूर की। इसके अलावा, पूर्ववर्ती वर्षों में स्वर्णकारों के बच्चों को शैक्षिक सहायता तथा तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएँ देने में उड़ीसा सरकार द्वारा किये गये 17.35 लाख रुपये के व्यय की रकम की केन्द्र द्वारा वर्ष 1968-69 में प्रति-पूर्ति की गयी है।

(ख) राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उड़ीसा में स्वर्णकारों के लिये पुनर्वास सहायता योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 81,034 स्वर्णकारों और उनके बच्चों ने सहायता प्राप्त की है।

राजस्थान में ग्रामीण आवास परियोजना

3072. **डा० कर्णी सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास परियोजना के अधीन गांवों में सप्लाई की दशा सुधारने और भूमि-हीन खेतीहर मजदूरों के मकानों के आस-पास सड़कों तथा नालियों के लिये राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि दी गई थी ; और

(ख) धन किस प्रकार खर्च किया गया था तथा राजस्थान सरकार ने किन उद्देश्यों को पूरा किया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता सम्पूर्ण रूप में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दी जाती है ना कि उसके अधीन किसी विशिष्ट परियोजना के लिए। मार्च, 1969 के अन्त तक राजस्थान सरकार को 150 लाख रुपये की राशि योजना के अधीन नियत की गई, परन्तु उन्होंने केवल 78.92 लाख रुपये लिए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान सरकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बिना मूल्य के आवास-स्थल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर रही है, परन्तु, फिर भी, 84,000 रुपये की अनुमानित लागत से 5 चुने हुए ग्रामों में 6,780 रनिंग फुट गलियों के बनाने की स्वीकृति दी है जिसमें से 69,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

राजस्थान के बीकानेर जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम

3073. **डा० कर्णी सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1968 में जन्म दर कितनी कम हुई है ;

(ख) बीकानेर डिवीजन में 1 जनवरी, 1968 से अब तक कितने पुरुषों तथा महिलाओं ने स्वेच्छापूर्वक बन्ध्योकरण कराया तथा लूप पहने हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में बीकानेर डिवीजन में कितने नये ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र, ग्रामीण उप-केन्द्र तथा नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र खोले जायेंगे।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जन्म सम्बन्धी आंकड़ों के विशेषज्ञों के हिसाब के अनुसार 1951-60 के लिये राजस्थान में प्रति हजार 42.7 जन्म दर (1961 की जनगणना के अनुसार) में 1967-68 में प्रति हजार दो अंकों की कमी हुई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी एक संलग्न विवरण में दे दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1626/69]

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बीकानेर डिवीजन में कोई नया ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण उप-केन्द्र और नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्था

3074. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्था सरकार द्वारा स्थापित किया गया स्वायत्तशासी निकाय है जिसकी देखरेख सम्बन्धी अनुदान तथा अन्य नियमित अनुदान उनके मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं ;

(ख) क्या इस संस्था ने राजनीतिक सामग्री के संग्रह के लिये एक नया संगठन स्थापित किया है, जिसका सारा व्यय विदेशी प्रतिष्ठानों द्वारा वहन किया जायेगा और अनुसंधान, सर्वेक्षण आदि करने के लिये विदेशियों द्वारा प्रेरित इस केन्द्र के साथ करार किया है ;

(ग) उस करार की शर्तें क्या हैं जिसके अन्तर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने फोर्ड फाउंडेशन तथा उनके द्वारा स्थापित इस नये राजनीतिक अनुसंधान केन्द्र को मुफ्त कार्यालय तथा संकाय आवास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं ; और

(घ) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपा गया 'राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों के बीच सम्बन्ध' सम्बन्धी अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्था के दल या फोर्ड फाउंडेशन द्वारा बताई गई किसी संस्था द्वारा किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय लोक प्रशासन संस्था एक स्वायत्त संगठन है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (1860 का XXI) के अधीन स्थापित किया गया है। इस संस्था को वित्त मंत्रालय के मार्फत भारत सरकार से आवर्ती वार्षिक अनुदान प्राप्त होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने फोर्ड फाउन्डेशन को कोई कार्यालय-स्थान अथवा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं की हैं। अगर 'नये राजनीतिक अनुसंधान केन्द्र' का उल्लेख प्रयुक्त राजनीति केन्द्र से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (1860 का XXI) के अधीन स्थापित एक स्वायत्त संस्था है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने अपने कार्यालय-स्थान का कुछ भाग इस केन्द्र को, जिसका निदेशक संस्था का अतिथि प्राध्यापक भी है, निःशुल्क इस्तेमाल करने के लिये उपलब्ध किया है। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया गया है।

(घ) "राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों के बीच सम्बन्ध" पर अध्ययन का कार्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्था को औपचारिक रूप से नहीं सौंपा गया था। प्रशासनिक

सुधार आयोग के लिये पृष्ठ-भूमि अध्ययन के रूप में यह कार्य भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा अपने आप ही किया गया था ।

जड़ी बूटियों से तैयार की गई खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयां

3075. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री विश्वम्भरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में कुछ जड़ी-बूटियों से तैयार की गई खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयां कारगर सिद्ध हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सहायता देने तथा ऐसी जड़ी-बूटियों को बड़े पैमाने पर उगाने का है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं । अभी यह सिद्ध किया जाना है कि यह कारगर है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राज्य नदी-जल विवाद

3076. **श्री द० व० राजू :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के बीच चल रहे नदी-जल विवादों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) निम्नलिखित मुख्य अन्तर्राज्यीय जल विवाद अभी निपटारे के लिये रहते हैं :—

(1) कृष्णा

(2) गोदावरी

(3) नर्मदा

कृष्णा और गोदावरी जल विवाद अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अधीन न्याय-निर्णय के लिये न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिए गए हैं । नर्मदा जल विवाद को भी न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करने का फैसला किया गया है ।

चिकित्सा सम्बन्धी औजारों पर आयात शुल्क में वृद्धि

3077. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजारों के आयात पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार ने उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है, जिसमें कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप डाक्टरों के पास उपर्युक्त औजार पर्याप्त नहीं रहेंगे ; और

(ग) क्या इनका आयात पहले ही कम हो गया है और यदि हां, तो नये शुल्क लगाने से पूर्व तथा बाद में आयात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) :शल्य चिकित्सा यंत्रों का वर्गीकरण टारिफ की मद सं० 77 (2) के अन्तर्गत किया गया है और उनपर आयात शुल्क की दर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत ही चल रही है। वैयक्तिक उपयोग के निमित्त आयात की गयी वस्तुओं के लिये (औषध तथा औषधियों के अलावा) टारिफ में (वित्त अधिनियम 1969 के द्वारा) एक नई मद 87-बी जोड़ देने के बाद भी, जिस पर मूल्यानुसार 100 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है, व्यावसायिक उपयोग के लिये आयात किये गये शल्य चिकित्सा यंत्रों पर शुल्क की दर अपरिवर्तित है, क्योंकि उनका वर्गीकरण अब भी टारिफ की मद 77 (2) के अन्तर्गत किया जाता है। यह स्थिति उनको स्पष्ट कर दी गई है जिन्होंने उच्चतर दरें लागू किये जाने के भय से सरकार को अभ्यावेदन भेजे थे। 9 जून 1969 को जारी की गई एक अधिसूचना के द्वारा, (व्यावसायिक उपयोग से भिन्न) वैयक्तिक उपयोग के लिये आयात किये गये शल्य-चिकित्सा-यंत्रों को भी मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से शुल्क जितना अधिक हो उतनी छूट दी गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

आसाम में दूसरी तेल शोधन-शाला के लिए विशेषज्ञ समिति

3078. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में दूसरी तेलशोधन शाला स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये नियत अवधि को दो महीनों के लिये और बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समिति ने अब तक अपने कार्य में कितनी प्रगति की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) समिति को दो महीने का और समय दिया गया है ताकि आसाम राज्य के प्राधिकारियों को अध्ययन में अपना योग देने का पूरा पूरा अवसर मिल जाये तथा समिति सारे आसाम में कच्चे तेल के मालूम हुये भण्डारों का ज्यादा सही तौर पर अध्ययन कर सके।

(ग) समिति ने कच्चे तेल के भण्डारों तथा उपलब्धि, आसाम तथा बरौनी के मौजूदा तेल शोधक कारखानों में उत्पादित विभिन्न पेट्रौलियम उत्पादों की मात्राओं, आसाम तथा उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की माँग के प्रक्षेपण, इत्यादि से सम्बन्धित दिल्ली की भारी मात्रा इकट्ठी की है और उसपर आंशिक रूप से जांच की है।

भारत में 'पीस कोर' के स्वयं सेवक

3079. **श्री सी० जनार्दन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक राज्य में इस समय 'पीस कोर' के कितने स्वयं सेवक काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें कितने स्वयं सेवक तकनीकी योग्यता प्राप्त हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भारत में उनके काम का पुनर्विलोकन किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पहली जुलाई, 1969 को भारत में शान्ति सेना के 545 स्वयं सेवक थे। इन स्वयं सेवकों का राज्यवार वितरण सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1627/69]

(ख) प्रत्येक स्वयंसेवक को भारत में जो काम करना होता है, वह उस सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करता है और इन स्वयंसेवकों में से कुछ के पास तकनीकी योग्यताएं तथा व्यावहारिक अनुभव भी होता है। इसलिए, उन्हें जिस किस्म का काम करना होता है वे उसके लिये पर्याप्त रूप से सक्षम होते हैं।

(ग) चूंकि स्वयं सेवकों को काम करने के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है इसलिए उनके काम की समीक्षा राज्य सरकारें ही करती हैं। राज्य सरकारों के सम्बद्ध अधिकारियों के परामर्श से स्वयं सेवकों के कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष व्यापक समीक्षा की जाती है।

(घ) ये कार्यक्रम काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

लघु बचत के रूप में प्राप्त हुई राशि

3080. **श्री जनार्दनन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष लघु बचत के रूप में कम राशि प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) लघु बचत के रूप में अधिक राशि प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। 1968-1969 में वास्तव में लगभग 112.32 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ जबकि 1967-68 में 123.24 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था। पर 1968-69 के अन्तिम लेखा-परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) लगता है यह कमी, 1968-69 में कर्मचारी भविष्य निधियों की निवेश-प्रणाली में परिवर्तन हो जाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधियों के छूट-प्राप्त और उनसे भिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा कम निवेश किये जाने के परिणाम स्वरूप हुई है।

(ग) बचतों की रकम में वृद्धि करने की दृष्टि से अभी हाल में जो उपाय किये गये हैं उनमें ये उल्लेखनीय हैं :—

(i) जिन प्रदेशों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, आन्ध्र प्रदेश, तामिल नाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में जहां ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है, बचत आन्दोलन शुरू किये गये हैं। बचत आन्दोलन का उद्देश्य किसानों में अपनी बचतों को जमा करने की आदत डालना है।

(ii) मीयादी जमा योजना, जो बचत के अतिरिक्त माध्यम के रूप में पिछले वर्ष शुरू की गयी थी, पहली नवम्बर 1968 से अभिकर्ताओं के लिये भी खोल दी गयी। इस योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा इकट्ठी की गयी रकम पर उन्हें सवा प्रतिशत कमीशन दिया जायगा।

(iii) डाक-घर बचत बैंक में तीन वयस्कों द्वारा संयुक्त-खाता खोले जाने की सुविधा भी दे दी गयी है, पर संयुक्त खाते में अधिक से अधिक 50 हजार रुपये जमा कराने की मौजूदा शर्त बनी रहेगी। अब तक केवल दो वयस्क ही संयुक्त खाता खोल सकते थे।

(iv) राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, जो सरकार को छोटी बचतों के आन्दोलन को बढ़ावा देने से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देता है, राष्ट्रीय बचत आन्दोलन पुनर्गठन समिति नामक एक समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति का काम केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत संगठन और राज्यों के सहायक संगठनों के कार्यों पर विचार करना, उनके कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के बारे में सुझाव देना और आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाने और उसे फिर से तेज करने के उपायों पर विचार करना है। महाराष्ट्र के छोटी बचतों के भूतपूर्व मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। आशा है यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

उड़ीसा में वैतरणी नदी बांध योजना

3081. **श्री स० कुन्डु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वैतरणी नदी बांध योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है और क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा ;

(ख) क्या कुलियाना (उड़ीसा) में बुरावालंगा नदी पर बांध बनाने की योजना का काम आरम्भ किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो वह इस समय किस अवस्था में है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) उड़ीसा की वैतरणी नदी के ऊपर आनन्दपुर बराज स्कीम के लिये राज्य सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में तकनीकी जांच हो रही है। राज्य सरकार ने इस स्कीम को चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। बहर हाल, योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों में चौथी योजना में आरम्भ की जाने वाली नई सिंचाई स्कीमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) सुवर्ण रेखा-बुधबलांग सिंचाई स्कीम के बारे में, जिसके अधीन बिहार में को-कपाद पर सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर एक व्यपवर्तन वियर का निर्माण परिकल्पित है, और

कुलियाना पर बुध-बलांग वेसिन में एक जलाशय के बारे में राज्य सरकार द्वारा अभी अनुसंधान किये जा रहे हैं।

सरकारी उपक्रमों के पूंजीगत ढांचे को युक्तियुक्त बनाना

3082. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सरकारी उपक्रमों म के पूंजीगत ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विचाराधीन सभी प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुँची है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान स्टील, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग ऐण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन और हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों की, जिनमें बहुत बड़ी पूंजी लगी है, पूंजीगत व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस मामले पर विचार करते समय ये महत्वपूर्ण विषय भी आते हैं जैसे प्रारम्भिक निवेश, प्रौद्योगिकी का स्वरूप और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी बाधाएँ, उत्पादन के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति, मिलने वालों आर्डरों की स्थिति, उत्पादकता, विक्रय मूल्य, लाभ-कारिता, वित्तीय सहायता की रकम और सहायता प्राप्त होने का समय आदि। इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है। चूंकि सम्बद्ध बड़े मामले जटिल हैं, इसलिये इन सब के बारे में अन्तिम फैसला करने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

होने वाली सदन की बैठक के लिये प्रश्न उर्वरक कैंटेलिस्टों का निर्यात

3083. **श्री स० कुन्दू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग ने किसी युरोपीय देश के साथ हाल ही में कोई करार किया है जिसके अन्तर्गत कुछ किस्मों के उर्वरक कैंटेलिस्टों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) किस देश के साथ यह करार किया गया है ; और

(ग) उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) बुलगारिया।

(ग) निम्न कैंटेलिस्टों की स्पलाई के लिये मैसर्स चिमिम पोर्ट के साथ ठेका किया गया है।

(1) प्राकृतिक गैस के प्राइमरी रिफार्मिंग के लिए कैंटेलिस्ट।

(2) मैथेन के सकैण्डरी रिफार्मिंग के लिए कैटेलिस्ट ।

(3) हाई टैम्परेचर कनवरशन के लिए कैटेलिस्ट ।

(4) लो टेम्परेचर कनवरशन के लिए कैटेलिस्ट ।

(5) सी० ओ० और सी० ओ० 2 के मैथेनाइजेशन के लिए कैटेलिस्ट ।

ठेके का कुल मूल्य (जहाज पर्यन्त निशुल्क बम्बई तक) अमरीकी मुद्रा में 1,15,275 डालर है । ठेके के अनुसार कैटेलिस्ट का लदान अक्तूबर/नवम्बर, 69 तक होना चाहिए ।

कानपुर उर्वरक कारखाने के बायलर हाउस से रेडियम धर्मी की चोरी

3084. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 जुलाई, 1969 को इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस आशय के समाचार को देखा है कि कानपुर के समीप स्थित एक उर्वरक कारखाने के बायलर हाउस से शक्तिशाली रेडियम धर्मी धातु की चोरी हो गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि कानपुर के लाखों लोगों के लिये रेडियम धर्मी धातु के दूषण से खतरा है ;

(ग) क्या रेडियम धर्मी धातु की किस्म और उसकी विकिरण क्षमता का पता लगाया गया है ;

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, रेडियम-धर्मी धातु को जिसे कन्टेनर से 9 जुलाई, 1969 को हटाये जाने की रिपोर्ट मिली थी, उसे 11 जुलाई, 1969 को कारखाने की चार दिवारी के बाहर लगभग 400 गज की दूरी पर खुले मैदान में दफनाया हुआ पाया गया । यह रिपोर्ट मिली है कि क्योंकि जहां पर उक्त वस्तु मिली थी, वहां पर कोई आबादी नहीं थी, इस लिए सामान्य जनता के स्वास्थ्य पर रेडियम-धर्मी धातु का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

जरूरतमन्द लोगों को दांतों और ऐनकों की मुफ्त सप्लाई

3085. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार जरूरतमन्द लोगों को दांत और ऐनकें मुफ्त देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री लंका में भारतीय बैंकों का कारोबार

3086. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार ने भारतीय बैंकों को श्रीलंका में स्वीकृत बैंकों के रूप में कारोबार करने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि बैंक आफ सिलोन को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार की यह शर्त स्वीकार कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : श्रीलंका सरकार ने अनौपचारिक रूप से यह पूछा था कि क्या भारत सरकार श्रीलंका के बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देगी। श्रीलंका की सरकार को सूचित किया गया कि भारत सरकार की सैद्धान्तिक रूप से श्री लंका के बैंकों द्वारा भारत में उन शर्तों पर शाखाएं खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं है जिनपर अन्य देशों के बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति है। तब से श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका में काम कर रहे भारतीय बैंकों को वहां के निवासियों की रकमें जमा करने की अनुमति दे दी है।

कोचीन उर्वरक कारखाने में जापान का सहयोग

3087. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान कोचीन उर्वरक परियोजना में सहयोग करने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

होटल उद्योग के विकास के लिए ऋण

3088. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल विकास ऋण निधि के बन जाने के बाद अन्य सरकारी संस्थाओं ने गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल उद्योग के विकास के लिए ऋण देना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि होटल विकास ऋण निधि के संसाधन इतने नहीं हैं कि वह होटल उद्योग के विकास की आवश्यकता को पूरा कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार होटल खोलने के इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का है या जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक अन्य बैंकों को इस कार्य के लिये ऋण देने के लिये निदेश देने का है, ताकि होटल विकास के लिये उन्हें ऋण प्राप्त हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

वाटर एण्ड पावर डेवलपमेंट कन्सलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

3089. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विदय्त् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाटर एण्ड पावर डेवेलपमेंट कन्सलटेंसी सेर्विसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी पंजीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको पंजीकृत किये जाने का औचित्य क्या है और उसके कृत्य क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई के विकास में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से है । बिजली के क्षेत्र में, भारत ने बहुत सी ताप और पन-बिजली परियोजनाएं बनाई हैं । पिछली दो दशाब्दियों में विकास के इस क्षेत्र में तेज प्रगति रहा है । विकास के इस दौर में, परियोजनाओं के अनुसंधान, आयोजन, अभिकल्प और कार्यान्वयन के क्षेत्र में विशेषज्ञता-पूर्ण ज्ञान और सुविज्ञता का भंडार बना लिया गया है । विकास-शील देशों में इन्जीनियरी और सलाहकारी सेवाओं के लिये मांग हैं । इसलिए विकासशाल देशों में जल तथा बिजली के विकास से सम्बन्धित सलाहकारी और तत्संबंधी सेवाओं के लिये निविदाएं भरने और ठेके प्राप्त करने हेतु एक स्वायत्त संस्था स्थापित की गई है ।

यह कम्पनी जल संसाधनों, सिंचाई और जल-निकास, बिजली शक्ति, बाढ़ नियंत्रण और जल सप्लाई परियोजनाओं के विकास के लिये इन्जीनियरी तथा तत्सम्बन्धी सलाहकारी सेवाएं और बांध, बराज, नहरों, पन-बिजली और ताप बिजली-घरों, तथा पारेषण व वितरण प्रणालियों जैसी संसाधन विकास परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्ति, प्रतिष्ठापन, निर्माण प्रबंधकार्य और तत्सम्बन्धी सेवाएं प्रदान तथा उनका अनुष्ठापन करेगी । यह निवेशपूर्व सर्वेक्षणों, हवाई फोटोग्राफी, जल-विज्ञानीय सर्वेक्षणों, सामग्री सम्बन्धी सर्वेक्षणों, नींव तथा अनुसंधान भु-सर्वेक्षणों और भूमि वर्गीकरण सर्वेक्षणों के लिये भी सेवाएं प्रदान करेगी ।

यह कम्पनी मुख्यत: विदेशों में काम लेने का विचार रखती है । इसने संयुक्त राष्ट्र

संस्थाओं के साथ पंजीकरण के लिये प्रार्थना पत्र भेज दिये हैं ताकि वे विकाश-शील देशों में जिन निवेश-पूर्व सर्वेक्षणों, अध्ययनों परियोजनाओं आदि को संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से सहायता मिल रही है, उनके लिये निविदाएं भर सके ।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

3090. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) – 24 जुलाई, 1967 से कोयला मूल्यों पर से नियन्त्रण हटा लिये जाने के परिणाम स्वरूप कोयला मूल्यों को तय करना अब क्रेताओं और विक्रेताओं की आपस की बात है। इस दृष्टि से सरकार द्वारा कोयले के मूल्य बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर और नागालैण्ड के छात्रों के लिए चिकित्सा कालेजों में स्थानों का आरक्षण

3091. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थय तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के लिये मनीपुर तथा नागालैण्ड के छात्रों के लिए पूर्व-चिकित्सा पाठ्यक्रम और एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के कितने स्थान नियत किये गये है ;

(ख) मनीपुर और नागालैण्ड के लिए किन-किन कालेजों में और कितने-कितने स्थान नियत किये गये हैं ; और

(ग) मनीपुर सरकार ने कितने स्थान मांगे थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1628/69]

Campaign by All India Hindu Mahasabha against Family Planning

3092. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the appeal made by the All India Hindu Mahasabha to the masses that the population should not be allowed to decrease ;

(b) whether their attention has also been drawn to the news that the Mahashbha has decided to accelerate the campaign of conversion so as to achieve its object ;

(c) if so, the reaction of Government in regard to its impact on the masses ; and

(d) the details of action proposed to be taken by Government to minimise the effect of the said campaign on the Family Planning Programme ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) Government have no information in this respect.

(c) and (d) : Do not arise. It may be added that the family planning movement in India has been founded on ethical, rational, scientific and voluntary basis. It is a secular movement related to the socio-economic development of the people of all communities and is equally applicable to all citizens irrespective of caste, creed, religion or social status.

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या

3093. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये साधन जुटाये जायें और धन दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों के स्थानों का आरक्षण

3094. **श्री सूरज भान** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपनी मर्जी के छात्रों को देने के लिए एम० बी० बी० एस० चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ स्थान सुरक्षित रखती है ;

(ख) यदि हां, तो पूरे देश में ऐसे कितने स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ।

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए सीधे चयन करते समय किसी योग्यता या अंकों पर ध्यान नहीं दिया जाता ; और

(घ) क्या इन सुरक्षित स्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) केन्द्रीय सरकार केवल निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों के लिये प्रति वर्ष मेडिकल कालेजों में स्थान सुरक्षित करती है :—

(1) नागालैंड और उन संघ क्षेत्रों के छात्र जिनके अपने मेडिकल कालेज नहीं हैं ।

(2) मूल-भारतीय स्टाफ जो कि विदेशों में भारतीय मिशनों, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेषज्ञ ऐजेंसियों के अन्तर्गत सेवा करने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए ।

(3) भूतपूर्व/मृत अथवा सुरक्षा सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए ।

(4) बर्मा, लंका, मोजाम्बिक तथा अन्य देशों से स्वदेश लौटे हुए व्यक्ति ।

(5) भूटान तथा सिक्किम के छात्रों के लिए ।

(6) सांस्कृतिक योजना छात्रों, विदेशों में बसे मूल भारतीय छात्रों तथा विदेशीय छात्रों के लिए।

(7) अपेक्षाकृत कम विकसित राष्ट्रमण्डल देशों के छात्रों के लिए।

(8) कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के लिए।

(9) विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीका सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के लिए।

(ख) प्रतिवर्ष उपरोक्त श्रेणियों के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों की संख्या भिन्न भिन्न होती है जो कि राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं सम्बन्धित कालेजों के प्रबन्धक निकायों द्वारा वस्तुतः सुरक्षित किये गये स्थानों पर निर्भर करती है।

(ग) तथा (घ) : सुरक्षित स्थानों के लिये भारतीय छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और सुरक्षित स्थानों का 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सुयोग्य छात्रों के लिये रखा जाता है। सांस्कृतिक योजना छात्रों का चयन शिक्षा मन्त्रालय द्वारा किया जाता है और कोलम्बो योजना विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीका सहायता योजना को छोड़ कर विदेशी छात्रों की अन्य श्रेणियों का चयन विदेश मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। कोलम्बो योजना एवं विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीका सहायता योजना के छात्रों का चयन विभिन्न देशों में प्राधिकृत भारती मिशनों द्वारा किया जाता है।

मन्त्रियों की सम्पत्ति का मूल्यांकन

3095. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में सब मन्त्रियों की सम्पत्ति का मूल्यांकन कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) माननीय सदस्य संभवतः धन-कर के प्रयोजन के लिये कर-निर्धारण का उल्लेख कर रहे हैं। धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण या तो स्वयं निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर किये जाते हैं या उन विवरणियों के आधार पर किये जाते हैं जो वे धन-कर प्राधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जारी किए गये नोटिसों के उत्तर में पेश करते हैं। सभी सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रियों के मामलों में धन-कर के प्रयोजन के लिए कर-निर्धारण या तो पूरे कर दिये गए हैं, अथवा तदनुसार पूरे किये जा रहे हैं।

Production of Electricity by the end of Fourth Plan

3096. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the extent to which the production of electricity would reach in the country by the end of Fourth Five year Plan ; and

(b) whether it would be sufficient to meet the requirement of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : **(a) and (b)** : According to the estimates of the Working Group

on Power, the installed generating capacity at the end of Fourth Plan should be 26 million kw (production at about 104,000 million kwh per annum), while the Fourth Five Year Plan envisages a target of 22 million kw (production at about 88,000 million kwh per annum) which apparently shows a shortage of 4 million kw by the end of Fourth Five Year Plan.

कर्मचारी सहकारी ऋण संस्थाओं को गैर-बैंकिंग संस्थाएं घोषित करना

3097. **श्री देवेन सेन :** **श्री समरगुह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक ने कर्मचारी सहकार ऋण समितियों को, गैर-बैंकिंग संस्थाएँ घोषित करने या उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के पर्यवेक्षण से छूट देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या रक्षित बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार की यह सिफारिश भी अस्वीकार कर दी है कि नगरीय सहकारी ऋण बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धों को नर्म कर दिया जाय ;

(ग) क्या रक्षित बैंक ने अवास्तविक सहायक सदस्यों को इस शब्द की वास्तविक परिभाषा के अनुसार सदस्य मानने से भी इन्कार कर दिया है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस शब्द के कानूनी अर्थों में ऐसे सदस्यों को सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ ऐसी कार्यवाही करने का है जिससे अनेकों कर्मचारी ऋण समितियों और नगरीय सहकारी ऋण बैंकों को रक्षित बैंक के कड़े रुख के कारण हानि न उठानी पड़े और उन्हें बन्द न होना पड़े।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह बात सच नहीं है कि रिजर्व बैंक ने कर्मचारी सहकारी ऋण समितियों को गैर-बैंकिंग संस्थाएं घोषित करने से इन्कार कर दिया है। रिजर्व बैंक इस प्रकार की किसी समिति को इस अधिनियम की सीमा से बाहर जाने की अनुमति दे देता है बशर्ते कि वह समिति अपने उप-नियमों में ऐसा संशोधन कर ले जिससे वह केवल अपने सदस्यों से ही जमा के लिए रकमें स्वीकार कर सके तथा गैर-सदस्यों द्वारा जमा करायी गयी रकमों को लौटा दे या लौटाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दे। 1966 के शुरू में वेतन भोगियों / कर्मचारियों की कुल 770 सहकारी समितियां थी जिनमें से रिजर्व बैंक ने अब तक 424 समितियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की (जिस रूप में वह सहकारी समितियों पर लागू होता है) सीमा से बाहर जाने की छूट दी है।

(ख) जून 1966 में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सिफारिश की थी कि अधिनियम के उपबन्धों में खास कर उन उपबन्धों में, जो शहरी सहकारी ऋण बैंकों में कम से कम नकदी रकमों और नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के रखने के सम्बन्ध में हैं ढील दी जाय। चूंकि इस प्रकार की ढील देने से बैंकिंग विनियमन अधिनियम की विनियामक व्यवस्थाओं को सहकारी बैंकों पर लागू करने का उद्देश्य पूरा न होता, इसलिए यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी थी।

(ग) और (घ) : राज्य सहकारी समिति अधिनियम में जहां कहीं भी नाम मात्र के सदस्य

सह-सदस्य बनाने की व्यवस्था है वहां, जहां तक उस अधिनियम का सम्बन्ध है, उन सदस्यों को वास्तविक सदस्य माना जाता है । रिजर्व बैंक के विचार में, नाम मात्र के सदस्यों अथवा सह-सदस्यों से, जिनका सहकारी समितियों के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं हो, जमा के लिए रकमें स्वीकार करने का अर्थ बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन जन-साधारण से जमा के लिए रकमें स्वीकार करना होगा और इसलिए रिजर्व बैंक ने इस प्रकार की समितियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी ।

(ङ) : यह कहना ठीक नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक के रुख के कारण कर्मचारी सहकारी ऋण समितियों और शहरी बैंकों को नुकसान उठाना पड़ता है या उन्हें अपना काम बन्द करना पड़ता है । जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, रिजर्व बैंक-बैंकिंग विनियमन अधिनियम की सीमा से बाहर जाने के सम्बन्ध में ऐसी किसी भी समिति के अनुरोध पर विचार करेगा बशर्ते कि वह समिति ऐसे गैर-सदस्यों की उसके पास जमा सारी रकमों को लौटाने की व्यवस्था करने के बाद गैर-सदस्यों से जमा के लिए रकमें स्वीकार करने पर रोक लगाने के लिए अपने उपनियमों में उपयुक्त संशोधन करे ।

Construction of two-Roomed Quarters for Class IV Employees in Delhi

3098. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of two-roomed quarters constructed for class IV employees in Delhi during the last three years, the year-wise break-up thereof and the names of places where they were constructed ;

(b) the funds earmarked for this purpose in the Budget of 1967-68, 1968-69, and 1969-70 and the amount actually spent on it ; and

(c) in case no such quarters were constructed during the said period, the reasons therefor and the names of places where Government propose to construct these quarters in future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No two-roomed quarters have been constructed for Class IV employees in Delhi during the last three years.

(b) Budgetary allotment of funds for the construction of quarters for Government employees is normally not made category-wise. However, a budget provision for Rs. 100 lakhs has been made in the current year for the construction of about 2 000 quarters of various types in New Delhi/Delhi. Against this provision, an estimate for the construction of 64 Type I (Two-roomed) quarters in the D. I. Z. area has been sanctioned. As the construction of these quarters is yet to begin, no amount has been spent so far.

(c) The construction of quarters for Government employees of different categories is being carried out in phases subject to availability of funds and relative deficiency in satisfaction in various types of quarters. 64 Type I quarters for which sanction has been accorded this year will be constructed in the D. I. Z. area of New Delhi.

तारपीन के खनिज तेल का उत्पादन

3099. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो कम्पनी ने तारपीन के खनिज तेल का उत्पादन पूर्णतया बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) 1965-66, 1967 और 1968 में एस्सो कम्पनी को कितना कुल और शुद्ध लाभ हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने कोयाली शोधनशाला पर उपयुक्त पदार्थ की सप्लाई के वैकल्पिक प्रबन्ध कर दिये हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नप्रकार है :--

वर्ष	कुल लाभ (लाख रुपये)	शुद्ध लाभ (लाख रुपये)
1965	148.6	19.3
1966	103.6	13.3
1967	40.8	27.9
1968	आडिट किये हुये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।	

मनीपुर और आसाम के मुख्य मन्त्रियों के बीच वारक परियोजना के बारे में बातचीत

3100. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर और आसाम के मुख्य मन्त्रियों ने वारक परियोजना के बारे में शिलांग में जून, 1969 में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को उनकी बातचीत की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के सम्बंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) वारक घाटी में नारायणधार पर एक बांध के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर 18 जून, 1969 को शिलांग में असम और मनीपुर के मुख्य मन्त्रियों ने विचार-विमर्श किया था । मनीपुर के मुख्य मन्त्री सच्चे दिल से अपनी मदद देने के लिए सहमत थे, परन्तु उनका यह विचार था कि प्रस्तावित वर्तमान स्थल पर बांध के निर्माण से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन आवश्यक हो जायेगा और धान उगाने वाले काफी सारे क्षेत्र तथा नई नई बनी कजर सड़क के कुछ हिस्से पानी में डूब जायेंगे । अतः उन्होंने बांध बनाने के लिए वैकल्पिक स्थलों को ढूंढ़ने का सुझाव दिया । यह निर्णय किया गया कि इस सुझाव की जाँच की जाए और बाढ़ ऋतु के बाद दोनों राज्यों के सम्बन्धित मन्त्री और अधिकारीगण वास्तविक स्थल का निरीक्षण करें ।

सब्जी मन्डी, दिल्ली के दूकानदारों की ओर किराये की बकाया राशि

3101. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्जी मन्डी, दिल्ली के दुकानदारों की ओर किराये की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि बकाया है ;

(ग) किराये की बकाया राशि बढ़ती रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पूरी राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (घ) : फ्रूट एन्ड वैजीटेबल मर्चेन्ट्स यूनियन के द्वारा दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/दिल्ली डवलपमेंट आथर्टी को पहले दिये गये किराये के आधार पर 1 अप्रैल, 1959 से लेकर 31 मार्च, 1969 तक की अवधि के लिये यूनियन के द्वारा देय बकाया राशि 25 लाख रुपये थी । यूनियन के द्वारा मुकदमेबाजी के फलस्वरूप यह बकाया राशि एकत्रित हो गयी थी । यूनियन ने अब बकाया राशि अदा कर दी है तथा इस पर सहमत हो गई है कि ब्याज के लिये नगर निगम के दावे को माध्यस्थ्य के लिये उप-राज्यपाल को भेज दिया जाये ।

Per Unit Cost of Electricity generated in India as compared to U. S. A., U. S. S. R. and Japan

3102. **Shri K. M. Madhukar :** **Shri Jyotirmoy Basu :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per unit cost of electricity generated in India is more as compared to that in U. S. A., U. S. S. R. and Japan ;

(b) if so, the details in regard thereto ;

(c) whether Government have set up any Committee of experts to give suggestions for reducing the cost of generation of electricity ; and

(d) if so, the progress made by the Committee and the details in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The actual cost of electricity generation from various sources in USA, USSR and Japan is not authoritatively available. This is being obtained. The average present-day costs of electricity generation in this country are as follows :---

	Approximate cost of energy generation in paise/kwh.
Hydro Stations	2.5 to 4.0
Thermal Stations	
(i) at mine-head	4.2 to 6.3
(ii) at remote places	5.8 to 11.4

(c) Yes, Sir.

(d) The Committee which was set up in May 1969 is expected to submit its report after one year.

Cyclone Warning by Satellite

3103. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a Press report which appeared in the Aryavart of the 9th June, 1969 he stated that a satellite launched by U. S. A. took photographs on the 14th May, 1969 of the cyclone which occurred at a distance of about 300 miles in the ocean, but intimation to this effect could not be relayed immediately and if so, the reasons therefor ;

(b) whether necessary protective measures could be taken if timely information was received ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : The photographs taken by U. S. A. Weather Satellite on 14th May, 1969 were valuable and showed the incipient development of a cyclone. The picture was transmitted to the Storm Warning Centres at Madras and Calcutta and warnings were conveyed through All India Radio Stations at Madras, Vijayawada and Visakhapatnam. What was stated was that the intensity and further course of cyclone could not be given to the affected areas due to want of Radar Stations on the East Coast, which would have given far more details. With this detailed information it would have been possible to reduce the damages considerably.

आसाम से प्राप्त राजस्व में भागिता

3104. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में केन्द्रीय सरकार आयकर के अतिरिक्त और किन मदों पर कर लगाती है ;

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कितना राजस्व प्राप्त किया है और आसाम राज्य से प्रति वर्ष कितना कर प्राप्त किया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार को उपरोक्त अवधि में इसके आवंटन से कुल कितना धन दिया है और ऋण को छोड़कर इसका वार्षिक ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सभी केन्द्रीय अधिनियम जिनके अन्तर्गत कर तथा शुल्क लगाये जाते और वसूल किये जाते हैं असम राज्य पर लागू होते हैं । असम में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से हुई वसूलियों और आयकर आयुक्त, असम के अधिकार-क्षेत्र से आयकर, निगम-कर, धन-कर, सम्पदा शुल्क, दान-कर तथा व्यय-कर की वसूलियों का वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के लिये एक विवरण-पत्र सभापटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1629/69]

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में आयकर, सम्पदा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में उसके हिस्से के तौर पर असम राज्य को अन्तरित कुल रकमें नीचे दिखायी गयी हैं :—

लाख रुपयों में

	1966-67	1967-68	1968-69
आयकर	3,35	4,27	4,76
सम्पदा शुल्क	11	9	15

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	7,33	7,50	9,38
कुल	10,79	11,86	14,29

सीमा शुल्क, निगम कर, धन कर, दान कर तथा व्यय कर में राज्य सरकार को हिस्सा नहीं बांटा जाता ।

घग्घर नदी के बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए विश्व-बैंक से सहायता

3105. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घग्घर नदी के बाढ़ के पानी के बहाव को, जो राजस्थान में गंगानगर जिले के विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र के लिए तबाही पैदा करता है, मोड़कर सतलुज या यमुना नदी में डालने की योजना के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों ने विश्व-बैंक से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन सरकारों ने विश्व बैंक से सीधे अनुरोध किया है या केन्द्रीय सरकार के माध्यम से ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं । फिर भी, भारत सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में घग्घर और पश्चिमी यमुना नहर के इलाकों में बाढ़ सुरक्षा तथा निकास स्कीमों के लिए विश्व-बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया है ।

मेसर्स डोडसल (प्रा०) लिमिटेड

3106. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या वित्त मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 921 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स डोडसाल एंड कंपनी के कार्यों के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) 24 फरवरी, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 921 के उत्तर में उल्लिखित 'कारण बताओ' नोटिस तथा निदेश जो प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड तथा इसके कुछ निदेशकों के नाम जारी किये गये थे, उन के उत्तर मिल गये हैं तथा प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा उन पर न्यायनिर्णय की कार्यवाही की जा रही है ।

यह ठीक ठीक कहना संभव नहीं है कि कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी । प्रवर्त्तन निदेशालय इसे जल्दी ही अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है ।

श्री मून्दड़ा का ब्रिटेन में अपने एजेन्ट को पत्र

3107. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री 24 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हरिदास मून्दड़ा द्वारा ब्रिटेन में अपने व्यापार एजेंट को लिखे गये उस पत्र के बारे में जांच-पड़ताल की जा चुकी है, जो श्री वर्मा को "पांच पौंड चाय" देने के बारे में था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में की जा रही जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है ।

सरकारी भवनों के अधिभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक स्थान

3108. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1966 से वर्षवार दिल्ली प्रशासन को कितने निदेश भेजे हैं, जिनमें संपदा निदेशालय, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों के अधिभोक्ताओं को वैकल्पिक स्थान देने को कहा गया है ;

(ख) उपरोक्त निदेशों में से कितने निदेशों को, वर्षवार, समाप्त कर दिया गया है और कितनों को समाप्त करना शेष है ; और

(ग) बेदखली से पूर्व वैकल्पिक स्थान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली प्रकाशन के वे कर्मचारी, जिनके लिए पृथक विभागीय पूल नहीं है, सामान्य पूल वास से आवंटन के लिए पात्र हैं और दिल्ली प्रशासन की इस प्रकार के कोई अनुदेश, जारी नहीं किये जाते कि सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सामान्य पूल वास के दखलकारों को वैकल्पिक वास आवंटित किए जाएं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में श्रीमती काकनी की मृत्यु

3109. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री मयाबन :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री टी० डी० रामभद्रन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सूरजभान :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 जून, 1969 को श्रीमती काकनी की अकस्मात मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, जो कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में विकलांग विभाग में वार्ड नम्बर 9 में दाखिल थी ;

(ख) क्या रात के समय ड्यूटी वाले डाक्टर ने रोगिणी को देखा, और यदि हां, तो क्या उसकी दशा गम्भीर थी, क्या उसे औषधियां दी गई थीं और क्या मृतक के सम्बन्धियों को तुरन्त ही सूचना दी गई थी ;

(ग) क्या विकलांग शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष के आदेश अनुरोध पर कि वरिष्ठ डाक्टर को वार्ड नम्बर 9 में नियुक्त किया जाना था, यदि हां, तो वरिष्ठ डाक्टर नियुक्त क्यों नहीं किया गया ; और

(घ) उस डाक्टर के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो रात को ड्यूटी पर था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 70 वर्षीय श्रीमती काकनी को कमर की रीढ़ के क्षय रोग के उपचार हेतु इस संस्थान के अस्पताल में भर्ती किया गया था। 6 मई, 1969 को उनका एक बड़ा आपरेशन किया गया जिसके पश्चात् उनका समय कठिनाई से बीता और निम्न रक्त चाप से ग्रस्त हो गई। इसके बाद धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। 14 जून, 1969 को प्रातः अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई।

(ख) 13 जून, 1969 को जो डाक्टर ड्यूटी पर था उसने रोगी को सांय 9.30 बजे देखा और स्वस्थ पाया। क्षय निरोधी औषधि के अतिरिक्त रोगी को अन्य कोई औषधि नहीं दी गई। क्योंकि उनकी दशा गम्भीर नहीं थी इसलिए उनके संबन्धियों को कोई सूचना नहीं दी गई।

(ग) विकलांग शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष ने इस वार्ड में वरिष्ठ डाक्टर की नियुक्ति के लिये कोई अनुदेश जारी नहीं किया। एक अनुभवी डाक्टर इस वार्ड में ड्यूटी पर था और उनके अतिरिक्त एक रजिस्ट्रार तथा एक वरिष्ठ परामर्शदाता भी जरूरत पड़ने पर, उपलब्ध थे।

(घ) इस मामले में लापरवाही नहीं हुई है और इसलिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3110. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1966-67 में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति सप्लाई कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि जितनी सप्लाई की गई थी, वह मांग से बहुत कम थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात को उक्त अवधि में उनकी वास्तविक मांग को देखते हुए 1967-68 में मिट्टी के तेल का पर्याप्त नियतन किया गया था ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा०

चह्वाण) : (क) 23,838,000 (मध्य-जुलाई, 1966) की अनुमानित जन संख्या पर आधारित, 1966-67 के दौरान गुजरात में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत किलोग्राम 8.6 या 11.3 लिटर थी ?

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

राज्यों में पी० वी० सी० शू० बनाने के कारखाने

3111. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य को पी० वी० सी० शू बनाने वाले चार कारखाने नियत किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो बिहार राज्य के कितने कारखानों का नियतन किया गया है ;

(ग) क्या बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी गई है ; और

(घ) इस उद्योग के विकास के लिए सरकार की भविष्य की भावी नीति क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) सरकार की नीति है कि पी० वी० सी० शूज बनाने के लिए प्रत्येक राज्य के लघु उद्योग क्षेत्र में दो से चार कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए।

(ख) अब तक बिहार राज्य में कोई कारखाना चालू नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि उन कारखानों के सिवाय, जो मुख्यरूप से पी० वी० सी० शूज का निर्यात करें, पूर्ण पी० वी० सी० जूतों (चप्पलस, सैण्डलज़ और शूज़) को केवल लघु उद्योगों में विकास के लिये रक्षित किया जाये।

राज्यों में मंजूर किये गये खनन पट्टे

3112. **श्री गु० च० नायक** :
श्री दे० अमात :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा गोआ संघ राज्य क्षेत्र में किन-किन खनिज के कितने पट्टे अब तक मन्जूर किये गये ;

(ख) मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मैसूर तथा आँध्र प्रदेश राज्यों में किन पार्टियों को खनन-पट्टे मंजूर किये गये थे और इन मंजूरियों की तारीखें क्या हैं तथा प्रत्येक पट्टे का क्षेत्र क्या है ; और

(ग) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में किन-किन खनिजों के भंडार हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग) - अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में पट्टे धारियों की जमा राशि

3113. **श्री गु० च० नायक :** **श्री दे० अमात :**
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मैसूर और आंध्र प्रदेश में व्यक्तिगत पट्टे धारियों की कितनी राशि जमा है ; और

(ख) इन राज्यों में कितनी खानों में काम हो रहा है और कितनी खानों में काम नहीं हो रहा है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) और (ख) -- अपेक्षित सूचना संबंधित राज्य सरकारों से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल रख दी जायेगी ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्यों का सर्वेक्षण

3114. **श्री गु० च० नायक :** **श्री दे० अमात :**
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने किन राज्यों का पूर्ण सर्वेक्षण किया है और अब तक एकत्रित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उड़ीसा में क्योंझर जिलों में नालंग टोली-परिपुकरी, खंड का सर्वेक्षण किया गया था और यदि हाँ, तो कब यह खनिजों का भंडार कहाँ और कितना है और इसकी कितनी किस्में हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :
(क) देश के लगभग सभी भागों में प्रारंभिक टोह मानचित्रण तथा खनिज सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं । भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । खनिज रचनाओं के सिद्धांतों में कृत्रिमता, समन्वेषण तकनीकों में प्रगति और खनिज संसाधनों के संवर्धन की आवश्यकता के लिये आधुनिक स्थलाकृतिक आधार नक्शों तथा हवाई फोटोचित्रों पर बड़े पैमाने पर पुनः मानचित्रण किया जाना आवश्यक होता है । सारे देश का इस प्रकार का पुनः मानचित्रण प्रगति पर है ।

किये गये सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप बहुत से खनिज निक्षेपों अर्थात राक-फास्फेट, बाक्साइट, बेन्टोनाइट, मिट्टियाँ, क्रोमाइट, कोयला, लिग्नाइट, तांबा, सीसा और जस्ता अयस्कें, हीरे, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, फ्लुओराइट, सोना, ग्रेफाइट, जिप्सम, लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक, निकल तथा पाइराइट आदि का पता लगाया गया है ।

(ख) जी, हाँ । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा मार्च, 1963 से लेकर अप्रैल 1968 तक विस्तृत अन्वेषण किये गये थे । इनके परिणाम स्वरूप 5300 लाख मैट्रिक टन लोह अयस्क की कुल उपलब्ध राशियों का अनुमान लगाया गया है । इस में से औसतन 63 प्रतिशत एफ० ई० मात्रा वाले 157 लाख मैट्रिक टन पिंड लोह अयस्क तथा 58 से 62.99 प्रतिशत के

बीच एफ० ई० मात्रा वाले 900 लाख मैट्रिक टन पिंड लोह अयस्क के प्राप्त हो सकने की सम्भावना है ।

साउथ/नार्थ एवेन्यु अथवा संसद भवन में नई दिल्ली नगर पालिका का काउन्टर खोलना

3115. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों ने इस आशय की शिकायतें की हैं कि नई दिल्ली नगर पालिका उनके फ्लैटों का बिजली तथा पावर की लाइन का कनेक्शन अनियमित रूप से काट देती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली नगर पालिका का एक कार्यालय साउथ एवैन्यु/नार्थ एवैन्यु अथवा संसद् भवन में खोल रही है ताकि वह शिकायतें सुनी जा सकें तथा बिजली के बिलों का भुगतान किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में पांच नकदी-संग्रहण केन्द्र हैं जिसमें नार्थ ब्लाक का केन्द्र भी शामिल है, इस केन्द्र में शिकायतें नहीं ली जाती हैं ।

(घ) साउथ एवेन्यू/नार्थ एवेन्यू अथवा संसद्भवन में ऐसा कोई कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि टाउन हाल जहां ये शिकायतें सुनी जाती हैं, एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित है ।

Establishment of a Coal-based Fertilizer Plant at Korba by Fertilizer Corporation of India

3116. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri G. C. Dixit** :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fertilizers Corporation of India has prepared second amended Project Report for the purpose of setting up the coal-based fertilizer plant ot Korba ;

(b) whether it is also a fact that the report prepared by the Fertilizers Corporation of India has proved that establishment of such a plant would be economical ;

(c) whether it is also a fact that the cost of production of Uria would be about Rs. 355 per ton in the proposed plant whereas it would be Rs. 367 per ton in Trombay Fertilizer Plant, which is based on Naptha ;

(d) whether it is also a fact that the Madhya Pradesh Government have agreed to provide facilities and concessions regarding power, water, land, sales tax etc. for this plant ; and

(c) if so, the reasons for delay in arriving at a decision about the establishment of the proposed Plant ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The estimated cost of production of urea at Korba is Rs. 354.5 per tonne excluding interest on loan and return on equity. Comparable cost of production for a naphtha based plant at Trombay is estimated at Rs. 326/- per tonne.

(d) The State Government of Madhya Pradesh have indicated their willingness to provide facilities like land, water, power etc. for the Korba Project.

(e) The Government are actively considering the relative merits of different coal-based projects with particular reference to market potential. The final decision regarding the number and location of coal based fertilizer factories in the public sector is expected to be taken shortly.

Seizure of Gold at Santa Cruz Airport

3117. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of gold was seized at the Santa Cruz airport from two citizens of Mauritius ;

(b) if so, the value and quantity thereof ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) **and** (b) : Yes, Sir. On the 23rd July, 1969 the Customs authorities at Bombay seized 39 Kgs. of gold valued approximately at Rs. 3.29 lakhs (at the international monetary rate) from two nationals of Mauritius who arrived at Santa Cruz airport from Mauritius.

(c) These two persons have been arrested and remanded to Police custody. Further investigations are in progress.

Precious Stone found in Panna District, Madhya Pradesh

3118. **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a precious stone weighing 28/13 carats was found in a mine of Panna district of Madhya Pradesh on the 20th July, 1969 ;

(b) if so, the value thereof ; and

(c) the amount that would be given to the person who found the above stone as his share thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The value is estimated at Rs. 2 lakhs.

(c) The person who found it will get 90 per cent of the sale price. Income-tax will also be deducted from this amount.

'एम' लूप का प्रचलन

3119. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'एम' लूपों का प्रचलन करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या बहुत से पश्चिमी देशों में यह लोकप्रिय है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान लूप की अधिकांश कमियों को इस लूप में दूर कर दिया गया है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) ऐसा पता चला है कि ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, इजराईल में 'एम' लूप की जाँच की जा रही है और हांगकांग में इसका क्षेत्र में परीक्षण हो रहा है। अधिकृत जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इसकी तुलनात्मक उपयुक्तता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत खनन-पट्टे के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का निपटारा

3120. **श्री गु० चं० नायक** : **श्री ही० ना० देव** :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज रियायती नियमों की किन धाराओं के अन्तर्गत पहले पट्टे-धारियों के निर्दिष्ट खनिजों को छोड़ कर अन्य खनिजों के लिये खनन-पट्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटारा किया जाता है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस तथ्य से अवगत कराया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1968 में संशोधित रूप के अनुसार खनिज रियायत निगम 1960 के नियम 24 के उप-नियम (4) से (6) तक।

(ख) जी, हां।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

खान अब्दुल गफ्फार खान की भारत यात्रा में बाधा डालने का पाकिस्तान का कथित प्रयास

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :--

"जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार लेने के लिए तथा अब्दुल गफ्फार खांन की प्रस्तावित भारत यात्रा में बाधा डालने का पाकिस्तान सरकार का कथित प्रयास।"

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे कि अखबार की इस खबर की पुष्टि होती हो कि पाकिस्तान सरकार इस कोशिश में है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ इस वर्ष भारत आकर अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार न लेने पाएं।

करोड़ों भारतवासियों की तरह भारत सरकार भी खान अब्दुल गफ्फार खाँ की आगामी यात्रा की बहुत उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है; भारत के लोगों के मन में उनके लिए असीम श्रद्धा और स्नेह है।

श्री म० ला० सोंधी : मैं भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री का समर्थक हूँ। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहता जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मैं इसके विरुद्ध हूँ। किन्तु हमें तथ्यों का सामना करना है और पिछले इतिहास पर दृष्टिपात करना है।

बादशाह खां को पाकिस्तान की जेलों में 15 वर्ष तक एकान्तवास में रखा गया। किन्तु यह उनके लिये कोई नई बात नहीं थी। अंग्रेजों के शासन काल में उन्हें एकान्तवास में रखा गया किन्तु उनकी भावनाओं को ये सब बातें नहीं कुचल सकीं। एकबार बादशाह खां ने बाबा खड़क सिंह के सम्बन्ध में अपना संस्मरण सुनाया था। डेरा गाजी खां में बादशाह खां सब से लम्बी सजा काट रहे थे। जेल में केवल सरदार खड़कसिंह और बादशाह खां रह गये थे। जेल के पुलिस इन्सपेक्टर जनरल जेल का निरीक्षण करने के लिए गया था। वह गुस्से में भरा हुआ उनके पास गया और सरदार जी को सम्बोधन करते हुए कहा "अच्छा खड़क सिंह"; सरदार जी ने उत्तर में कहा, "अच्छा क्या", पुलिस इन्सपेक्टर जनरल ने गुस्से में आदेश दिया कि बाबा खड़क सिंह को एक एकान्त कोठरी में रखा जाये और उन्हें दूध देना बन्द कर दिया जाये। बादशाह खां बैरक में अकेले रह गये थे। वे दोनों किवाड़ में छेद से एक दूसरे को देख लिया करते थे। बाबा खड़कसिंह बहुत कमजोर हो गये थे। बादशाह खां कभी कभी उन्हें छेद से कुछ खाना दे दिया करते थे। वह बहादुर व्यक्ति थे। कठिनाइयां और मुसीबतें उनके हास्य की भावना को नहीं दबा सकीं।

यही शब्द खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में कहे जा सकते हैं। सभी प्रकार की मुसीबतों के बाद भी वह जिन्दादिली के उदाहरण हैं। पाकिस्तान ने उन्हें हैदराबाद में एकान्त वास में रखा। पाकिस्तान में पेचिस के इलाज के लिए उन्हें गलत औषधि दी गई। वह अत्यन्त कष्ट में थे। 36 घंटे तक उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्हें भारी रक्त चाप हो गया था और उनके गुर्दे खराब हो गये थे। उनके साथ सदा दुर्व्यवहार किया जाता रहा किन्तु सरकार ने उनकी मुक्ति के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने उन्हें रिहा कराने के लिये कार्य किया।

उन्होंने बहुत यातनाएं सही। आज हम लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। पखतूनिस्तान के सम्बन्ध में वह अहिंसा से कार्य करना चाहते हैं और भारत से नैतिक समर्थन चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे आशंका है कि भारत में कुछ लोग खान खब्दुल गफ्फार खां के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि खान अब्दुल गफ्फार खां की भारत यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। इस समाचार पत्र के वर्तमान सम्पादक प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। अतः हमें उनसे यह स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि क्या ये विचार उनके अपने थे या सरकार के।

कुछ लोग खान अब्दुल गफ्फार खां के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । 24 दिसम्बर, 1966 को दो प्रमुख कांग्रेसियों द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत एक ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया था कि श्री मेहरचन्द खन्ना नामक किसी व्यक्ति ने खान अब्दुल गफ्फार खां के खुदाई खिदमतगार आश्रम की निधि से 4 लाख रुपये का गबन किया था । क्या भारत के प्रधान मंत्री ने इस आरोप की जांच कराई थी ?

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने के साथ साथ माननीय सदस्य ऐसा भाषण देने लगे हैं जिसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार के असंगत भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है । माननीय सदस्य सीधे प्रश्न पूछें ।

श्री म० ला० सोंधी : मैंने इसलिये स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि कुछ लोग उनकी भारत यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं ।

भारत के प्रधान मंत्री ने तेंदुलकर द्वारा रचित पुस्तक की भूमिका में कहा है कि बादशाह खां के बारे में तेंदुलकर की पुस्तक पढ़ने से पाठक को लज्जा का अनुभव होता है । आशा है कि बादशाह खां हमें हमारी असफलताओं के लिए क्षमा कर देंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने पिछले दो वर्षों में इस दिशा में कोई ठोस कार्य किया है ? प्रत्येक व्यक्ति बादशाह खां का स्वागत करना तो चाहता है किन्तु उनके उचित स्वागत की तैयारी के लिये क्या किया गया है ?

चूंकि संसद सदस्यों को अब अधिक भत्ता मिलने वाला है, अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे उसमें से कुछ राशि खान अब्दुल गफ्फार खां कोष में दें ।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह पूरी तरह मानता हूँ कि बादशाह खां एक उत्साही और सिद्धान्तों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं और वह राष्ट्रपिता गांधी की भांति शान्ति के लिये कार्य करते रहे हैं । मैं समझता हूँ कि कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है जो यह न चाहता हो कि वह भारत आयें । मुझे माननीय सदस्य की बात सुनकर आश्चर्य हुआ है । हम महान नेता तथा देश भक्त की भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम में से बहुत से लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला है । हमें पार्टी का मामला बीच में नहीं लाना चाहिए·····

श्री म० ला० सोंधी : पार्टी का मामला बीच में कौन ला रहा है ? पार्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । मैं इस का निर्णय सभा पर छोड़ता हूँ ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनका इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं चाहता हूँ कि ये बातें बीच में न लाई जायें । हम चाहते हैं कि हम सब मिल कर इस महान नेता का भारत आने पर मिलकर स्वागत करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि अन्य सदस्य भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे । इसलिये मैं उनके नाम छोड़ कर आगे चलता हूँ ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : जी, नहीं । यह कैसे संभव हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री सोंधी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था । मैंने सोचा कि श्री कंवरलाल गुप्त उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं । इसलिये मैंने समझा कि इतना ही पर्याप्त है । यह केवल सुझाव मात्र है न कि निर्णय ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बैलट से नाम निकाले जाते हैं और केवल पांच सदस्यों

को प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। अतः किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछने से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा नाम बैलट में आया है और मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है।

Mr. Speaker : All right. I thought that you had been satisfied with the questions asked by Shri Sondhi, who belong to your party. If you are not satisfied, you may ask the question.

Shri Kanwar Lal Gupta: I fully agree with the hon. Minister that all of us should give him a united welcome on his visit to this country. But it is also a fact that Khan Abdul Ghaffar Khan has suffered a lot before and as well as after the independence. Late Shri Jawaharlal Nehru said on a number of occasion that we had sympathy with him. But all along our Government have been a passive spectator. In 1965 Shri Swaran Singh had said in this House that we had sympathy with Pakhtoonistan and our Government would make effors for its creation keeping in view the fact that Pakistan is interfering in our internal affairs and supplying arms to Nagas and also the fact that the Prime Minister has written to hold talks with the Head of the State, may I know whether the question of Pakhtoonistan will also be raised and it will be stressed that Pakhtoonistan may be created ?

Some of the students of Comex have been detained by Pakistan for the time being and now they are coming direct to India. What action Government are taking in this regard ?

Shri Dinesh Singh : How the visit of Comex students is connected with Khan Abdul Gaffar Khan ?

So far as the visit of Khan Abdul Gaffar Khan is concerned, we will discuss with him, what he wants and what we can do for him. We can arrive at any conclusion only after having discussions with him.

So far as the policy of the Government is concerned, the statement of Shri Swaran Singh as the Minister of External Affairs, is on the record of the proceedings of the House and we are still firm on it.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : खांन अब्दुल गफ्फार खां सीमान्त गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गांधी जी की भांति ही वह हमारे लिये प्रेरणा के स्त्रोत हैं। गांधी जी के निधन के 21 वर्ष बाद वह भारत आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वह भारत में कितने दिन ठहरेंगे और सरकार ने उनके लिये क्या क्या कार्यक्रम तैयार किया है ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस बात का स्वागत करेंगे कि वह अपनी इच्छानुसार जितने दिन ठहरना चाहें यहाँ ठहरें।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में है, 7 अगस्त, 1969 को श्री शशि भूषण ने दिनांक 30 जुलाई, 1969 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में "विमेन एम० पीज़ पिन डाउन यंग टर्क," शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार के बारे में विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाया था। यह मामला स्पष्टीकरण के लिये इस पत्र के सम्पादक को भेजा गया था। सम्पादक ने 8 अगस्त,

1969 के अपने पत्र में यह स्वीकार किया है कि उनके सम्वाददाता का यह कहना गलत था कि श्री शशि भूषण ने श्रीमती शारदा मुकर्जी को सी० आई० ए० एजेंट कहा था। सम्पादक ने आगे कहा है कि श्री शशि भूषण ने श्रीमती शारदा मुकर्जी के तुरन्त बाद भाषण दिया था। घटनाओं के क्रम तथा अन्तर्बाधाओं के कारण संवाददाता से गलती हो गई। सम्पादक ने इस गलती के लिए खेद व्यक्त किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मेरा एक विशेषाधिकार प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मेरे कक्ष में मिले थे। आप इस प्रश्न को उठाने पर जोर दे रहे थे किन्तु बाद में विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ था कि केवल एक सदस्य मामला उठा सकता है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : केन्द्रीय कक्ष में अपनी पार्टी के सदस्यों के सामने भाषण करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अनेक टिप्पणियां की थी और अनेक आक्षेप किये थे।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : I rise on a point of order. If a head of any party says something in his party meeting, can it be raised here ?

Shri Rabi Ray (Puri) : The hon. Member should not raise any point of order like this when a Member has already been allowed to raise it.

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य की बात सुन लेने दीजिए। उन्होंने मुझसे मेरे कक्ष में कहा था कि वह एक-दो मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री क० ना० तिवारी : प्रश्न यह है कि क्या आप किसी पार्टी की बैठक में कही गई बात को इस सभा में उठाने की अनुमति देते हैं।

श्री क० लकप्पा : कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने केन्द्रीय कक्ष में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के सामने बोलते हुए कहा था कि इस कक्ष में कहानियां गढ़ी जाती हैं और उनका प्रचार किया जाता है। श्री निजलिंगप्पा ने इस प्रकार की अफवाहों की, कि 16 अगस्त, को सरकार गिरा दी जायेगी, आलोचना की थी। लोक-सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा निर्देश के निर्देश 124 के अनुसार केन्द्रीय कक्ष संसद के परिशर के अन्तर्गत आता है। अतः केन्द्रीय कक्ष में किया गया कोई आक्षेप सभा में किया गया आक्षेप माना जाता है।

कंसाइज आक्सफोर्ड डिक्सनरी के अनुसार फनी शब्द का अर्थ मजाकिया (कामिकल), विचित्र (क्यूरियस), अविश्वसनीय (हार्ड टु एकान्ट फार) होता है। अतः संसद के किसी भाग को फनी अथवा ऐसा स्थान कहना जहां पर कहानियां गढ़ी जाती है और उनका प्रचार किया जाता है, संसद पर आक्षेप है। इस प्रकार यह संसद के विशेषाधिकार भंग का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय कक्ष में संविधान तैयार किया गया था। किन्तु उस समय यह मालूम नहीं था कि इस कक्ष का उपयोग सदस्यों के बातचीत करने के लिये किया जायेगा। जब इसमें किसी पार्टी की बैठक होती है, तो यह पार्टी का कक्ष हो जाता है। यह सब

कुछ इसके प्रयोग पर निर्भर करता हैं। इसके बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। अतः माननीय सदस्य इस मामले को क्यों उठा रहे हैं ?

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : निदेशों के अनुसार केन्द्रीय कक्ष संसद भवन का एक भाग है।

श्री जी० विश्वनाथन । (वंडीवाश) : किसी दल की बैठकें केन्द्रीय कक्ष में नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय कक्ष में बैठक करने की अनुमति कांग्रेस को भी नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने अथितियों तथा दर्शकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। शायद उन्हें यह पता नहीं है कि यह किसी दल का अपना कक्ष नहीं है।

जूट उद्योग में हड़ताल समाप्त किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : CALLING OFF THE STRIKE IN JUTE INDUSTRY

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि पश्चिमी बंगाल में पटसन उद्योग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 4 अगस्त 1969 को हड़ताल शुरू की थी। मैंने जो वक्तव्य 5 अगस्त 1969 को दिया था उसमें मैंने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया था जो हड़ताल के लिए जिम्मेदार थीं। उस रोज मैंने यह आग्रह भी किया था कि पटसन उद्योग की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्ता को देखते हुए हम सबको राष्ट्रीय हित को वैयक्तिक या दलगत हितों से ऊपर रखना चाहिए ताकि पटसन उद्योग मे उत्पादन पुनः शुरू हो जाये। श्रमिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों पर इस अपील का प्रभाव पड़ा और वे हड़ताल खत्म करने के लिए समझौता करने के लिए विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हो गये। श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारियों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच 8 और 9 अगस्त को नई दिल्ली में बातचीत हुई। पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री ने भी बातचीत में भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों में समझौता हो गया है। आशा है सम्बन्धित संगठन और श्रमिक संघ इस समझौते का अनुसमर्थन करेंगे और पूरा उत्पादन कल से शुरू हो जायेगा।

निम्नलिखित शर्तों पर वाद विवाद तय हुआ : (1) वेतन-ढांचे के पुनरीक्षण का प्रश्न एक ऐसी उचित मशीनरी को सौंपा जायेगा, जिसका गठन, निर्देश-पद तथा समय-सीमाएँ ऐसी होंगी जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होंगी, (2) वेतन ढांचे के पुनरीक्षण तक कर्मचारियों के मूल वेतन पर 30 रुपये प्रतिमास की अन्तरिम वृद्धि 1 अगस्त से दी जायेगी; (3) कलकत्ता के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप जुलाई 1969 के अन्त में देय महंगाई भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा; (4) प्रत्येक कर्मचारी को, जिसका नाम 1 अगस्त को रजिस्टर में दर्ज था, एक मास की अन्तरिम वृद्धि (30 रुपये) के बराबर तदर्थ आधार पर भुगतान किया जायेगा, और (5) कर्मचारी हड़ताल खत्म करके अगले मंगलवार को काम पर आ जायेंगे।

पटसन उद्योग में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करना काफी समय से आवश्यक हो गया था। यह अच्छी बात हुई है कि मालिक अन्तरिम वृद्धि के लिए सहमत हो गये हैं। आशा है कि वेतन

ढांचे पर विचार करने वाली समिति भी श्रमिकों की उचित मांगों पर ध्यान देगी। साथ ही वह पटसन निर्माताओं की उन आवश्यकताओं पर भी ध्यान देगी जिनसे वे विश्व बाजार में स्पर्धा का मुकाबला करने में समर्थ हों। अब मालिकों तथा कर्मचारियों में मतभेद शान्तिपूर्ण ढंग से हल हो गये हैं। उन्हें अपनी सम्पूर्ण शक्ति उत्पादन बढ़ाने में लगानी चाहिए तथा जो बाजार हाथ से निकल गये हैं उन्हें फिर से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करने में पटसन उद्योग का बड़ा हाथ है। अब श्रमिकों और प्रबन्धकों में पूर्ण सहयोग की भावना का उद्रेक हो गया है। अतः जितना भी कच्चा पटसन उपलब्ध हो उस सारे माल का पटसन की वस्तुओं के बनाने में उपयोग होना चाहिए। इसके लिए हम पटसन उत्पादकों के प्रति भी आभार प्रदर्शित करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं पश्चिमी बंगाल के पटसन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों तथा संयुक्त मोर्चे की सरकार को इस समझौते के लिए बधाई देता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री और श्रम तथा रोजगार मंत्री, श्री हाथी को उनके प्रयत्नों के लिए बधाई देता हूं। मैं पश्चिमी बंगाल के श्रमिकों को भी उन्हें प्राप्त सफलता के लिए बधाई देता हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : मैं, श्री के० के० शाह की ओर से, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के वार्षिक लेखे, तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1609/69]

बंगाल (विक्रय कर) अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) बंगाल (विक्रय कर) अधिनियम, 1941, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) अधिसूचना संख्या एफ० 4 (144)/68-फिन० (जे) (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 9 अक्तूबर, 1968 की समसंख्यक अधिसूचना का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 4 (173) / 68 फिन० (जी) (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 की समसंख्यक अधिसूचना का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ० 4 (177) / 68-फिन० (जी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 2 जनवरी, 1969 की समसंख्यक अधिसूचना का शुद्धि-पत्र दिया गया है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1610/69]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1785 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1786 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1790 जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1611/69]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (17वां संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1607 में प्रकाशित हुई थी । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1612/69]

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 1697 से 1712 तक (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1612/69]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1969-70

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1969-70

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं वर्ष 1969-70 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की पूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूँ कि लोक-सभा द्वारा

4 अगस्त, 1969 को पास किये गये बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 8 अगस्त, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

कुछ अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : DELAY IN LAYING OF CERTAIN NOTIFICATIONS ON TABLE OF THE HOUSE

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अधीन कुछ अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में 25 जुलाई, 1969 को सभा में उठाई गई एक बात के स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1639/69]

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The French currency has been devalued. There is a devaluation of Franc. We have trade relations with France and devaluation of French currency will have impact on our trade with France. So I want Government to .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस मामले के उठाने के लिये अलग से सूचना देनी चाहिये। ध्यान दिलाने वाली जो सूचना अस्वीकार कर दी गई है, उसे इस प्रकार से कार्यवाही में सम्मलित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरक्त एक दिन में अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाने वाली केवल एक ही सूचना ली जा सकती है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : ऐसे भी पूर्वोदाहरण हैं जब कि इस सभा में एक ही दिन में ऐसी दो सूचनाएं ली गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर हम आज शाम को विचार करेंगे। मैंने इसके लिये बैठक बुलाई है।

हैदराबाद के निकट रेल दुर्घटना के बारे में

Re : RAILWAY ACCIDENT NEAR HYDERABAD

श्री हेम बरुआ : (मंगलदायी) : हैदराबाद के समीप जो रेलवे दुर्घटना हुई है, उसके बारे में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये। मैंने इस बारे में आपको लिखा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उसमें सामने की बत्ती नहीं थी।

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : वहां पर प्रकाश था।

स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा स्वर्ण नियंत्रण संशोधन विधेयक-विचार करने का प्रस्ताव

STATUTORY RESOLUTION Re : DISAPPROVAL OF GOLD (Control) AMENDMENT ORDINANCE AND GOLD (Control) AMENDMENT BILL MOTION TO CONSIDER.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा 8 अगस्त को प्रस्तुत किये गये निम्न सांविधिक संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"यह सभा स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 6), जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 3 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

और इसके साथ श्री प्रकाश चन्द सेठी द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर भी अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

इनके साथ-साथ विधेयक को परिचालित करने सम्बन्धी संशोधनों पर भी विचार किया जायगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक के कुछ खंडों का मैं समर्थन करता हूँ। परन्तु समर्थन करने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्वर्णकारों के अनेक संगठनों, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ तथा सर्राफा संगठन से मुझे अनेक तार मिले हैं जिनमें मेरे से यह कहा गया है कि मैं सरकार से यह अनुरोध करूँ कि वह इस घातक विधान को पास न करे। मैं यह जानता हूँ कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप लाया गया है। प्रवर समिति में ही मैंने इस बात की ओर संकेत किया था कि यदि इन उपबन्धों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो वे अवैध घोषित किये जायेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि अब उसमें इन सुझावों को सम्मलित किया जा रहा है। जब स्वर्ण नियंत्रण पहले-पहल क्रियान्वित किया गया था तो 66 सुनारों ने आत्महत्या की, हजारों परिवार भूख से तड़पते रहे थे। लगभग 5 लाख सुनार बेरोजगार हुए जिन्हें राज्य की ओर से कोई अन्य काम करने के लिये ऋण दिया गया था। उन्हें जो आर्थिक सहायता दी गई थी उसके वापस भुगतान न किये जाने पर सुनारों की सम्पत्तियां का नीलाम किया गया। कितनी बड़ी विपदा आई थी उन बेचारों पर। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह इस पर पुनः निष्पक्षता से विचार करें।

स्वर्ण नियंत्रण लाने के तीन उद्देश्य थे। पहला था, सोने का मूल्य उसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर लाना। दूसरा उद्देश्य छिपे सोने को प्रकाश में लाना था और तीसरा उद्देश्य था सोने के तस्कर व्यापार का रोकना। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उपर्युक्त तीनों उद्देश्यों में से किसी की भी पूर्ति नहीं हुई है। जहां तक चोरी से सोना बाहर से लाये जाने की बात है 1966-67 में 1964-65 के मुकाबले अधिक मात्रा में चोरी से सोना यहां लाया गया। अब सोने का भाव यहां 215 रुपये तोला है। इसी आधार पर मैं प्रधान मंत्री तथा श्री सेठी से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले पर निष्पक्षता से विचार करें। मेरा तो यह अनुरोध है कि आप इस

विधेयक को वापस ले लें। ऐसे विधेयक से क्या लाभ जिसमें बार-बार छूट देनी पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस कानून की कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है।

इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि उनमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को समेटा गया है। परन्तु फिर भी मैं अन्य सुनारों के साथ इस पक्ष में हूँ कि यह विधेयक न लाया जाये। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ तथा सुनारों के अन्य संगठनों के प्रतिनिधि बुलाये जायें और उसमें इस विषय पर निष्पक्षता के साथ विचार-विमर्श किया जाये। उस बैठक में विपक्ष के कुछ सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाये। इस कानून से सुनारों को जितना अधिक कष्ट हुआ, वह उन्हें भविष्य में नहीं होना चाहिए। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। भारत में इस विधेयक से सोने की चाह समाप्त नहीं होगी।

साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं तस्कर व्यापार का समर्थक नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि सोने का तस्कर व्यापार यहां हो। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि यह विधेयक वापस ले लिया जाये। भारत की महिलाओं और देवियों की ओर से मैं यह आश्वासन देता हूँ कि समय पड़ने पर वे अपने स्वर्ण-भूषण दान कर देंगी। जैसा कि उन्होंने 1962 में उस समय किया था जब श्री नेहरू ने 'शस्त्रों के लिए आभूषण' का नारा दिया था। एक बार फिर मैं अनुरोध करता हूँ कि यह विधेयक वापस लिया जाये।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : जब देश में स्वर्ण-नियंत्रण पहले-पहल लागू किया गया, तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था परन्तु सरकार उसे लागू करने पर तुली हुई थी। हालांकि उसे जहां-तहां छूट देनी पड़ी। जब यह विधेयक दुबारा पास किया गया उस समय हम में से कुछ ने इसके कुछ उपबन्धों का कड़ा विरोध किया था, और कहा था कि वे वैध नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे उपबन्धों को अवैध घोषित किया है। मंत्री महोदय का ध्यान उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की ओर आकर्षित करते हुए मैंने उनसे यह अनुरोध किया था कि वह इस निर्णय के सन्दर्भ में पूरे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पर विचार किया जाये। परन्तु दुर्भाग्य से इस विधेयक में मंत्री महोदय ने केवल वे उपबन्ध ही लिए हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये गये थे।

सुनारों को ऋण देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि किसी के लिये अपना व्यवसाय बदलना बड़ा कठिन होता है। बहुत से सुनार परिवार इस कारण निराश्रित हो गये हैं। सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्णय का लाभ उठाकर इस अधिनियम को वापस ले लेना चाहिये था।

व्यापारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के सामने लाये गये मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 27 (2) (घ) के उपबन्धों को अवैध करार दिया था। उच्चतम न्यायालय ने व्यापारियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध को अवैध करार दिया था। इसलिये उस उपबन्ध में तदनुरूप संशोधन कर दिया गया है। धारा 39 (2) (ग) में सुनारों पर बिल्कुल उसी तरह का प्रतिबन्ध लगाया गया है। जब उच्चतम न्यायालय ने उस उपबन्ध को अवैध करार दिया है तो यह उपबन्ध भी स्वतः समाप्त हो जाना चाहिये।

स्वर्णकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये लोगों पर इतने प्रतिबन्ध लगाये गए हैं कि

दो पीढ़ियों के बाद कोई भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इसलिये मेरा यह पक्का विश्वास है कि यह अधिनियम कानूनी आधार पर नहीं टिका रह सकता है।

उच्चतम न्यायालय के सामने सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सोने की तस्करी को रोकना है। सरकार तस्करी को रोकने सम्बन्धी उपायों को कड़ा करने की बजाय अप्रत्यक्ष उपायों से सोने की तस्करी को रोकना चाहती है। इसका एक उदाहरण यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत में रहने वाले सभी लोगों को कुछ सीमा से अधिक सोना रखने की अवस्था में सोने की मात्रा के बारे में सरकार को जानकारी देनी होगी।

यह सब कुछ करने के बाद भी सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इस विधान से तस्करी को रोकने में कितनी सफलता मिली है।

इस लिये इतने सारे सुनारों के हित में जो कंगाल तथा निराश्रित हो गये हैं, सरकार को, इस विधान को वापस ले लेना चाहिये और इस समस्या को प्रत्यक्ष उपायों द्वारा हल करने की कोशिश करनी चाहिये। इन अप्रत्यक्ष उपायों से किसी को भी लाभ नहीं पहुँचेगा। मुझे आशा है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनर्विचार करेगी और इन प्रतिबन्धों को कम करने की कोशिश करेगी। अच्छा तो यह होगा कि इस विधान को वापस ही ले लिया जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : During the Chinese aggression in 1962, the Government issued an appeal to the public to donate their gold or gold ornaments to the Defence Fund for purchase of arms and ammunitions for the Defence Services. The general public responded very well to this appeal and our mothers and sisters gave away their ornaments with pleasure. But the Government took undue advantage of it and passed an Act to grab whatever gold the people had with them.

This led to suspicion in the minds of the people and whatever gold they had in open also went underground.

The vulnerability of this Act is evident from the fact that Government has come forward thrice with different types of legislations in regard to gold control. Certain sections of that law also have been invalidated by the judgement of the Supreme Court and Government has now been forced to come forward with the present legislation.

The objects of the first legislation were to check gold smuggling and mobili ation of gold ornaments which were lying utilised for the development of our economy. So far as gold smuggling is concerned, instead of going down it has increased. As far as its utilisation for economic development is concerned, now the use of gold in the form of ornaments is on the wane and it is no longer craze now-a-days. It may be the fashion in villages but not in the cities.

The Britishers issued as much value of currency notes as the gold deposited with them. But now what is the position ? Have the Government as much of gold with them as the value of currency notes in circulation ? After all what compelled the Govt. to devalue the rupee? What bigger proof can there be of the bankruptcy of the Government than this ?

This measure has induced the traders and the goldsmiths to become gold-thirsty. This thirst can be quenched only by resorting to import of gold. This will bring down the prices and no body will try to conceal gold thereafter.

I support the suggestion of my hon. friend that it should be circulated for eliciting public opinion thereon.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.04 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the chair]

Shri George Fernandes (Bombay South) : Serious reports have appeared about the train accident near Hyderabad. 12 gangmen have died and it is reported that the train which ran over them was without headlights. This is a serious matter and you should ask the Railway Minister to make a statement by evening today.

Mr. Chairman : He is right. I have conveyed it and a statement will be made as soon as the information is received.

स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक-जारी

Statutory Resolution re. Disapproval of Gold control (Amendment) Ordnance and Gold (Control) Amendment Bill-contd.

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : इस अधिनियम का उद्देश्य सोने की तस्करी रोकना तथा ऐसे सोने के विक्रय को असंभव बनाना था । परन्तु यह इन दोनों उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ है । तस्करी का एक मामला पकड़ने के पीछे सौ कर्मचारियों का भार सरकार को वहन करना पड़ रहा है । जहां तक तस्करी किये गये सोने की बिक्री के मामले को पकड़ने का प्रश्न है, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत, जो भी मामला न्यायालय में लाया गया है, उसके पीछे 10 कर्मचारियों का व्यय सरकार को वहन करना पड़ रहा है । ये मेरे आंकड़े हैं । माननीय मन्त्री को बताना चाहिये कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले न्यायालयों में लाए गये हैं । यदि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाए गये हैं तो हम समझेंगे कि कर्मचारियों द्वारा अपनी आय बढ़ाने तथा घूस लेने के लिये ही इस अधिनियम का लाभ उठाया गया है । यह इस अधिनियम की साधारण बात है और सरकार को शर्म आनी चाहिये कि ऐसे कानून को कानून पुस्तक में स्थान दिया गया है ।

तस्करी रोकने के लिये हम भी उतने ही उत्सुक हैं जितनी कि सरकार । परन्तु तस्करी के लिये मुख्य रूप से सरकार ही जिम्मेदार है । उन्होंने मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है और हमारे देश में सोने के भाव और उसके अन्तर्राष्ट्रीय भाव में इतना अधिक अन्तर है कि कोई मूर्ख ही तस्करी के पेशे को छोड़ना चाहेगा ।

तस्करी का दूसरा कारण यह है कि जनता अपने पैसे को सुरक्षित नहीं समझती है और जब तक राष्ट्रीयकरण की आशंकाएं बनी रहेंगी लोग सोने के रूप में ही अपना पैसा रखना पसन्द करेंगे ।

तीसरा कारण इस विभाग की अकार्यकुशलता है । सभापति महोदय आप ही उस समिति

के सभापति थे जिसने तस्करी के विरुद्ध विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिये विभिन्न उपाय सुझाए थे। परन्तु सरकार ने केवल जुर्माने और दण्ड ही बढ़ा दिये हैं।

उच्चतम न्यायालय ने धारा 5 को अवैध करार दिया है। परन्तु प्रस्तावित विधेयक में सरकार ने इसको तो निकाल दिया है परन्तु लगभग उसी उपबन्ध को धारा 27 के अन्तर्गत खण्ड 5 (6) (क) में पुनः रख दिया गया है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री को बताना चाहूँगा कि वह ऐसा उपबन्ध कर रहे हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जायेगा।

धारा 8 के अन्तर्गत किये गये इस उपबन्ध को जिसके द्वारा खरीदार पर जानकारी का भार थोपा गया था उच्चतम न्यायालय ने धारा 100 में अवैध ठहरा दिया था। परन्तु सरकार उस उपबन्ध को पुनः लाने की कोशिश कर रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा 8 से "जब तक वह यह जानता नहीं है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण नहीं है" शब्द निकाल दिये जायें।

अब मैं धारा 17 को लेता हूँ। कलकत्ता की एक रिफाइनरी को छोड़ कर अन्य सब रिफाइनरियां बन्द कर दी गई हैं। उनकी संख्या 17 थी। उस उपबन्ध को अवैध ठहरा दिया गया है। क्या उन्हें पुनः खोला जायगा ? मेरा सुझाव है कि इस खण्ड को दृष्टि में रखते हुए प्रशासक द्वारा बन्द की गई सभी रिफाइनरियां पुनः खोल दी जायें।

धारा 32 को भी अवैध करार दे दिया गया है परन्तु उसी उपबन्ध को थोड़े सीमित रूप में पुनः रख दिया गया है। इस धारा को पुनः अवैध करार दिया जा सकता है।

अब मैं धारा 88 को लेता हूं। इस पर मेरा एक छोटा सा संशोधन है। व्यापारी के दायित्व का प्रश्न तभी उत्पन्न होना चाहिये जब कर्मचारी उसकी दूकान में काम करता हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कर्मचारी अपने घर पर काम करता है। ऐसी अवस्था में व्यापारी को उत्तरदायी ठहराना अनुचित है। मैं आशा करता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायेगा।

उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना देने का समय 12 दिन होना चाहिये। दो दिन का समय तो बहुत ही कम है। अप्रत्यक्ष दायित्व के लिये 3 वर्ष की सजा बहुत अधिक है।

धारा 8 को पूर्णतया अवैध करार दिया गया है परन्तु थोड़ी हेर फेर के साथ उसे दोबारा रखा जा रहा है। यदि सरकार इस धारा को रखना ही चाहती है तो उन्हें छोटा सा यह संशोधन करने के लिये राजी हो जाना चाहिये कि छोटे-छोटे सौदे, 25 ग्राम तक ही सीमित नहीं रखे जाने चाहिये अपितु 100 ग्राम तक अर्थात् लगभग 1500 रुपये के मूल्य तक के सोने का सौदा छोटे सौदे की परिभाषा के अन्तर्गत आना चाहिये। क्योंकि बहुत से लोग जो छोटी मात्रा में सोना बेचने आते हैं उनके इससे अधिक मात्रा में सोने बेचने की सम्भावना नहीं है ; अन्य व्यक्तियों का पता लगाना अधिक जरूरी है।

सरकार उच्चतम न्यायालय को तब सन्तुष्ट कर सकती है यदि वह इस सीमा को बढ़ा कर 100 ग्राम कर दे।

हमारे सदन में बहुत से सदस्य वकील तथा इस सदन द्वारा बनाये गये कानूनों का उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना हमारे लिये अच्छी बात नहीं है।

हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने परमपरागत तरीकों से रोजी कमाने का पूरा अधिकार

है। अतः स्वर्णकारों पर ऐसा प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है। इस लिये मेरी यह प्रार्थना है कि हमें स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी कानून को समाप्त कर देना चाहिये अन्यथा इसे बाद में रद्द किया जायेगा।

श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर) : सरकार यह संशोधन विधेयक उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम द्वारा के कुछ उपबन्ध रद्द किये जाने के बाद लायी है। अतः वे इस अधिनियम में अपनी इच्छा के अनुसार संशोधन करना चाहते हैं। अतः सरकार के लिये इस विधेयक को वापिस ले लेना अच्छा है तथा उसे स्वर्णकारों और सराफों को अपना व्यापार स्वतंत्रतापूर्वक करने की अनुमति देनी चाहिये।

सरकार यह कहती है कि वह यह विधेयक देश में सोने के तस्कर व्यापार को रोकने, छिपे हुए सोने को बाहर निकालने तथा सोने के मूल्य को कम करने की दृष्टि से लाई है। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे लोग अपना उद्देश्य पूरा कर सके हैं। दूसरी ओर हम तो यह देख रहे हैं कि तस्करी में काफी वृद्धि हुई है, 1963 की तुलना में यह तिगुनी हो गई है। सरकार छिपे सोने को बाहर निकालने में भी असफल रही है तथा सोने का मूल्य भी कम नहीं हुआ है।

हमारे देश में सोने के उत्पादन से हमारी एक-तिहाई मांग पूरी होती है। इस के अलावा सोने की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। हमारे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से काले बाजार में और तेजी आ रही है। इस के अलावा इस से और कोई लाभ नहीं हुआ है। अतः पुनः ऐसा विधेयक लाने का उनका कोई अधिकार नहीं है।

इस कानून से स्वर्णकारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमें मालूम है कि जब पहले यह विधेयक संसद में लाया गया था तो स्वर्णकारों के परिवारों के सदस्यों ने कैसे आत्महत्यायें करनी आरम्भ कर दी थी। अधिकांश स्वर्णकार बेरोजगार हैं। चाहे सरकार ने पहले उन्हें अन्य रोजगार देने का वचन दिया था परन्तु बाद में वह पूरा नहीं किया गया। अब वे लोग निर्दयता की दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इस अधिनियम के बन जाने से स्वर्णकारों को भी कई श्रेणियों में बाँटा गया है जिससे उनकी सारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। उन्हें अब सराफों के अधीन काम करना पड़ता है। अतः वे इस प्रकार अपने परमपरागत रोजगार को खो बैठे हैं।

मूल अधिनियम की धारा 88 और 100 में संशोधन करके सरकार प्रमाणित स्वर्णकारों तथा सराफों पर यह जिम्मेदारी डालना चाहती है कि जब वे सोना खरीदे तो खरीदार के ठौर ठिकाना जानने का उत्तरदायित्व उनका होना चाहिये। अतः इस प्रकार से पुलिस का काम उनको सौंपा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस काम के लिये तो सरकार की अपनी व्यवस्था है और यह उत्तरदायित्व उनका नहीं होना चाहिये।

सरकार इस प्रकार के कानून बनाने की बजाय ऐसे उपाय कर सकती है जिससे सोने के यह उत्पादन और वितरण में सुधार हो सके। हमारे देश में सोने के जेवरात, जिनमें हीरों का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे बनाये जाते हैं तथा उनका निर्यात किया जाता है क्योंकि विदेशों में उनकी बहुत मांग है। सरकार उस व्यापार को अच्छी तरह से बढ़ा सकती है।

सरकार ऐसा कानून बनाने से तस्करी को बिल्कुल नहीं समाप्त कर सकती। यदि वह

समाप्त करना चाहती है तो उसे आयात और निर्यात का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। आयात-निर्यात के व्यापारी बहुत धन कमा रहे है जिसको सोने की तस्करी के काम में प्रयोग में लाया जाता है। आयात-निर्यात पर नियंत्रण करने से एक तो तस्कर व्यापार समाप्त हो जायेगा और दूसरे स्वर्णकारों को अपनी रोजी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। सरकार को तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना चाहिये जो वास्तविक अपराधी हैं।

अब जब सरकार ने चौदह बंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो इस लिये उन बैंकों का, सोने के व्यापार तथा सोने के जेवरातों को निर्यात करने के मामले में, प्रयोग करने का यह सुअवसर है। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को वापिस लिया जाये।

Shri Maharaj Singh Bharati : (Meerut) : Thousands of years back when the Maharajas had introduced coins of gold and siver then these metals had a great importance. At that time the money lenders did not give loan unless Golden ornaments were kept against that loan. The customs of those persons were also not good. The status given to the women was very low. A woman used to be considered a Commodity and decorated in that way. These customs then went on for a long time. Such customs might be useful at time but have no meaning these days. They are totally obsolete. These customs are proving harmful for India. Therefore the Government should have imposed a total ban on gold. But because of their weak policy they could not do so.

In a backward country the sources of production should be modernised and not that of consumption. But in our country the consumption has been modernised. As far as smuggling is concerned it is done not only of gold but of watches and so many other things. The well-to-do people have reduced the use of gold but they have increased their expenditure on other items of consumption. But Government have not paid any attention towards this factor. Government should have changed the income tax rules if they wanted to discourage the use of gold, but they could not do so. They also could not ban it totally because they were not in a position to rehabilitate lakhs of people engaged in this business. The goldsmiths were so skillful that their services could have been utilised in watch making factories etc. but Government never thought of such a thing. As Government could not ban gold. So all that they could do was that they reduced the purity of gold and asked the people to wear 14 carrot gold. So, this scheme of the Government also proved a failure because people did not like 14 carrot ornaments and on the other hand goldsmiths lost their business. The result was black marketing.

I agree that gold should remain with the Government and not with the people. But I would like to know what Government have done to discourage the use of gold amongst the literate and progressive type people.

Now the time has come when Government should not go on doing mistakes after mistakes. They should now withdraw the Bill taking into account the factors enumerated above. This will be a wise step and for the betterment of all of us.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There are always good as well as bad aspects of every thing. When this Bill was introduced even then I had told that there will be good as well as bad results of it. But experience has told that it has proved worse than good. This Act has uprooted persons as they were upoorted at the time of partition of India and Pakistan during 1947. The fact that this has been sent back to you by the Supreme Court shows that it has affected one section of the society.

We are taking revolutionary steps for the betterment of the people but as far as this Bill is concerned it has proved detrimental to the poor. It is therefore requested that the Gonernment should not be persistent about it as the fate of lakhs of people depend upon this Bill.

The clauses i.e. clause 5, 27,32,46 and 88, to which the attention of Government has been drawn by the Supreme Court must be given a special consideration and modification done in them properly without any prejudice. Restrictions can be imposed if at all necessary.

I admit that gold is a valuable commodity. I also know that there is scarcity of foreign exchange in our country and without foreign exchange we cannot import anything. But at the same time we must know that we cannot afford to see lakhs of people without employment by passing this Bill.

As far as smuggling is concerned it cannot be prevented under laws. For that we will have to build the character of the people.

I would request the Government to review this matter again as the step being taken is a retrograde step. The persons who have lost their profession because of this act should be rehabilitated as soon as possible. They are cursing the Government as they find it difficult to find jobs for themselves.

I would also request the Government to see that the modifications are made is sueh a wav as would not be challenged in the Supreme Court by anyone later on. They should also try to scrap this Act at the opportune time.

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवारा) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि केवल यह ही एक ऐसा अधिनियम है जिसका सभी दलों ने विरोध किया है। इस अधिनियम का पालन कम और उल्लंघन अधिक किया गया है। इस अधिनियम को श्री मोरार जी देसाई के साथ ही निकाल दिया जाना चाहिये था।

इस विधेयक का देश के सभी क्षेत्रों में विरोध किया गया है। परन्तु वित्त मंत्री इसी बात पर अडे रहे कि इस कानन को अवश्य ही रहने दिया जाना चाहिये चाहे यह सफल रहे या न रहे। उन्होंने कहा कि इस मे सोने का मूल्य कम हो जायेगा परन्तु हमने देखा है कि मूल्य कम होने की बजाय अधिक हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि इससे सोने का तस्कर व्यापार या तो समाप्त हो जायेगा अथवा कम। उनका यह विचार भी गलत निकला क्योंकि उसमें भी वृद्धि ही हुई है। उन्होंने तीसरी बात यह कही कि इससे देश में सोने की खपत कम हो जायेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस पीले धातु से प्यार नहीं करना चाहिये। क्या वे ऐसा कर सके ? निश्चित रूप से नहीं। ग्रामीण क्षेत्र की एक साधारण अनपढ महिला से लेकर प्रधान मंत्री तक कोई भी महिला इस पीली धातु के प्रति मोह को त्याग सकी है ? चौथा उद्देश्य जमा किये हुए सोने को निकालना था। श्री मोरारजी देसाई के अनसार आभूषणों अथवा सोने की छड़ों के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपए का जमा किया हआ सोना था। लेकिन इसमें से सरकार के पास केवल 50-60 करोड़ रुपए का सोना ही पहुँचा है। इसलिये चौथा उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

इस अधिनियम की क्या सफलता रही है ? इसकी यदि कोई सफलता है, तो वह यह कि बेचारे स्वर्णकार बेरोजगार हो गये हैं, कई सौ मामलों में उन्होंने आत्म हत्या कर ली। हजारों आदमी और स्त्रियां अनाथ और विधवा हो गई। समूचा देश यह महसूस करता है कि इससे लोग तंग हुए हैं। जनता की इस राय के विपरीत तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि स्वर्णकारों ने अधिक धन कमाया है। यदि मंत्रियों का और सरकार का यही रवैया है, तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यदि यह अधिनिगम लागू रहता है, तो उससे साधारण आदमी और कारीगरों का अहित होगा।

मेरी सरकार से अपील है कि यदि वह एक लोकप्रिय सरकार होने का दावा करती है, तो

उसे इस सभा में सभी पक्षों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर गौर करना चाहिए और इस अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए ।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : The Gold (Control) order has turned out to be Goldsmith (Control) order only. Government have failed to exercise control on gold but the poor goldsmiths are facing unemployment and starvation. Hundreds of them have committed suicide and to-day 20 lakh goldsmith are starivng. Our Government of the day can well be compared to the monkey who is not prepared to part with body of her baby monkey even after his death. This Act is almost dead in a way and is needed no more but our Government is not prepared to scrap it. It is almost unanimous voice of the House that this Bill should be withdrawn. Shrimati Tarkeshwari Sinha had moved the following resolution in the A. I. C. C. meeting in 1966 :

"It is now nearly three years that the Gold Control Order was passed by the Parliament. Unfortunately the Act has not been implemented in the way and spirit it ought to have been. On the contrary, the various steps subsequently taken by the Government have watered it down from the backdoor. Therefore, the Act has failed to achieve its objective, the result being that it has deprived about one million goldsmiths of their livelihood and also large number of people of their instrument of credit. It has also cost the Government of this country crores of rupees in the form of loans, income-tax and salestax etc. Therefore, the meeting of the A. I. C. C. urges upon the Government to abolish the Gold Control Order."

It is about to be passed that the Prime Minister gave an assurance to withdraw it. Subsequently in 1966 certain concessions were announced as a result of agitation by the goldsmiths but those did not help.

When sections of any Act are declared void by the supreme court, it has become the practice of our Government to enforce those very measures through another Bill. Many of the sections of the present Bill be declared void by the Supreme Court. This Act has no utility. When the economic policies of Government are being given a new dimension, Government should consider **de novo** the utility and necessity of this Bill. I appeal to Government to withdraw this Bill.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Mr. Chairman, Sir, not only the member of the opposition ut congress M. Ps. have also opposed this Bill. Government are unable to explain the reasons for forcing this Bill, which is neither in their inteest nor in the interest of the future of the coming generation. It is not going to serve any purpose at all. Let the hon. Minister pass a legislation as an experimental measure for two years, to reward the persons bringing gold into the country and punish those taking gold out of the country. It will make the country prosperous. Your actions are quite contrary to it.

Law is nothing but the will of the people expressed in terms of laws. But here you have not elicited the opinion of the people. M. Ps. are opposing this measure. In country gold wealth was considered to be secret possession. Had Bhama Shah not provided Maharana Pratap with gold for carrying on the war of independence for 26 years, the independence of the country would have been endangered. As a result of this measure 450 goldsmiths committed suicide. It is not an ordinary happening. It is the greatest sin on earth if people have to die for want of means of livelihood. It is never too late to mend. I, therefore, request the hon. Minister to withdraw this Bill.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सोना रखने की आदत सदियों पुरानी है और रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार 1963 में लोगों के पास 5700 करोड़ रुपए का सोना था न कि 3,500 करोड़ रुपए का जैसा कि श्री विश्वनाथ ने कहा । सोने का आयात ब्रिटिश काल में ही 1939 में बन्द कर दिया गया था लेकिन तस्करी तथा अवैध तरीकों से देश में सोना

जमा करने की आदत को बदलने के लिये कुछ किया जाना चाहिए और देश को इस सोने का लाभ उठाने के लिये कुछ करना चाहिए, इसलिए भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत 14 कैरेट से अधिक शुद्धता के स्वर्ण आभूषणों के बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, सितम्बर 1963 में कुछ महीनों के बाद स्वर्णकारों द्वारा 14 केरेट शुद्धता के आभूषणों के बनाये जाने पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया परन्तु व्यापारियों के लिये यह प्रतिबन्ध लागू रहा। बाद समाज के सभी वर्गों की मांग और आन्दोलन की मांग और आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए 1966 में व्यापारियों पर से भी यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया। अब कितने ही कैरेट के आभूषण बनाये जा सकते हैं।

सोना रखने तथा सोने के व्यापार के सम्बन्ध में न केवल समाजवादी और साम्यवादी देशों में नियंत्रण है बल्कि अमरीका, ब्रिटेन आस्ट्रेलिया आदि में भी नियंत्रण है। अमरीका में प्रत्येक व्यक्ति को 100 अमरीकी डालर से अधिक मूल्य का सोना रखने पर उसका हिसाब देना पड़ता है अन्यथा उस पर 10,000 डालर का जुर्माना किया जा सकता है और उसे दस वर्ष का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, ब्रिटेन में 27 अप्रैल, 1966 के बाद से सोने के सिक्के तक रखने पर पाबन्दी लगा दी गई है यदि वे इस तिथि से पहले न खरीदे गये हों।

न तो मूल अधिनियम और न ही वर्तमान विधेयक का उद्देश्य लोगों से उनका सोना लेना है। मूल अधिनियम में धातु के रूप में सोना रखने पर प्रतिबन्ध है परन्तु किसी भी मूल्य के स्वर्ण आभूषण रखने वाले लोगों को उनकी घोषणा करनी होगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि कुछ वर्गों के लोग कुछ चीजें पसन्द करते हैं और उनकी खपत बढ रही है, इसलिये उनके आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। हमने सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन करके संश्लिष्ट रेशे के धागे, रेडियों, घड़ियों, फाऊंटेन पेन, प्रसाधन सामग्री, सिगरेट, शराब आदि के तस्कर व्यापार और उनकी बिक्री और रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

सोने के बारे में सबको मालूम है कि केवल दो क्षेत्रों से सोना प्राप्त होता है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हट्टी स्वर्ण खान, कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों से निकाला गया सोना सीधे रिजर्व बैंक के पास चला जाता है, जो लगभग 2,000 किलो होता है और हट्टी स्वर्ण खान से निकाला गया 1,000 किलो सोना विभिन्न व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये दिया जाता है। उदाहरण के लिये जरी उद्योग को सोना देना होता है। इसका मूल्य नियत है। इस प्रकार सोना न तो सरकारी संसाधनों से दिया जाता है और न ही सरकारी तौर पर इसके आयात की अनुमति दी जाती है। यह अनुमान मात्र है कि ढाई लाख प्रमाणीकृत स्वर्णकार हैं और 12,000 व्यापारी हैं। वे पुराने आभूषणों को तोड़कर नये आभूषण बनाते हैं। इस प्रकार यह व्यापार चल रहा है।

Shri O P. Tyagi (Moradabad) : Where is the imported gold going ? People are keeping their black money in the form of gold.

श्री प्र० चं० सेठी : यह तो धारणा मात्र है यह पूर्णतः सत्य नहीं है। यह ठीक है कि तस्करी से लाये गये कुछ सोने के आधार पर भी व्यापार चल रहा है।

हमें आशा थी कि मूल अधिनियम के लागू करने से 14 कैरेट सम्बन्धी प्रतिबन्ध होने के कारण सोना रखने पर कुछ नियंत्रण रहेगा और कुछ सीमा तक सोने का मूल्य स्थिर हो जायेगा। मूल्य वृद्धि के दो पहलू हैं एक तो अवमूल्यन के बाद रुपए के अंश में साढ़े सत्तावन प्रतिशत वृद्धि हो गई और दूसरे विदेशों में सोने के मूल्य दो प्रकार के हैं एक स्टैंडर्ड स्वर्ण मूल्य, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दूसरा है बाजार मूल्य जो बढ़ गया है। इस मूल्य वृद्धि से भी संकेत मिलता

है कि सोने की मांग अथवा लालसा अब भी विद्यमान है। आयात पर प्रतिबन्ध होने तथा तस्कर व्यापार पर नियंत्रण होने के कारण भी कुछ सीमा तक मूल्य बढ़े हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि स्वर्ण नियंत्रण बिल्कुल असफल रहा है।

वर्तमान विधेयक का विषय क्षेत्र सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 की कुछ धाराओं को अवैध घोषित कर दिया गया। इस विधेयक का सम्बन्ध केवल उन धाराओं से सम्बन्धित पहलुओं से है। हमने उन उपबन्धों में सुधार करने का प्रयत्न किया है। मैं इन आशंकाओं को दूर करना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य वर्तमान अधिनियम को अधिक कठोर बनाना है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमने तो केवल कुछ उपबन्धों में सुधार किया है। 1963 में 14 कैरेट का उपबन्ध किया गया था। सितम्बर, 1963 में ही 14 कैरेट का प्रतिबन्ध हटा दिया गया था और नवम्बर, 1966 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप लाइसैंस प्राप्त व्यापारी भी नये आभूषण बना सकते थे। 1966 में स्वर्णकार केवल 100 ग्राम शुद्ध सोना रख सकते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 ग्राम कर दिया गया। 1968 में इसे बढ़ाकर 300 ग्राम कर दिया गया। पुराने आभूषणों से नये आभूषण बनाने के लिये प्राप्त सोने पर कोई पाबन्दी नहीं है। इस प्रकार इस पाबन्दी को शिथिल बनाया गया है। पहले उपबन्धों के अन्तर्गत स्वर्णकार को अपने प्रमाण पत्र का प्रति वर्ष नवीकरण कराना पड़ता था परन्तु 1968 के अधिनियम के बाद प्रमाण पत्र आजीवन होगा।

श्री नारायण राव ने कहा कि स्वर्णकारों की वर्तमान पीढ़ी के बाद कोई भी स्वर्णकार लाइसेंस नहीं ले सकेगा क्योंकि किसी को इसकी अनुमति नहीं होगी। हमने "परिवार" शब्द को बहुत व्यापक रखा है ताकि कोई पाबन्दियां न लगाई जा सकें। इतना ही नहीं सरकार इस क्षेत्र में उपयुक्त काम कर सकने वाले अन्य वर्गों के लोगों को भी प्रमाण-पत्र देने का अधिकार ले रहे हैं। पहले यह पाबन्दी थी कि कोई भी प्रतिकर ले लेने वाले स्वर्णकारों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा अब इस उपबन्ध को भी सरल बनाया जा रहा है और शिथिल किया जा रहा है। कुछ अन्य रियायतें भी दी गई हैं। 1968 के अधिनियम के अन्तर्गत स्वर्णकारों को मजूरी पर रखे गये श्रमिकों की सहायता लेने की अनुमति थी। अब स्वर्णकार न केवल लोगों से अपितु लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों से भी काम ले सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु ने पूछा था कि स्वर्ण नियंत्रण को लागू करने के लिये कितने व्यक्ति लगाये गये। इस काम पर 4 डिप्टी कलक्टर, 40 सुपरिन्टैंडैंट, 254 इंसपैक्टर और 98 अनुसचिवीय कर्मचारी लगाये गये हैं। यद्यपि न्यायालयों में केवल 600 मुकदमें हुए हैं, कई हजार मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है। श्री लोबो प्रभु ने प्रत्याधिकृत उत्तरदायित्व का भी प्रश्न उठाया था। हमने इस विधेयक में कुछ संशोधन किये हैं जिनके अन्तर्गत कर्मचारी के विगत कार्य का दायित्व नियोजक पर नहीं होता। हमने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए धारा 88 और 100 में आवश्यक परिवर्तन कर दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा कार्यकरण की अन्य कठिनाइयों को देखते हुए यह विधेयक 1968 के अधिनियम में निश्चित सुधार है। जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है और इसलिए यह विधेयक किसी भी प्रकार जनता-विरोधी नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यदि यह सभा, सरकार और हम सब यह समझते हैं कि कोई उपाय उस निश्चित दिशा में काम नहीं कर रहा है जिसमें कि हम चाहते थे तो वे इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The hon. Minister in his sweet voice has stated the different changes in the Gold Gontrol Act but he has not been able to say whether there has been any benefit out of this control over gold. The purposes i.e. checking the smuggling of gold ; raising the value of our currency ; and reducing the lust for gold among our people ; for which this Act was introduced, have utterly been defeated. The increase in seizures evidently prove. that smuggling has increased. The value of our rupee has also gone down in our markets ; and he has himself admitted the lust for gold has also not come down. Even our hon. Prime Minister has also great love for gold. Whereas she herself should prove herself as an ideal for others.

Mr. Chairman : I will not allow any allegation from any side, if not supported by the necessary solid proofs.

Shri Kanwar Lal Gupta : So, all the three purposes for which a control over the gold was promulgated have been defeated, and thus, there is no use of keeping such an Act.

The hon. Minister has cited the examples of other countries like the U. S. A., but the circumstance here in India are not the like that in those countries. America has provided credit facilities in every village whereas in India it is not available even in a city with population of 50,000. The per capita income in America is several times more than that in India. This Government could not either guarantee employment or enough food for the people of the country even after 20 years' rule and also after spending about Rs. 32,000 crores on the three Five year Plans, the argument put by the hon. Minister and also the examples of the U. S. A. etc. in this connection have no meanings. There is all out demand for scraping the Gold Control Act. Why do not they do away with this useless, and rather harmful measure ? They should not neglect the will of the people.

The greatest work done by this Government in the last 20 years is the Bank nationalisation, but by promulgating Gold Control Act, they have made the people dishonest. The goldsmiths still continue to prepare ornaments of new gold although they say the contrary. This Act has compelled them to do the things unlawfully and secretly. Hence, such a law which incites people to indulge in dishonesty, should be scraped, or changed.

I had asked whether the Government propose to rethink on this issue, but they have declined. It appears that Shri Sethi himself thinks that this Act is of no use, but he has to act upon what the cabinet has decided to do. He should not forget that as many as 5 lakhs people, the goldsmiths and their workers are suffering from the evils of this control. The Government should, therefore, scrap this Act and give relief to the people. That is the way to bring socialiasm. Otherwise your slogans for bringing socialism are all false and political stunts.

Finally, I would only request the hon. Minister to state duting the third reading whether or not there have been some advantages or benefits of this control and whether the Govt. are preparrd to rethink over this matter. Rethinking is not a commitment and the Govt. can very well agree to it. May I know also whether they would try to know the mass opinion and whether they would scrap this Act ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है...

"कि यह सभा स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या

(6) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 3 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 3 पर विचार करते हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मैंने कल अपने संशोधनों की सूचना मन्त्री महोदय को दी थी और उन्होंने कहा था कि विचार के समय वह उनके बारे में कुछ कहेंगे ।

सभापति महोदय : वे परिचालित नहीं किये गये हैं अतः मैं उन पर विचार करने की अनुमति नहीं देता । अब मैं खण्ड 3 को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, तथा 10 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 4,5, 6,7, 8,9 and 10 were added to the Bill

खण्ड 11

Clause II

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I move my amendment No 4

In this Clause the Administration or the Gold Control Officer has been empowered to cancel the licence of the defaulter. Clause 11 (I) (c) says :

"(1A) The Administrator may, if he is satisfied, after making such inquiry as he may think fit, that the holder of any licence or certificate issued, renewed or continued under this Act has made such incorrect or false statement as is referred to in sub-section (1) or has contravened the provisions of such law, rule or order as is referred to in that sub-section, cancel such licence or certificate, as the case may be :

I want that the words "after due enquiry" may also be added in this clause otherwise there is always a likelihood of this authority being corrupt and indiscriminate. In 99.9 per cent cases, such officers are suspected to be corrupt and violating the rules for their own interests. They may threaten any trader or dealer to cancel his licence if he did not submit to their unlawful gains. That is why I wanted that in such cases there should be a proper inquiry of the facts before anybody is penalised. If this is not provided, then you will be giving very high undue powers to such officers who may misuse them without any obstruction. The words "after due enquiry" may, therefore, be added to the Bill.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा निवेदन है कि क्योंकि शनिवार को बैठक नहीं थी इसलिये मैं अपने संशोधन परिचालित नहीं कर सका। अब खण्ड 11 में मेरी आपत्ति यह है कि इसकी शब्दावली उचित नहीं है। "एण्ड शैल बी डीम्ड ओलवेज टु हैव बीन सब्सिट्यूटिड" (and shall be deemed always to have been substituted) शब्दों में पिछले समय से लागू होने का आभास मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे सभी कुछ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले ही हुआ हो जब कि यह संशोधन तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्हीं अनियमितताओं के कारण दिये गये निर्णय के कारण ही प्रस्तुत किया गया है। यह अवैधता उस तारीख से ठीक नहीं की जा सकती, हां, जब से सभा इसे पारित करती है तब से हो सकती है। अतः उक्त शब्द कानूनी बातों में बुरे लगते हैं और सम्भव है कि सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रद्द कर दे। आप दो व्यक्तियों में असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। चाहे वह व्यापारी हैं अथवा एक सामान्य नागरिक। व्यापारी को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह भी अपनी इच्छानुसार अपने निजी जेवर रख सके जहां तक कि वह रख सकता है तथा जैसा कि अन्य कोई नागरिक रख सकता है। इस प्रकार का भेदभाव कानूनी मामलों में अच्छा नहीं लगता। अदालतें शायद इसे नहीं मानेंगी।

वास्तव में इसका उद्देश्य तो भारत के लोगों में स्वर्ण के प्रति मोह को घटाना है। मैं सरकार की इस बात से सहमत हूँ। परन्तु क्या वास्तव में ऐसा हुआ है ? इसे घटाया जाना चाहिये न कि समाप्त किया जाना चाहिये। स्वर्ण के प्रति मोह समाप्त करना सम्भव नहीं है। इसके साथ भी नशाबन्दी वाली बात है। अतः सरकार जनता के साथ मिलकर जनमत तैयार करे ताकि यह मोह कम हो तथा लोग स्वर्ण के रूप में दौलत एकत्रित न करें। इस बारे में कानून बनाने से उद्देश्यपूर्ति नहीं होती।

यह ठीक है कि यहां इस अधिनियम के संशोधन पर विचार हो रहा है, मूल अधिनियम पर नहीं परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर इसे पूर्ण रूप से उचित तो बनाया जा रहा है सरकार को तो इस सारे ही अधिनियम पर पुनर्विचार करना होगा। यदि आवश्यक समझा जाये तो सरकार और विपक्ष मिलकर विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार स्वर्ण को नियंत्रित किया जाये। तब हम पायेंगे कि इस अधिनियम की अनेक बातों में परिवर्तन करने पड़ेंगे और शायद सारे ही अधिनियम को पुनः तैयार करना पड़े।

मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करेगी ।

श्री प्र० चं० सेठी : श्री शिव चन्द्र झा ने अपने संशोधन में जो शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किया है वे शब्द तो इस खण्ड में पहले से ही हैं । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वे शब्द आरम्भ में हैं अथवा अन्त में । अतः मैं उनका संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ ।

जहां तक श्री नम्बियार द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है ऐसे कानून प्रायः पिछली तारीखों से लागू होते हैं । उस दिन सभा ने जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम पास किया था वह भी पिछली किसी तारीख से लागू हुआ था । इसमें कोई अनुचित बात नहीं है । जहाँ तक सारे अधिनियम पर पुनर्विचार करने का सम्बन्ध है इस विधेयक के संदर्भ में इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12

Shri Shiv Chandra Jha : I beg to have my amendments Nos. 5 and 6.

Clause 12 Sec. 88 (2) says :

"Whoever is deemed, under sub-section (1) to have abetted an offence against this Act, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years...."

It means if an artisan or a goldsmith, working with a trader, violates this Act but does not, as it ordinarily happens, informs his master about it within two days, the master will be punished for no fault of his. And as far as I believe the present system will empower the gold control officer to harass the dealers. So, although I have suggested that this punishment of 3 years should be reduced to one year, but truely speaking, I want it to be reduced to two months.

The Government awards less punishment to the political convicts although they do not have much trouble in Jails, but the traders and dealers are given more and longer punishments. My amendments mean that the dealers should be given less punishments but should be fined not less than Rs. 500.

श्री नम्बियार : मैं खण्ड 12 को बिलकुल ही हटवाना चाहता हूँ ।

वास्तव में इन कानूनों का या इस अधिनियम का अभिप्राय क्या है ? स्पष्ट बात तो यह है कि यदि कोई स्वर्णकार पूरी ईमानदारी अपना सामान्य कार्य करता है तो भी स्वर्ण नियंत्रक बाद में केवल यह कहकर उसे दण्ड दे सकता है कि उसने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है । साथ ही

यदि व्यापारी दो दिन पूर्व स्वर्ण-नियंत्रक को लिख देता है कि अमुक स्वर्णकार ने ऐसा अपराध किया है तो वह स्वयं तो बच जायेगा परन्तु उसे अपने स्वर्णकार को पेश करके दण्ड दिलवाना होगा। यह व्यवस्था तो बड़ी ही बेहूदा है। दूसरे शब्दों में व्यापारी तो स्वर्णकार के पीछे जासूसी करने का कार्य करेगा या फिर स्वर्णकार व्यापारी की ताक में रहेगा। इस प्रकार दोनों के मध्य परस्पर सन्देह की भावना रहेगी। अतः स्वर्ण व्यापार को आप सामान्य स्थिति में ही चलने दीजिये।

मुझे अपने चुनाव क्षेत्र के अनेक स्वर्णकारों तथा व्यापारियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनको अधिकारी परेशान कर रहे हैं, बिना सूचना दिये उनकी दुकानों की तलाशी ले रहे हैं तथा दबाव डाल रहे हैं। सारे देश में यही हो रहा है और अपनी रक्षा के लिये लोगों को न्यायालय का आश्रय लेना पड़ रहा है। और अब तो इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को इस अधिक परेशानी पैदा करने वाला बना दिया गया है।

मेरा निवेदन है कि खण्ड 12 को हटा दिया जाये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : आप एक ही अपराध के लिये दो व्यक्तियों को दण्ड दे रहे हैं। अपराध स्वर्णकार ने किया है और आप व्यापारी को दण्ड दे रहे हैं क्योंकि उसने स्वर्णकार का निरीक्षण नहीं किया। क्या आप व्यापारी को अपना एक अधिकारी बना रहे हैं जो उनकी निगरानी रखे तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और दोष के लिए दण्डित भी हो ? अधिनियम में यह निहित है कि कोई भी जो व्यापारी है स्टाफ का सदस्य है। मैं उनकी इस मांग का समर्थक हूँ कि इस खण्ड को निकाल दिया जाय। आप व्यापारी पर उत्तरदायित्व डालने वाले हैं। यह उत्तरदायित्व ऐसा नहीं होना चाहिये जिसको वह ठीक तरह निभा नहीं सकता। मंत्री महोदय इस बात को भलीभांति जानते हैं कि स्वर्णकार हमेशा अपने व्यापारियों के परिसर में कार्य नहीं करते। वे अपने घरों में कार्य करते हैं। आप एक स्वर्णकार के लिए व्यापारी को उत्तरदायी कैसे ठहरा सकते हैं जो उसके परिसर में कार्य नहीं करता ? मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस साधारण संशोधन को स्वीकार कर लें अर्थात् "ऐसा रोजगार" (" such employment") शब्दों के पश्चात् 'और उसके परिसर में' ("and onhis premises") शब्द जोड़े जांय। उत्तरदायित्व के लागू करने से पहले स्वर्णकार को परिसर में आ जाना चाहिये।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) जहां तक मूल अधिनियम की धारा 88 का सम्बन्ध है इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और दूसरे के वास्ते कार्य करने वाले उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उस समय जो उपबन्ध थे वे समुचित सीमा को पार कर गये थे और इसलिये उन्होंने इसे अवैध ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें समुचित संशोधन कर दिया है। यह वर्तमान अधिनियम से अच्छा है।

जहां तक दण्ड को कम करने का सम्बन्ध है, छोटे अपराधों पर न्यायालय स्वयं 3 वर्ष तक की सजा नहीं देता। लेकिन यदि अपराध बहुत गम्भीर हो तो हमें न्यायालय के हाथ नहीं पकड़ने चाहिये और कम सजा देने के लिये नहीं कहना चाहिये, यदि वे समझते हैं कि कुछ अपराधों के लिये सजा बड़ी होनी चाहिये तो वे तीन वर्ष तक की दे सकते हैं, इसलिये, हमने तीन वर्ष का उपबन्ध किया है, अतः इस विशिष्ट खण्ड में जो सजा को कम करने का उपबन्ध किया गया है वह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं श्री शिवचन्द्र झा द्वारा पेश किये गये संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मेरे संशोधन के बारे में क्या है, जब अपराध व्यापारी के परिसर में किया जाता है.....

श्री प्र० चं० सेठी : श्री लोबो प्रभु शिल्पकार का प्रश्न उठा रहे हैं। यदि शिल्पकार व्यापारी के कर्मचारी हैं और यदि वे घर पर काम करना चाहते हैं तो वे उस स्थिति में शिल्पकार रहने की बजाय वे प्रमाणित स्वर्णकारों का लाइसेंस ले सकते हैं। नियम बनाते समय हम निश्चय ही इस पहलू पर विचार कर सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : व्यापारियों द्वारा नियोजित कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके परिसर में काम नहीं करते बल्कि अपने घरों में करते हैं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 5 और 6 को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 और 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 5 and 6 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13—(धारा 100 के स्थान पर नई धारा रखना)

Clause 13 (Substitution of new Section for Section 100)

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

My amendment is regarding petty transactions. You have said that it will not be applicable in respect of petty transactions and the transaction of gold up to 25 grammes will be considered as Petty transaction. My amendment is that for "twenty-five grammes" "ten grammes" should be substituted.

श्री लोबो प्रभु : मैं भी 'छोटे लेन-देन' 'पेटी ट्रॉजैक्शन' की सीमा के संबन्ध में संशोधन चाहता हूँ। मेरा सुझाव है कि यह '25 ग्राम' के बजाय '100 ग्राम' होना चाहिये क्योंकि स्वर्णकारों को थोड़ी मात्रा में सोना लाने वाले व्यक्तियों की पहचान, उनके पते, उनकी सदस्यता का पता लगाने के लिये उत्तरदाई बनाना एक कठिन जिम्मेदारी है, आपको याद होना चाहिये कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 100 को पूर्णतः अवैध ठहरा दिया है और अगर आप 'छोटे लेन-देन' को बहुत थोड़ा रखने पर जोर देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय इसे फिर अवैध ठहरा देगा।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते उसे आप परोक्ष रूप से कर रहे हैं और लोगों पर, नहीं करने के लिये, जोर दे रहे हैं और उस प्रकार व्यापारी, स्वर्णकार तथा जिसने इसे बेचा है उसे परेशान कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी, अगर चाहे, तो इनके बारे में दोष निकाल सकता है, बस इसीलिए धारा 100 को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहरा दिया था और सरकार इसको दुबारा दूसरे रूप में ला रही है यह कहकर कि इसमें हमने

सुधार कर दिया है। यह उचित तरीका नहीं है। यदि धारा 100 को निकाल दिया होता तो कुछ भी हानि नहीं हुई होती। इसे निकालने की बजाय आप इसको दूसरे तरीके से ला रहे हैं। इस प्रकार आप व्यापारी की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। यही मेरी आपत्ति है और मैं सोचता हूँ कि मंत्री महोदय इस ओर से जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार करेंगे अथवा वे स्वयं संशोधन ला सकते हैं जिससे यह परेशानी समाप्त हो। यदि व्यापारियों के विरुद्ध आपको कुछ आपत्ति है, क्योंकि वे बुलियन का व्यापार कर रहे हैं और शायद उनको लेखा बाह्य तथा चोरी से लाया गया सोना प्राप्त हो रहा हो और आप इसको रोकना चाहते हों, तो सोना व्यापारी पर भार डालने वाली आपकी बात मेरी समझ में आती है। लेकिन आप प्रमाणित स्वर्णकार को क्यों पकड़ते हैं, वह सोने का व्यापार नहीं करता है, वह अपने व्यवसाय के लिये अपनी रोजी के लिये, गहने बनाने के लिए सोना खरीदता है। आप उसको अपना निर्वाह के लिये भी काम नहीं करने देना चाहते। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि आप सम्पूर्ण धारा 100 को नहीं निकाल सकते तो "अथवा प्रमाणित स्वर्णकार" शब्दों को निकाल दीजिये।

श्री प्र० चं० सेठी : मूल अधिनियम की धारा 100 को न्यायालय में चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुचित जानकर अवैध ठहरा दिया, उसके स्थान पर अब हम जो धारा ला रहे हैं वह निश्चय रूप से पहले से अच्छा है। अब हमने नियम विहित कर दिये हैं और वे सभा पटल पर रख दिये गये हैं। अतः व्यापारी को जो भी सावधानियां अपनानी हैं वह सब सभा पटल पर रखे गये नियमों के अनुसार अपनानी है।

'छोटे लेन देन' 'पेटी ट्रांजैक्शन' के सम्बन्ध में उसको पहले कोई सुविधा नहीं दी गई थी। अब हमने 25 ग्राम तक के छोटे लेन-देन की सुविधा दे दी है। श्री शिव चन्द्र झा इसे 10 ग्राम बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो सुविधा दे रहे हैं उसे वापस लेना चाहते हैं। श्री लोबो प्रभु इसे 100 ग्राम बनाना चाहते हैं। यह सुविधा पहले नहीं थी। अब हम 25 ग्राम दे रहे हैं, जहां तक वर्तमान परिवर्तन का सम्बन्ध है यह सभी दृष्टियों से निश्चित रूप से अच्छा है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने के लिय तैयार नहीं हूँ।

श्री नम्बियार : क्या वे "व्यापारी" तथा "प्रमाणित स्वर्णकार" शब्दों को निकाल नहीं सकते ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह कैसे सम्भव हो सकता है ? यदि स्वर्णकार अथवा व्यापारी सोना अथवा गहने खरीदने के लिये बनाये गये नियमों के [अनुसार सावधानी नहीं अपनाते और स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते तो सबके लिये कानून एक-सा होना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 7 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया।

तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 7 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 14 and 15 were added to the Bill

खण्ड 1

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

Mr. Speaker, this Bill should not be called Gold Control Amendment Bill. This title has been given to this Bill to mislead the House and the country. It's title should be-Gold Trade Control Bill, 1969. This is my amendment. This Bill should not be called Gold Control Bill because you are not going to control gold. You do not want to take away gold from temple and Raja Maharajas. You want to put restrictions on traders through this Bill and want to put them in trouble. Therefore the title of the Bill should be accordingly. Therefore, I submit that my amendment should be accepted.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Mr. Chairman, The Supreme Court has rejected the writ application and the stay order received against the Bank Nationalisation Shri. Madhok and Shri Masani have withdrawn their applications.

Shri P. C. Sethi : The hon. Member has demanded the change in the title of the Act. So far as the Gold Control Amendment Bill is concerned, its life is limited because this parent Act will become a part of the Gold Control Act which has been passed by this House. All the amended sections will be included in that. In these circumstances I am unable to accept the suggestion of the hon. Member.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 30	विपक्ष में 135
Ayes. 30	Noes 135

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम-विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the isle were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The congress says that they want to have control on Gold. After all what is the Gold. It is a symbol of attachment to wealth. There are two principles of wealth. One is of Karl Marx who says that in a social organisation there should be no place of wealth and second is the principle of Gita who call the people to have detachment against the wealth. The former principle was implemented in Russia but the result was quite different. Even after the revolution which took place 50 years ago, the people of Russia could not shed attachment to wealth.

In our country people are giving more consideration to wealth. Selfishness and attachment have become part of life. The Philosophy of detachment has no place in our society.

The Gold Control Act has failed in its aim. But why it so happened ? The reason is that the leader of the country has faith in wealth and land then how can we expect that 40 crores of people give up attachment to property and gold ? When the Prime Minister could not change her attitude then how she can ask people to have detachment to wealth. I had put a question on it.

Mr. Speaker : I gave a ruling yesterday that discussion should be relevant to the subject. If it is not so then I will expunge it from the record.

Shri Madhu Limaye : The parts (b) and (c) of my question is relevant. You want to have gold control. But when leading people of the country do not give up attachment to Gold then how can they expect the same from the people. Is it not relevant ? We all want that we should not have faith on Gold but an the country and its economy.

Mr. Speaker : Since it is an unstarred question therefore I am allowing it. You please end the question without delay.

Shri Madhu Limaye : "(c) the source of the ornaments which have been coming down since years past is not in doubt. At the time of the Chinese aggression in November, 1962, the Prime Minister donated partically all her gold ornaments to the National Defence Fund." We have not been given any figures as to the quantity of Gold and how much it was donated.

Mr. Speaker : This is irrelevant and it will not go in record.

Shri Madhu Limaye : I am not quoting the name of Prime Minister. We hailed the Nationalization of Banks because it was a step in giving up the Gold and wealth through social organization. But I want to urge that leading people of the country should tell the people that they have faith on the future of the country and not on gold.

सभापति महोदय : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि किसी भी ओर के सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति का उल्लेख किया जायेगा तो उसका उल्लेख नहीं किया जायेगा। मैं ऐसे सदस्यों को बैठ जाने के लिए कहूँगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय है अतएव मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे विषय से बाहर न जायें।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आप ऐसी रोके कैसे लगा सकते हैं ? श्री मधु लिमिए के भाषण में कुछ भी अशिष्ट नहीं था।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्वी दिल्ली) : इसे सहन नहीं किया जा सकता।

श्री म० ला० सोंधी : किसी को भी इतना संवेदनाशील नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं किसी भी सदस्य की निन्दा की अनुमति नहीं दुंगा ।

श्री म० ला० सोंधी : आपको इस पर शान्तचित्तता से विचार करना चाहिए । आप यह नहीं कह सकते कि इसका उल्लेख नहीं किया जायगा । हमारे यहाँ प्रजातन्त्र है राजतन्त्र नहीं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Please see the ruling given by the Deputy Speaker in the case of Shri Bharat Singh. We are not even allowed to quote the information furnished in respect of the Prime Minister.

Shri Madhu Limaye : I have a point of order. Have you deleted the question and answer.

Mr. Chairman : I have ex punged the last portion as it appears to contain expersion.

Shri Madhu Limaye : You may not find a single irrelevant or unparliamentary word from my speech. You want to put restraint on our saying. This Parliament may not function in that matter.

Mr. Chairman : Your dictates will also not do.

Shri Madhu Limaye : You are only a member of panel of Chairman and are doing what even the Speaker has not done. Not even one word should beexpungedfrom my speech.

Mr. Chairman : I shall see the record.

श्री नम्बियार : उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धाराए 5 (2) (b), 27 (2) d, 32, 46, 88 तथा 100 को रद्द कर दिया । सरकार प्रस्तुत बिधेयक द्वारा बदले हुए रूप में उन्हें पुनः लाना चाहती है । कुछ अन्य धाराओं को भी जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था संशोधित रूप में, सरकार पुनः ला रही है ।

किसी अधिनियम के कुछ उपबन्धों को विधि द्वारा संविधान के विरुद्ध ठहरा दिया जाता है, तो सरकार को उन्हें छोड़ देना चाहिए न कि अन्य ढंग से बनाए रखने का यत्न करना । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कानून को उदार बनाने के स्थान पर सरकार उन्हें और भी दृढ़ बना रही है । सोने की तस्करी रोकने के नाम पर जनहित विरोधी कानून बनाया है । इसका कुप्रभाव अपना सुरक्षा के लिए थोड़े से जेवर रखने वाले लोगों पर पड़ता है । गांवों में बैंक विद्यमान नहीं । वहां पर सोने के बिना ऋण नहीं मिलते । देश की ऐसी दयनीय स्थिति है । इसलिए हम ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सकते जिससे लोग सोने का मोह त्याग दें । सरकार को संशोधित विधि के निर्माण करते समय जनता की भावनाओं संविधान की व्यवस्था एवं विधि के निदेशों का ध्यान रखना चाहिए । परन्तु प्रस्तावित विधेयक में उनका ध्यान नहीं रखा गया ।

सरकार को चाहिए तो यह था कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पर नए सिरे से विचार करती उसमें राष्ट्र हित में विस्तृत परिवर्तन करती अथवा उसे इस नियंत्रण को सर्वथा समाप्त कर दे ।

Shri S. M. Banerje : The Gold Control order was introduced to check smugglying of Gold. But we find that smugglying is going on as usual, nor the price of gold has come down, nor the hidden gold has come out. We introduced it but it proved a total failure. It should be withdrawn in the next session.

Shri Balraj Madhok : Our constitution has provided us with Judiciary independent from legislature. It is duty of the SupremeC ourt to see that the laws enacted do not violate the provisions of the constitution. The Government is not honouring the verdict of the Supreme Court but is trying to over-ride them by amended legislation.

Even now goldsmith are earning their livelyhood but have to depend on dishonest means. The purpose for which this law was enacted has not been fulfilled. It is never too late to mend what has proved to be futile. I, therefore, appeal to the Government to withdraw the Gold Control Order or at least withdraw this amending bill.

Shri Abdul Gani Dar : When Gold Control Order was enforced about 160 persons committed suicide as they could see their children to starve. The Government then tried to find out ways to remove their difficulties. But the Supreme Court declared most of the provisions of the Act as unconstitutional. The Government admits that Gold worth 1000 crores of rupees has been smuggled. Has the Government kept in reserve sufficient gold for the curency issued ? Is there any danger to our currency that may require us to again devalue it. Please do not act in the manner as may call criticizm from the Supreme Court. Allow the Judiciary to function independently.

Shri Sheo Narain (Basti) : We should not enact such laws that create diffiiculties for the press and also increases unemployment. The finance department encourages such legislation that provides the bureaucrats more channels for their personal ends. If the Government want that democracy may flourish in this country it should withdraw the Gold Control Order and put up new draft legislation.

नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : इस देश के लिए दुर्भाग्य की ही बात है कि जहां जनता की राय का अध्ययन करने के लिए कोई संस्थान नहीं है । यह अधिनियम पूर्व वित्त मंत्री के दुराग्रह के कारण पारित हुआ । सारे देश में इसका विरोध किया गया । इससे न तो जनता के रहन सहन को बदला जा सका और न तस्करी रुक सकी ।

लोग सोने चांदी के मोह को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे समझते हैं कि इस पर लगाया गया धन पूंजी लगाने का श्रेष्ठ रूप है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोने के मोह को दूर करने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाया था । प्रधान मंत्री को इस बारे में नेतृत्व करना चाहिए जिससे देश की महिलाएं सोने के मोह को त्याग दें । हमें ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जो हमारी मुद्रा के मूल्य को गिरने न दें । हम तस्करी रोकना चाहते हैं परन्तु इस बारे में सरकार कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाती । यह विधि अपने संशोधित रूप में ही जनता की इच्छाओं के विरुद्ध है और इसलिए व्यर्थ रहेगी ।

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Chairman, Sir, while I give my unflinching support to the measure brought forward, since it aims at checking the smuggling, yet at the same time I cannot completely shed away my doubts whether it will be properly implemented. I would like to tell you what is happening in Goa. Goa has become the dumping ground for the smuggled gold which is pouring in there not by kilos or maunds but by tons. The important question is whether you have the adequate machinery for implementing the provisions of the Act. Many of our good laws have failed because there was no proper machinery to implement them.

Rumours are afloat that higher denomination currency is going to be demonetised. When people started buying gold with that currency, the gold went underground. Before bringing such a measure we must see whether we have honest men to implement that.

Similarly unless the Bank nationalisation is carried to its logical conclusions, the lower strata of society is not going to profit by it.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The demand for gold and gold ornament is increasing day by day. The amount earned through black-marketing is invested in gold. May I know that keeping in view this state of affairs and the demand for gold ornaments, how the gold control scheme is likely to be successful ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम, 1968 के मुख्य उद्देश्य का सम्बन्ध है, मैं पहले ही इस बारे में विस्तार से बता चुका हूं। किन्तु नियम लागू होने के पश्चात उसमें अनेकों परिवर्तन किये गये। जहां तक सोने के आभूषणों का सम्बन्ध है इनके रखे जाने पर कोई प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध केवल यही है कि यदि आभूषण 4000 ग्राम से अधिक के या 60,000 रु० से अधिक मूल्य के हैं तो उसके लिये घोषणा करनी होगी।

जहां तक सोने के चोरी छिपे लाये जाने का प्रश्न है हमने इस सम्बन्ध में काफी उपाय किये हैं और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 27 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया है। सीमाशुल्क अधिनियम में भी संशोधन किया गया है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री और श्री अब्दुल गनी दार ने जारी किये गये नोटों के लिए स्वर्ण निक्षेपों के सम्बन्ध में पूछा है। 25 जुलाई, 1969 को कुल 3,576.75 करोड़ रु० परिचलन में थे और इसके लिये 182.53 करोड़ रु० के सोने के सिक्के और सोना हमारे पास था और 200.89 करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियां थी तथा शेष राशि के लिए रुपये के सिक्के और भारत सरकार की प्रतिभूतियां थी। अतः इस सम्बन्ध में कोई डर की बात नहीं है।

इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के कुछ उपबन्धों को गैर-कानूनी ठहराया गया था और उस हद तक हमने इसमें सुधार किया है। जहां तक प्रधान मंत्री के स्वर्ण आभूषणों का सम्बन्ध है उन्होंने चीनी आक्रमण के समय बड़े मूल्य के कीमती आभूषणों को रक्षा कोष में दिया। उन्होंने यह कभी किसी वक्तव्य में नहीं कहा है कि उन्होंने अपने सारे आभूषण दे दिये थे। ये आभूषण उन्होंने खरीदे नही हैं अपितु अपने परिवार से प्राप्त हुए हैं।

मैं यह मानता हूँ कि तस्करी की समस्या है। शताब्दियों पुरानी परम्पराओं के रहते हुए इस दिशा में शीघ्र प्रगति करना तो कठिन है। कुछ माननीय सदस्यों ने स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के सारे पहलुओं की जांच करने के लिये भी कहा है। मैं इस सम्बन्ध में कोई वायदा तो नहीं कर सकता किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि स्थिति में सुधार करने के लिये हम अपना भरसक प्रयत्न करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

डाक तथा तार कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही
DISCIPLINARY ACTION AGAINST P AND T EMPLOYEES

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair]

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Chairman, Sir, the Central Government employees had gone on one day's token strike last year to press their demand for the minimum wage, but the Government neither accepted their demand nor did it relent to any reasonable settlement. Its policy was that of repression. The responsibility for converting the one day's token strike into that of three days falls squarely on the Government. Fourteen lives were lost and thousands of employees were arrested. Thousands of employees were dismissed from service. Government action was strongly resented throughout the country and the Government announced on the 18th October to go softly with them. Now, in reply to my question it has been stated that 760 employees have not so far been reinstated. The National Confederation of the P and T employees welcomed this gesture of the Government and announced that all the employees would return to their work and forthwith stop all activities and all the employees, accordingly, reported for duty.

The orders of the Government of India and the Ministry of Home Affairs are quite clear which say : "In taking disciplinary action it is our intention to be selective and to take action only against those who are responsible for active instigation or organising the strike or picketing in connection with the strike." But it seems that the writ of the Central Government does not run in the P and T Department where Shri Jain perhaps because of his imminent retirement is riding rough-shod over the employees. His orders are :

"If there is no direct evidence of active participation etc., there need be no hesitation in taking disciplinary action merely on the charge of participation in the strike. When disciplinary action is taken, normally it should be deterrent and should result in a major penalty."

This is the order of an autocrat. I want to know whether this order of Shri Jain has been rescinded or not. I am apprehensive that Shri Jain's order is still in force. I have received a telegram from Bangalore saying that 6 employees have been dismissed from service.

Of these 760 employees 300 are from Kerala only. Is it because Shri Jain's writ did not run in Kerala or because the Kerala Government did not open fire on them ? Although the Kerala High Court had held the dismissal of 300 employees illegal, they have not so far been reinstated.

In Madras the mail service and sorting staff of the Madras Mail Service had been dismissed. Similarly, in Delhi the 30 employees, acquitted by the Deputy Commissioner after thorough investigation, have not so for been reinstated. In Bihar also 12 persons have not so far been reinstated. The Federation of these employees wants to negotiate, but Shri Jain is not ready to accept their offer on the plea that its recognition has been withdrawn.

Therefore they cannot give correct information to the hon. Minister.

The Minister of Information, Broadcasting and Communication (Shri Satya Narayan Sinha) : Such allegations should not be levelled against any person without positive proof.

Shri Bhogendra Jha : If my information proves wrong I will correct myself and I will withdraw what I have stated. In the circumstances I appeal to the Government to do away with the policy of suppresion. I also hope that Government will fulfil their demands and make an announcement in this regard in this House.

The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and Communication (Shri Sher Singh) : In an answer of a question of the Bhogendra Jha on the 24th July it was stated that 760 persons had not yet been reinstated. But since then 163 more persons have been re-instated. Fifty cases are under review. It has already been decided to take back all the employees except those who are involved in intimidation, instigation and violence. The words intimidation and instigation have already been defined by the ministry of Home Affairs. Where intimidation and instigation is not involved we are reveiwing the cases and taking the employees back in service. The old order of the Director General which the hon. Member, Shri Bhogendra Jha has quoted, has been declared void on the 18th April, 1969. The order of the ministry of Home Affairs issued thereafter are being implemented.

Out of the 597 employees who have not yet been reinstated 281 belong to Kerala.

The hon. Member has also stated that Central Government is contesting those cases which have been withdrawn by the State Governments. In this connection I want to say that we are pursuing only those cases in which positive evidence is available.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : केरल में मुकदमे वापस न लिये जाने के क्या कारण है। वहाँ पर आप ने आगे अपील की है।

Shri Sher Singh : There is nothing special in Kerala. This has happened in Punjab also. Where we have sufficient evidence we have gone for appeal. We do not want to stand in the way of law.

श्री सत्यनारायण सिंह : बड़ी संख्या में मामलों को वापस ले लिया गया है।

श्री नम्बियार : उच्च न्यायालय में अपील किये जाने के क्या कारण हैं।

श्री शेर सिंह : इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। केवल उन्हीं मामलों में अपील की गई है जिन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

Shri yogendra Sharma (Begusarai) : Section 5 has now been imposed instead of section 4.

Shri Sher Singh : There is no such thing. If some specific case is brought to notice we will look into it.

श्री नम्बियार : कुछ दर्जन लोगों को छोड़कर क्या शेष सभी लोगों को वापस ले लिया जायेगा।

श्री शेर सिंह : जी हां। परन्तु जिन कर्मचारियों पर उकसाने व भड़काने के आरोप हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Shri Bhogendra Jha : Six persons from Bangalore have just now been released from service. I want to know whether there are allegations of violence against them ?

Shri Satya Narayan Sinha : We have gone to the court in those cases only where we have sufficient evidence. Other cases have been withdrawn. Some persons have been charge-sheeted. They have not yet replied. Unless we receive the reply we cannot dispose them off. Out of the 29720 employees only 597 remain to be re-instated.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Other Members who have given their names should be given an opportunity to ask questions.

श्री सत्यनारायण सिंह : 205 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। मैंने स्पष्ट निदेश दिये हैं कि सभी मामलों को तीन महीने के अन्दर निपटाया जाना चाहिए। मैं नियः

मित रूप से इनके बारे में पूछताछ कर रहा हूं। जिन लोगों को आरोप पत्र जारी किये गये है उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। उत्तर प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा। हम अपने कर्मचारियों को परेशान करना नहीं चाहते। पटना में अनुशासन के चार मामले हैं। उनको शीघ्र निपटाया जायेगा।

श्री नम्बियार : पटना में इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है। आप केरल में ऐसा क्यों नहीं करते।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस बात के बावजूद कि केरल और बंगाल में घेराव आदि चल रहे हैं हमें केरल के प्रति कोई द्वेष नहीं है। अन्य राज्यों में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं।

श्री नम्बियार : आप राजनीति को इस मामले के साथ मत जोड़िये इसके लिए गरीब मजदूरों को परेशान मत करिये।

श्री सत्यनारायण सिंह : इन दो राज्यों से प्रतिदिन जो सूचनाएं आ रही है मैं सभा को वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री नम्बियार : वे सब बढ़ाचढ़ा कर बताई गई हैं।

श्री सत्यनारायण सिंह : मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। क्या कारण है कि उन राज्यों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि अन्य राज्यों में नहीं घट रही हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कहना चाहता परन्तु इन दो राज्यों के हड़ताली जिनको अभी पुनः काम पर नहीं लगाया गया है इस प्रकार व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसे कि अन्य राज्यों के वैसे ही हड़ताली कर्मचारी कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Many employees were arrested in Delhi without any reason. The employees were sitting inside but they were ousted as their officer was against them. Some thing should be done in this matter.

Shri Satya Narain Sinha : In Delhi 61 cases are in the court and 28 cases are disciplinary cases. We cannot interfere in the court cases. I am trying to give maximum concession to the strikers wherever it is possible. We will consider disciplinary cases sympathetically.

Shri Shiv Chandra Jha: I want to ask question about the Darbhanga and Madhubani. I want to know how many persons from these areas have since been re-installed and the number of those who have not yet been re-installed. I also want to know whether some compensation have been given to the families of those who have been killed during the strike and of so, how much and if not, the reasons therefor ? I also want to know whether the derecognised unions have since been granted recognition and if not the reasons therefor ?

Shri Georege Fernandes (Bombay South) : There have been a loss of four crores of rupees during the four days of strike of Jute workers. An hon. Cabinet Minister has taken an initiative for the termination of the strike. He succeeded in that and he got the praise for it. But I want to point out that Government had not suffered any loss during the token strike of 19th September. On the other hand employees have suffered. I therefore want to know why the Government is still not prepared to solve this problem. The hon. Prime Minister has herself stated that she is with the poor. In this connection I would like to say that these 597 employees who have not yet been re-instated are also poor people.

Day before yesterday I met an employee of the Post and Telegraph Department in Bhagalpur. This man has been acquitted by the court. He has not yet got pay for the nine months inspite of so many representation he has made to the officer and hon. Home Minister. I want to know whether the hon. Home Minister will annoute in the House that all the

released employees will be taken back and that cases against them will be withdrawn. I also want to know whether the derecognized unions will be granted recognition ?

श्री प० गोपालन (तेल्लेचेरी) : यह बताया गया है कि जिन 600 कर्मचारियों को पुनः सेवा में नहीं लिया गया है उनमें से 230 कर्मचारी केवल केरल के हैं। इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केरल के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ विभेदजनक व्यवहार किया जा रहा है।

सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 19 तारीख की हड़ताल में भाग लेने मात्र से कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी। परन्तु केरल में ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें आवश्यक सेवाएँ रख-रखाव अध्यादेश की धारा 4 और 5 के अधीन कर्मचारियों पर आरोप लगाये गये हैं और इन कर्मचारियों को पुनः अभी तक सेवा में नहीं लिया गया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों पर उक्त धारा 4 और 5 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन आरोप लगाये गये हैं वे भी सरकार के नम्रता के आदेश के अनुसार लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं बशर्ते वे हिंसात्मक तथा तोड़फोड़ की गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त न हों। केरल में ऐसे अनेक कर्मचारियों को सेवा में पुनः नहीं लिया गया जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला भी नहीं चल रहा है उनको कोई आरोप-पत्र भी नहीं दिया गया है।

केवल केरल में ही ऐसे कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित किया है जिनके विरुद्ध आचरण नियमों के नियम 16 के अधीन कार्यवाही की गई थी। देश के अन्य किसी भाग में ऐसा नहीं किया गया है। यह अनुशासन की नहीं बल्कि राजनैतिक कार्यवाही है। केरल में डाक विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तनावपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय वहां के महा डाक पाल को बाहर भेजने को तैयार हैं ?

Shri Sher Singh : Many questions have already been answered.

Shri Bhogendra Jha : The hon. Minister has not told anything about the thirty persons who have been declared innocent by the Deputy Commissioner of Delhi. Many persons in Kerala have been acquitted by the High Court but inspite of that they have not been taken back in service. Services of the six persons have been terminated in Banglore recently.

Shri Sher Singh : Only the law breakers get the punishment. It does not matter as to which State they belong. More persons have violated the law in Kerala more people have been punished there. Where the charges of intimidation could not be proved we have taken back the employees in service. We are reviewing the cases of fifty more persons. We have implemented the orders of the Government and thousands of employees have been re-instated. We are considering the cases of the remaining employees sympathetically. We will help the employees wherever it is possible. But we cannot interfere with law. Law will take its own course.

सभापति महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 12 अगस्त 1969/21 आवण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, August 12, 1969/Sravana 21, 1891 (saka)

Tirthraj Press, Allahabad-3.